खण्ड-321, अंक-2
मंगलवार, 17 चैत्र, शक संवत् 1898
(6 अप्रैल, 1976 ई0)

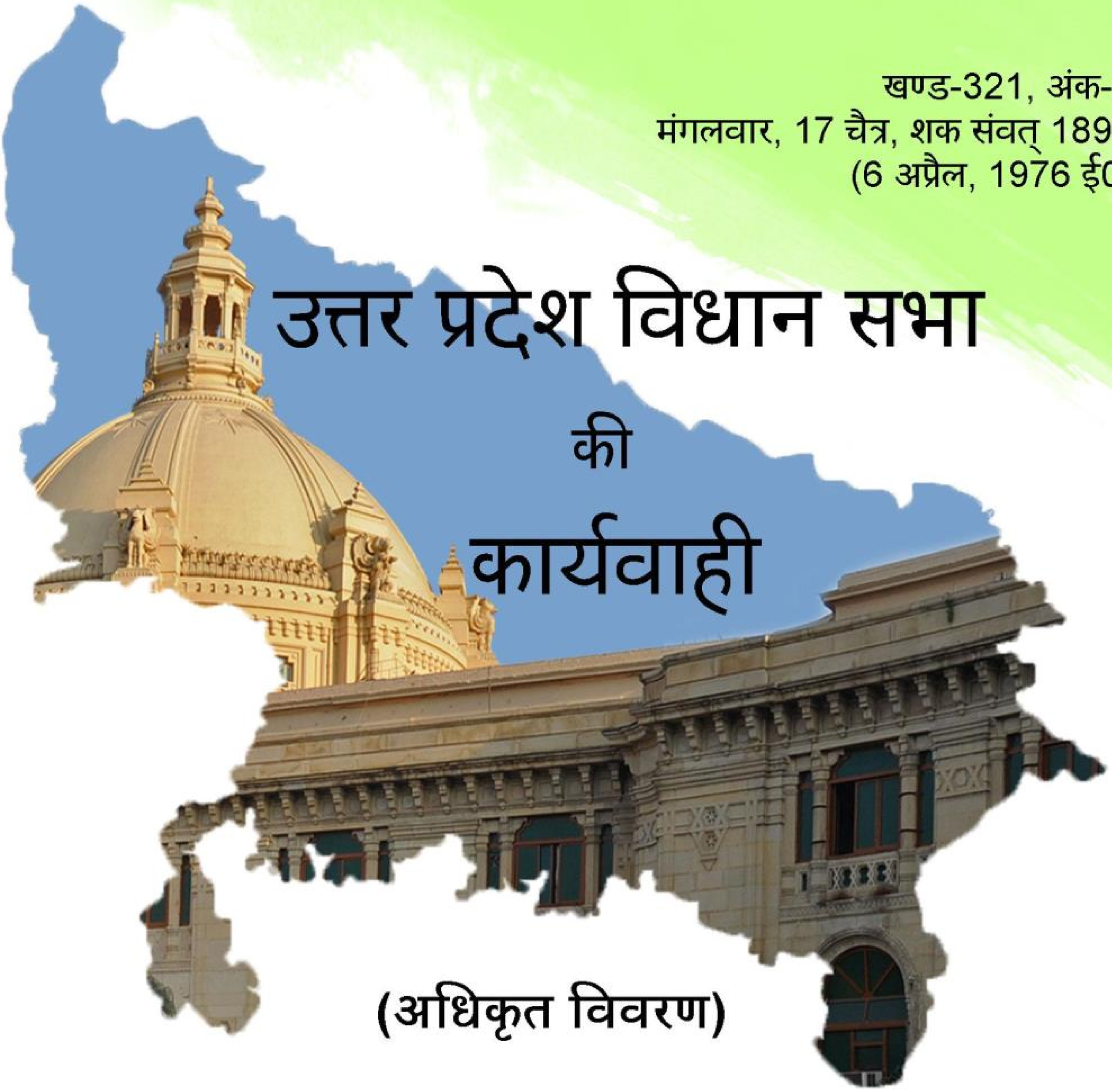

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 321 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1976

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	67–69
प्रश्नोत्तर	70–90
उत्तर प्रदेश जिला परिषद तथा क्षेत्र समिति (आकस्मिक व्यय) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	90
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) नियमावली, 1975 (सदन के पटल पर रखी गयी)	91
उत्तर प्रदेश षष्ट विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1975–76) का पृष्ठ प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया।)	91
विधान सभा सदस्य, श्री शिवप्रसाद की गिरफ्तारी की सूचना विलम्ब से देने के संबंध में जिलाधिकारी आजमगढ़ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट)	92
विरोध पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन त्याग के बाद उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न	92–93
सम्पत्ति की सूचना विलम्ब से देने वालों की सूची में नाम छपने के संबंध में कृषि राज्य मंत्री, श्री चेतराम गंगवार द्वारा स्पष्टीकरण ..	93–94
उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया)	94
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया)	95
उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976 (पुरःस्थापित किया गया) ..	95
1976–77 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के पूर्व आज पुरःस्थापित विधेयकों पर विचार करने का प्रस्ताव (जारी) ..	95
प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 128 के आंशिक निलम्बन का प्रस्ताव (स्वीकृत)	96
1976–77 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के पूर्व विधेयकों पर विचार करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	96
उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976 (पारित) ..	96–115
उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 (पारित)	115–126
उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976 (पारित)	126–143
1976–77 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी)	143–156
सदन की कार्यवाही समय से पूर्व स्थगित करने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	156
1976–77 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा (जारी) ..	156–161
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	161
नत्थियां	162–167

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 6 अप्रैल, 1976

विधान सभा की बैठक सभा मंडप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री वासुदेव सिं की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थिति सदस्य—244

अजीजुर्रहमान, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवारजमीलश्री (एडवोकेट) उर्फ जिमी मियां,
अनिरुद्ध राय, श्री
अबुल फैज शाह, श्री
अब्दुल बाकी, श्री
अब्दुल रहमान खां 'नशतर', श्री
अम्बिका प्रसाद सिंह, श्री
अम्मार रिजवी, श्री
आगा जैदी, श्री
आनन्द स्वरूप, श्री
आबिद अली, श्री
इन्द्र लाल, श्री
ईश्वरी सिंह, श्री
उदय नाथ, श्री
ऊदल, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश, श्री
ओम प्रकाश गुप्त, श्री
ओम प्रकाश श्रीवास्तव, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
काजी जलील अब्बासी, श्री
काशी नाथ मिश्र, श्री
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री
कुलतार सिंह, सरदार
कृष्णवीर सिंह, श्री
केदार नाथ अग्रवाल, श्री
केशरी लाल, श्री
कैलाश पति, श्रीमती
कैलाश सिंह, श्री
क्रांति कुमार, श्री
खूब चन्द, श्री
खयाली राम शास्त्री, श्री
गंगा देवी विशारद, श्रीमती
गंगा सिंह, श्री
गंगा स्वरूप, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गया सिंह, श्री
गिरिजा किशोर मिश्र, श्री
गुलाब चन्द, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गोपाल दत्त ओझा, श्री
गोपी नाथ कामेश्वरपुरी, श्री
गोरे लाल शाक्य, श्री
गोविन्द प्रसाद गैरोला, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर, श्री (ऐडवोकेट)
चन्दन सिंह, कामरेड
चन्द्र नारायण सिंह, श्री
चन्द्र भान आजाद, श्री
चन्द्र शेखर, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चेतराम गंगवार, श्री
छेदा लाल चौधरी, श्री
जंग बहादुर, श्री (अतरौलिया, जिला आजमगढ़)
जगदीश अवस्थी, श्री
जगदीश नारायन त्रिपाठी, श्री
जगदीश मिश्र, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जय नारायण सिंह, श्री
जयराम गौतम, श्री
जुगल किशोर यादव, श्री

झिलमिट, श्री
तेज नरायन त्रिवेदी, श्री
तेज बहादुर, श्री
त्रिवेनी, श्री
दीप नारारण पांडेय, श्री
दीप नारारण बन महन्थ, श्री
दुर्योधन, श्री
देव कुमार यादव, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
धरम राम, श्री
धर्म चन्द्र मिश्र, श्री
धर्मपाल सिंह, श्री
धर्मपाल सिंह, डाक्टर
धर्मवीर, श्री
धर्म सिंह, श्री
ध्रुव नारायुण सिंह, श्री
नजीर अहमद, श्री
नरेन्द्र सिंह भंडारी, श्री
नाथू राम, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण हरी शर्मा, श्री
निसार अहमद अंसारी, श्री
पुरुषोत्तम लाल बधवार, श्री (उर्फ राजाजी)
पूरन चन्द , श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री (जिला अलीगढ़)
प्रकाश नारायण गुप्ता, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रभाकर सिंह, बाबू
प्रभु नारायण, श्री
प्रभु दयाल, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेम दत्त, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बनवारी राम यादव, श्री
बलदेव सिंह आर्य, श्री
बलबीर सिंह यादव, श्री
बाबूलाल तिवारी, श्री
बालकृष्ण सनवाल, श्री
बृजपाल सिंह यादव, श्री
बेचन राम, श्री
बेनी बाई, श्रीमती
भगवती प्रसाद, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगौती प्रसाद, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भारत सिंह, श्री
भीखा लाल, श्री
भूप सिंह केन, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोला दत्त सकलानी, श्री
मंजूर अहमद, श्री
मंजूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्नी लाल, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलखान सिंह, डाक्टर
मलखान सिंह सैनी, श्री
मलिक मोहम्मद जमीर अहमद खां, श्री
महाबीर प्रसाद, श्री
महाबीर सिंह, श्री
महेंद्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेश सिंह, श्री
माता प्रसाद, श्री
मानपाल सिंह, श्री एडवोकेट
मानबहादुर सिंह, श्री
मुन्शी लाल, श्री
मुहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री
मेघनाथ सिंह शिशोदिया, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद अयूब सिद्दीकी, श्री
मोहम्मद असलम, हाफिज
मोहम्मद महमूद अली खां, श्री
मोहम्मद शकील अहमद, श्री
मोहम्मद हयात, हाजी
मोहसिना किदवाई, श्रीमती
यशपाल सिंह, श्री
यादवेंद्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ, श्री
रघुनाथ सिंह, श्री
रघुबीर, श्री
रघुबीर सिंह, श्री
रघुराज सिंह, श्री (जिला गोंडा)
रणंजय सिंह, राजा
रणजीत सिंह "जुदेव" श्री
रणधीर सिंह, श्री
रफीउल्ला, श्री
रमा पंत, कुमारी
रमाकांत द्विवेदी, श्री
रमेश चन्द्र श्रीवास्तव, श्री

राज किशोर तिवारी, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजपाल, श्री
राज बहादुर चन्द, श्री
राज मंगल पाण्डेय श्री
राजेन्द्र कुमार गर्ग, श्री
राजेन्द्र प्रसाद गुप्त, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राम औतार सिंह भदोरिया, श्री
राम गरीब, कैप्टन
रामचन्द्र बक्श सिंह ,श्री
रामजी लाल केन, श्री
रामजी सिंह , श्री
राम दुलारे , श्री
रामदेव, श्री
रामदेव, यादव, श्री
राम नारायण पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
राम पाल सिंह, श्री
राम पाल सिंह यादव, चौधरी
राम पूजन पटेल, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरती देवी, श्रीमती
रामलखन ,श्री (जिला बस्ती)
राम लाल राही, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम समझावन, श्री
राम समुझ तिवारी, श्री
राम सुन्दर पाडेय ,श्री
राम सेवक धोबी, श्री
राम स्वरूप भारतीय, श्री
राम हर्ष चौधरी, श्री
रुद्र प्रसाद, श्री
रूप राम , श्री
रेवती शरण मौर्य , श्री
लक्ष्मी नारायण पाण्डे, श्री
लक्ष्मी प्रसाद वर्मा, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लटूरी सिंह, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालू राम, श्री
विजय कुमार, श्री
विद्याधर, श्री
विमल प्रसाद, तिवारी, श्री
वीर बहादुर सिंह ,श्री
वीर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वेद प्रकाश अग्रवाल ,श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शिव कुमार पाण्डेय, श्री
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर
शिव लाल, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्याम मिश्रा, श्री
श्याम लाल रावत, श्री
श्यामा देवी ,श्रीमती
श्रीपाल सिंह, कुंवर
श्री शचन्द्र, श्री
सच्चिदानन्द बाजपेयी, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्यवीर सिंह, श्री
सन्त सिंह यूसुफ, श्री
सरस्वती टम्टा, श्रीमती
सरस्वती प्रताप सिंह,श्री
सलाहउद्दीन उस्मानी, श्री (उर्फ नज्जन)
सुक्खन सिंह, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुरेंद्र प्रताप नारायन, श्री
सुरेंद्र प्रसाद मिश्र, श्री
सुरेंद्र सिंह चौहान, श्री
सैयद मुर्तजा अली खां, नवाब
सोहन लाल, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिराम, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुबराज, श्री
हेमराज, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

नोट:—ग्राम्य विकास राज्य मंत्री, श्री हबीबुर्रहमान नोमानी तथा स्वायत्त शासन राज्य मंत्री, श्री श्रीकृष्ण गोयल भी सदन में उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 6 अप्रैल, 1976

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

विकास क्षेत्र जैतीपुर, शाहजहांपुर को पौष्टिक आहार योजना के अन्तर्गत दिया गया धन तथा श्री रघुराज सिंह इन्टर कालेज की वाटिका के लिये सिंचाई व्यवस्था

*1—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि चालू वित्तीय वर्ष में शाहजहांपुर के विकास क्षेत्र, जैतीपुर को कितना धन शासन द्वारा पौष्टिक आहार योजना (ए0एन0पी0) के अन्तर्गत खर्च करने को दिया गया और इस योजना के अन्तर्गत श्री रघुराज सिंह इंटर कालेज, खेड़ा बझड़ा, शाहजहांपुर में क्यों आज तक कार्य प्रारम्भ नहीं कराया गया ? क्या यह सही है कि कालेज के प्रबन्धक महोदय ने दिनांक 22 जनवरी, 1976 को इस संबंध म एक प्रार्थना पत्र खंड विकास अधिकारी, जैतीपुर को तथा जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को भेजा था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री रामजी लाल सहायक)—

वित्तीय वर्ष 1975-76 में 42,700 रु0 दिया गया । स्कूल वाटिका में जो सिंचाई व्यवस्था के लिए बोरिंग या कूप निर्माण का कार्य होना था, वह न कराया जा सका क्योंकि नियमानुसार यह संभव न था ।

जी हां, 22-1-76 को नहीं बल्कि 2-1-76 को प्रार्थना-पत्र भेजा था ।

क्षेत्र विकास अधिकारी, जैतीपुर से जांच रिपोर्ट मांगी गयी जिसके आधार पर नई बोरिंग अथवा कूप निर्माण कराना उचित नहीं पाया गया ।

भरुआ सुमेरपुर, जिला हमीरपुर से पैलानी, जिला बांदा के बीच बस की व्यवस्था

*2—श्री बेनी प्रसाद वर्मा (जिला बाराबंकी) (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला हमीरपुर के स्थान भरुआ सुमेरपुर से स्थान पैलानी, जिला बांदा की 19 किलो मीटर की सड़क गरमियों के दिनों में मोटर चलाने लायक हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस सड़क पर सरकारी बस या प्राइवेट बस चलाये जाने का विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

परिवहन मंत्री (श्री शिव प्रसाद सिंह)—

भरुआ सुमेरपुर, जिला हमीरपुर से पैलानी, जिला बांदा तक की सड़क की कुल लम्बाई 30 किलोमीटर है । इसमें से 15-60 किलोमीटर जिला हमीरपुर और 14-40 किलोमीटर बांदा जिले में पड़ती है । जिला हमीरपुर में स्थित पूरी सड़क और जिला बांदा में 7-40 किलोमीटर कुल मिलाकर 23 किलोमीटर सड़क गरमियों के दिनों में मोटर चलाने लायक हो गयी है। शेष पर निर्माण कार्य चल रहा है ।

आर०टी०ए०, झांसी को आदेश दिये गये हैं कि मोटरेबुल मार्ग पर बस-व्यवस्था हेतु अनुज्ञा-पत्रों के लिए प्रार्थना-पत्र मांगकर आवश्यक कार्यवाही करें ।

खंड विकास अधिकारी, बूढ़नपुर, बिजनौर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*3—श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि खंड विकास अधिकारी, बूढ़नपुर, जिला बिजनौर के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र उप विकास आयुक्त, बरेली को जुलाई, 1975 में मिला ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई और क्या यह भी सही है कि खंड विकास अधिकारी बूढ़नपुर को रिवर्ट किया गया था और पुनः उन्हें पदोन्नति कर दिया गया है? यदि हां, तो किन कारणों से ?

श्री रामजी लाल सहायक—

जी हां ।

शिकायतों की जांच कराई गई जो मुख्य रूप से निराधार पाई गई ।

नियुक्ति की पद्धति में संशोधन होने के फलस्वरूप खंड विकास अधिकारी, बूढ़नपुर को प्रत्यावर्तित किया गया तथा उन्हें नियमानुसार जिलाधिकारी द्वारा उपयुक्त पाये जाने पर पुनः पदोन्नत कर दिया गया ।

जिला कृषि अधिकारी, बांदा के माध्यम से चने की खरीद में बरती गई अनियमितताएं

*4—श्री देवकुमार यादव (जिला बांदा)—

क्या यह सही है कि सन् 1972–73 में वर्तमान जिला कृषि अधिकारी बांदा, के माध्यम से की गई चने की खरीद में बरती गई अनियमितताओं के संबंध में आडिट ने घोर आपत्तियां निकाली हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी मुख्य-मुख्य बातों की जानकारी देगी और जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

कृषि राज्यमंत्री (श्री चेतराम गंगवार)—

मंडलीय लेखादल, झांसी ने कुछ आपत्तियां की थी जिसकी मुख्य-मुख्य बातें निम्न प्रकार हैं :—

(1) विभागीय निर्देशों के विपरीत स्टाक बिना छना हुआ क्रय करके विभागीय व्यय पर छनवाया गया जिससे शासन को हानि हुयी ।

(2) छानन को बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति लिये नीलाम कर दिया गया ।

(3) जिला कृषि अधिकारी ने इस क्रय में हुयी हानि की सर्वे रिपोर्ट स्वीकृत की जिसके लिये वह सक्षम नहीं थे ।

उक्त मामले की जांच जेष्ठ लेखाधिकारी (आडिट) द्वारा कराने पर आपत्तियां औचित्यहीन पाई गईं । ऐसी स्थिति में किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री देव कुमार यादव :—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस चने की खरीद फरोख्त करने के लिये कोई उप समिति भी गठित की गयी थी और उसने कोई आदेश भी दिये थे इसके लिये यदि हां, तो इस समिति के आदेशों का उल्लंघन करके कृषि अधिकारी ने अपने

ही माध्यम से खरीद फरोख्त क्यों की तथा यह घोटाला किया और समिति के आदेशों की उपेक्षा क्यों की ?

कृषि मंत्री (वीरेन्द्र वर्मा श्री)--

इसके लिये एक समिति गठित हुई थी, यह ठीक है। मगर किसी भी प्रकार का कोई घोटाला नहीं हुआ। घोटाले का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया। टेन्डर मांगे गये थे, 132 रुपये प्रति क्वीन्टल का एक व्यक्ति का टेन्डर आया था। बाजार से 129.34 रुपये के हिसाब से खरीदा गया।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

जब इसके लिये आपके विभाग में नियम बने है तो नियमों के खिलाफ कार्यवाही क्यों हुई ? नियमों के अन्तर्गत कमेटी बनी, कृषि अधिकारी ने कमेटी का उल्लंघन क्यों किया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

उसी कमेटी की देखरेख में ही यह क्रय किया गया था।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

यह स्वीकार किया गया कि चना साफ आदि कराने में विभाग को कुछ नुकसान हुआ तो छनन कराने में कितना खर्च हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

छनन पर 4275.55 रुपये व्यय हुये।

श्री ऊदल--

जब छनन पर इतना व्यय हुआ जिसके कारण नुकसान भी हुआ तो 132 रुपये का जो टेन्डर आया था उसी से खरीद क्यों नहीं की गयी क्योंकि वह तो साफ कराके देता, आपको यह व्यय छनन पर न करना पड़ता तो यह जो ज्यादा व्यय करना पड़ा इसके लिये कृषि अधिकारी के खिलाफ आप कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

छनन पर व्यय करने के बाद भी वह 130 रुपये प्रति क्वीन्टल ही पड़ा। नुकसान कोई नहीं हुआ।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)--

छनन का कार्य तथा नीलाम का कार्य जो किया गया वह उस अधिकारी के अधिकार क्षेत्र से बाहर था और उसने नियमों के खिलाफ काम किया। तो उस अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही अब तक न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, मैंने बतया कि यह कार्य किसी एक व्यक्ति का नहीं है बल्कि जो तीन सदस्यों की समिति बनी थी उसकी देखरेख में यह क्रय किया गया और चूंकि खुले बाजार से क्रय किया गया था या तो छनन कराते तो उसका भाव 132 रुपये प्रति क्विंटल पड़ता छने हुये चने का केवल एक टेंडर आया था। मारकेट से जो चना 129 रुपये प्रति क्विंटल लिया गया था उसे छनने के बाद 130 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से दूसरे जिलों को भेज दिया गया।

गोंडा जिले में सहकारी ऋण की वसूली के संबंध में किसानों की सम्पत्ति की नीलामी

*5---श्री दीप नारायण पान्डेय (जिला गोंडा)---

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करगे कि विगत 6 मास में गोन्डा जिले में सहकारी ऋण की कितनी वसूली हुई? इस सम्बन्ध में कितने किसानों की चल व अचल सम्पत्ति नीलाम की गई तथा कितने लोगों ने इस बात की शिकायत अधिकारियों से की कि उन लोगों ने पैसे कर्जा पर नहीं लिया, लेकिन फिर भी कार्यवाही नहीं की गई ?

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री विजय कुमार)---

गोन्डा जनपद में विगत छः माह में मु0 1,06,42,719.00 (एक करोड़ छः लाख बयालीस हजार सात सौ उन्नीस रु0 मात्र) सहकारी ऋण की वसूली हुई ।

इस सम्बन्ध में 134 किसानों की चल व अचल सम्पत्ति नीलाम की गयी ।

पैसा कर्जा पर न लेने के सम्बन्ध में 120 किसानों के शिकायती-पत्र प्राप्त हुये जिनमें से 45 की जांच की जा चुकी है और शेष 75 की जांच जारी है ।

श्री दीप नारायण पान्डेय---

हमारे गोंडा जिले में जिस तरीके से वसूली हो रही है, अधिकारियों ने डकैती मारी है और वहां के लोगों को बुरी तरह से परेशान किया है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन लोगों ने कर्जा नहीं लिया था और उनके नाम पर कर्जा चढ़ाया गया है तो जिन लोगों ने यह कर्जा चढ़ाया है, उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री विजय कुमार---

45 शिकायतें थीं जिनकी जांच की जा चुकी है उनमें से केवल एक शिकायत सही पायी गयी है और बाकी 44 निराधार पायी गयीं जो शिकायत सही पायी गयी उससे सम्बन्धित व्यक्ति भी जो श्री ललनधर मंत्री व्यवस्थापक थे सोसाइटी के, उनको निलम्बित कर दिया गया है और उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है ।

श्री दीप नारायण पांडेय---

जितने लोगों ने कर्जा नहीं लिया था, उनमें से कितने लोगों से वसूली हुई और कितने लोगों का सामान नीलाम किया गया है ?

श्री विजय कुमार---

इस प्रकार की कोई सूचना तो है नहीं कि जिन्होंने कर्जा नहीं लिया था उनसे भी कर्जा वसूली हुआ है ।

श्री दीप नारायण पांडेय---

क्या सरकार गोंडा जिले में जितनी वसूली हुई है या जितनी गड़बड़ी हुई है, उसकी एक उच्च स्तरीय जांच करवाने का कष्ट करेगी ?

श्री विजय कुमार---

जांच तो हुई है । अगर माननीय सदस्य इस सम्बन्ध में लिखित शिकायत इस प्रकार की कोई देंगे तो उसकी जांच जरूर करा ली जायगी ।

श्री दीप नारायण पांडेय —

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगें कि सघन सहकारी समिति, ललवा जिस पर 5 हजार रुपये बाकी हैं उससे एक पैसा भी अभी तक वसूल नहीं हुआ है? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो ब्योरे का प्रश्न आप कर रहे हैं।

श्री विजय कुमार—

यह एक नयी चीज है, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है।

श्री दीप नारायण पांडेय—

बमनान सहकारी समिति के एक व्यक्ति जिसका नाम मुझे याद नहीं, पर 5 हजार रुपये के कर्जे का नोटिस कोआपरेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से गया है और उसने एफिडेविट लगा-कर दिया है कि उसने कोई पैसा नहीं लिया है फिर भी उसके बैल और चल तथा अचल सम्पत्ति का नीलाम किया गया है तो वह यह किस कानून के मतहत किया गया है ?

श्री विजय कुमार—

माननीय सदस्य को स्वयं उस व्यक्ति का नाम याद नहीं है तो नाम याद करके लिखित रूप में देंगे तो जरूर जांच करवा ली जायगी।

क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, पयागपुर बहराइच, के सचिव, श्री कैलाश प्रसाद गुप्ता का अरहर के घोटाले के संबंध में निलम्बन

*6—श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्रय-विक्रय सहकारी समिति लिमिटेड, पयागपुर, जिला बहराइच को वर्ष 1974 में तत्कालीन सचिव (श्री कैलाश प्रसाद गुप्ता) क्रय-विक्रय समिति लिमिटेड पयागपुर के द्वारा चार सौ कुन्टल अरहर बलरामपुर की किसी फर्म के हाथ बेचकर कमीशन में दिखा दिए जाने से समिति को लगभग दस हजार रुपये की क्षति हुई है और इस सम्बन्ध में फरवरी–मार्च, 1975 में जिलाधिकारी, बहराच को सदस्य बोर्ड ने लिखित सूचना भी दी है ? यदि हां तो शिकायतें क्या है और क्या कर्यवाही अब तक की गई ?

सहकारिता मंत्री (श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा)

प्रश्न में उल्लिखित शिकायत शासन की जानकारी में है।

जिला अधिकारी, बहराइच को फरवरी, 1975 में उक्त शिकायत प्राप्त हुई थी।

जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। उस पर जांच कराई गई और प्रश्न में उल्लिखित कर्मचारी को निलम्बित कर दिया गया।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 162 पर)

परिवहन निगम में पकड़े गये गबन के मामले

*7—श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी गढ़वाल)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेगें कि चालू वर्ष में उनके विभाग के सतर्कता सेल ने उत्तर प्रदेश राजकीय सड़क परिवहन निगम में कितने मामले और कितनी -कितनी धनराशि के, गबन के पकड़े है? दोषी व्यक्तियों को अब तक क्या दण्ड दिया गया है ?

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के अन्तर्गत कोई सतर्कता सेल नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारतीय पुलिस सेवा दल के एक अधिकारी की नियुक्ति निगम में मुख्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर दिनांक 18 सितम्बर, 1973 से की गई है। इस अधिकारी का कार्य सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के अतिरिक्त निगम की कर्मशालाओं, भण्डारों एवं बस स्टेशनों का आकस्मिक निरीक्षण करना भी है।

चालू वित्तीय वर्ष में मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा इस प्रकार के निरीक्षण के फलस्वरूप माह सितम्बर की 11 व 23 तारीखों को क्रमशः देहरादून तथा लखनऊ क्षेत्र में रुपये 6,178.37 तथा रुपये 70,000 गबन के मामले सामने आये हैं।

देहरादून का गबन दिनांक 1/9/75 से 11/9/75 के बीच में किया गया। गबन की गई धनराशि रु0 6, 178.37 पैसे दिनांक 12 सितम्बर, 1975 को श्री सुरेशचन्द्र गुप्ता कैशियर द्वारा जमा कर दी गई। इस गबन के लिये श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता को दोषी पाया गया था, जिन्हें दिनांक 12 सितम्बर, 1975 को निलम्बित कर दिया गया। मामले की विभागीय जांच के लिये दिनांक 29/10/1975 को श्री आर0 एन0 गुप्ता सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक सहारनपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्होंने गवाहों के बयान के लिये दिनांक 7 अप्रैल, 1976 की तिथि निश्चित की है।

श्री गुप्ता के विरुद्ध केवल विभागीय कार्यवाही की जा रही है, क्योंकि उन्होंने गबन की गई पूर्ण धनराशि जमा कर दी है। इस संबंध में संबंधित सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (यातायात) श्री मुहम्मद जाफर की चरित्र पंजिका में कार्यालय पर बांछित नियंत्रण न रखने के लिये प्रतिकूल प्रविष्टि करके उनका स्थानान्तरण टनकपुर कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम से प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ क्षेत्र के कैसरबाग डिपों में गबन की रिपोर्ट पुलिस में लिखा दी गई है। यह रिपोर्ट सर्वश्री एम0पी0 मेहरोत्रा एवं आर0पी0 यादव, सहायक कोषाध्यक्षों के विरुद्ध लिखाई गई है क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से वही लोग गबन के लिये उत्तरदायी पाये गये थे। साथ ही सर्वश्री वी0 बी0 पी0 एन0 सिंह, यातायात स्टेशन अधीक्षक एवं श्री वी0 सी0 जोशी, वरिष्ठ केंद्र प्रभारी को कर्त्तव्य पालन में असावधानी के कारण निलम्बित कर दिया गया है।

पुलिस द्वारा अभी जांच जारी है तथा पुलिस द्वारा न्यायालय में मुकदमा दायर करने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। विभागीय जांच भी चल रही है। जिसके आधार पर श्री वी0वी0पी0एन0 सिंह को अभियोग पत्र दिया जा चुका है। उपर्युक्त प्रकरण के लिये क्षेत्रीय प्रबन्धक, लखनऊ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। क्षेत्रीय प्रबन्धक को सभी संबंधित अभिलेखों की जांच शीघ्र पूर्ण करवाने के लिये निदेश दे दिया गया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि उस अधिकारी का स्थानान्तरण टनकपुर को कर दिया गया है। तो क्या मैं यह समझूं कि सरकार की यह नीति है कि जिनको पनिशमेंट मिले उनको पहाड़ पर भेज दें ?

श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त—

चूंकि आप पहाड़ी क्षेत्र के हैं इसलिये उसी क्षेत्र में उनको भेज दिया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि देहरादून में जो अधिकारी गबन के लिये जिम्मेदार था वह टेम्पेरेरी इम्बजलमेंट था। तो आप विभागीय कार्यवाही कर रहे हैं और पुलिस के हवाले न करने का क्या कारण है ? पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज करायी गयी ?

श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त---

मान्यवर, लखनऊ के मामले में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी ---

मान्यवर, दो मामले गबन के हैं एक लखनऊ में जिसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और दूसरा देहरादून में लेकिन वहां आप केवल विभागीय कार्यवाही कर रहे हैं, तो पुलिस में दर्ज न कराने का क्या कारण है?

श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त---

मान्यवर, एक मामले में पूरी-पूरी धनराशि आ गयी है इसलिये विभागीय कार्यवाही की जा रही है और दूसरे में एफ०आई०आर० लाज करा दी गयी है।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह ---

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 4-5 महीने के अन्दर एक मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने 76 मामले पकड़े हैं तो उसको देखते हुए इस बड़े विभाग में क्या मंत्री जी सतर्कता सेल स्थापित करने के लिये सोचेंगे ?

श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त --

अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न था उसका उत्तर मैं दे चुका हूं और अब तक के जो गबन थे वह बता दिये। यदि पुनः गबन होगा तो उसका जवाब तब देंगे।

श्री काशी नाथ मिश्र --

अध्यक्ष जी, गबन देहरादून और लखनऊ दो जगह हुए। एक मामले में पूरी धनराशि जमा हो गयी इसलिये विभागीय कार्यवाही की गयी और दूसरे में पुलिस के हवाले किया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह शासन की नीति है, गबन करके गबन यदि पकड़ा जाय तो धन जमा कर दो और पुलिस से मुक्त कर दिया जायेगा?

श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त --

मान्यवर, इसमें कमी नहीं रही है कि किसी भी दोषी कर्मचारी को दंडित न किया जाय। माननीय सदस्य यह जहां तक पूंछे कि इसमें जमा कर दिया है तो वह रकम जमा करवा ली गयी है और कार्यवाही भी अभी जारी है।

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव (जिला जौनपुर) --

अध्यक्ष जी, रामचन्द्र बक्श जी ने जो सवाल उठाया है वही मैं भी इसमें कहना चाहता हूं कि कृषि, सहकारिता और ऐसे विभाग जहां परिवहन विभाग से कम भ्रष्टाचार देखने में आते हैं उनमें सतर्कता सेल की स्थापना कर दी गयी है। परिवहन विभाग में निरन्तर शिकायतें मिलती हैं कि कंडेक्टर और ड्राइवर से एक-एक डेढ़-डेढ़ हजार रुपया लेकर नियुक्त किया जाता है और डीजल तथा अन्य सामान की चोरी होती रहती है जिससे करोड़ों रुपये का घाटा होता रहता है। पिछले वर्ष उसी के कारण 40 प्रतिशत किराया की बढ़ोत्तरी की गयी। तो इसको देखते हुए क्या सरकार सतर्कता सेल को स्थापित करने का निश्चय करेगी ?

श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्त --

मान्यवर, अपने उत्तर में मैंने सदन को बता दिया है कि हमारे यहां कोई सतर्कता सेल नहीं है लेकिन इसकी स्थापना करने में मुख्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा काम लिया जा रहा है और शासन विचार कर रहा है। जो माननीय सदस्य चाहते हैं उस पर कठोर कठोर कदम उठायेंगे।

[6 अप्रैल, 1976 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री अठई राम—

[दूसरे गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 19 पर उत्तरित ।]

*2—श्री अठई राम—

[दूसरे गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 19 पर उत्तरित ।]

*3-4— श्री रामसुन्दर पान्डेय—

[दूसरे मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 15 पर उत्तरित ।]

कृषि विभाग में अतिरिक्त कृषि निदेशक की नियुक्ति

*5—श्री ऊदल—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 1973 से दिसम्बर, 1974 तक कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश में 3 एडीशनल डाइरेक्टर बनाये गये ? यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ? क्या यह सीनियारिटी को लांघ कर बनाये गये हैं ?

श्री चेतराम गंगवार—

केवल दो अधिकारी सर्वश्री हरिहर प्रसाद सिंह तथा हर्षदेव नैथानी को तदर्थ रूप म अतिरिक्त कृषि निदेशक के पदों पर नियुक्ति किया गया ।

जी हां, अनुपयुक्त अधिकारी अतिक्रमित किये गये हैं ।

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि कितने अनुपयुक्त अधिकारी थे जो सीनियर थे और उनका अतिक्रमण हुआ ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, तीन अधिकारी ऐसे थे जिनका अतिक्रमण किया गया एस0 सी0 भटनागर, बी0 बी0 त्यागी और डा0 अम्बिका प्रसाद ।

श्री ऊदल—

क्या यह बात सत्य है कि जिनका अतिक्रमण किया गया उनकी अपीलें भी शासन में विचाराधीन हैं और वे अधिकारी पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव्ड थे और जिनका चयन किया गया यह पब्लिक सर्विस कमीशन से न तो डिप्टी डाईरेक्टर के लिये, न ज्वाइन्ट डाईरेक्टर के लिये और न ही एडीशनल डाइरेक्टर के लिये अप्रूव्ड हैं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, शासन में दो अधिकारियों ने अपील की है । श्री एस0 सी0 भटनागर जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन से संयुक्त निदेशक के लिये एप्रूव्ड थे, उन्होने हाईकोर्ट में अपील की हुई है ।

श्री ऊदल—

क्या यह बात सत्य है कि जबका यह सवाल है तब एडीशनल डाइरेक्टर की बात थी और अभी माननीय मंत्री जी ने उन्हीं सज्जन को कृषि निदेशक के पद पर नियुक्त कर दिया है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

हां, मान्यवर, कृषि निदेशक तो हैं ही वे, जो अतिरिक्त निदेशक की बात है उस समय सरकार की एक समित ने जिसमें मुख्य सचिव, कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव

नियुक्ति होते हैं उसने 4-10-74 को तीन आदमियों का अतिक्रमण कर उनकी नियुक्ति अतिरिक्त कृषि निदेशक के पद पर कर दी थी।

श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

जो मौजूदा निदेशक श्री हरिहर प्रसाद सिंह हैं क्या यह सत्य है कि यह डिप्टी डाईरेक्टर, ज्वान्ट डाईरेक्टर, अतिरिक्त डाईरेक्टर के पद पर पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव्ड नहीं थे जबकि एस0 सी0 भटनागर कंफर्म्ड थे ? श्री भटनागर का अतिक्रमण कर इनको निदेशक बना दिया गया तो इनमें कौन सी अतिरिक्त क्वालिफिकेशन्स थीं ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

डिप्टी डाइरेक्टर, पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव्ड थे ज्वान्ट डाईरेक्टर के पद के लिये भी उनका एप्रूवल हुआ था लेकिन चूंकि तीन वर्ष हो गये और एज ज्वान्ट डाईरेक्टर उनकी नियुक्ति न हो सकी। ऐसा समझा जाता है कि एक वर्ष बाद वह एप्रूव्ड नहीं माने जाते। ऐसी स्थिति में डिप्टी डाईरेक्टर तो एप्रूव्ड है। ज्वान्ट डाईरेक्टर के लिये एप्रूव्ड हो चुके थे लेकिन तीन साल तक नियुक्ति न होने के कारण यह कहा जा सकता है कि वह एप्रूव्ड नहीं हैं। दूसरे आदमियों को उपयुक्त नहीं पाया गया इस लिये उनका अतिक्रमण कर दिया गया।

श्री काशी नाथ मिश्र--

मेरी व्यक्तिगत जानकारी है कि श्री हरिहर सिंह से बढ़कर संजीदा और गारन्टी वाला आदमी नहीं है। कुछ माननीय सदस्य और लोगों का प्रयत्न चल रहा है कि उनको वहां से हटा दिया जाय। कृषि निदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति बहुत ही ठीक है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि पब्लिक सर्विस कमीशन से कोई लिस्ट आती है और एक साल तक पद नहीं दिया जाता तो कानूनन वह समाप्त हो जाता है और पब्लिक सर्विस कमीशन की संस्तुति कोई मतलब नहीं रखती। जहां तक विशेष योग्यता का सवाल है तो कोई कमीशन बैठाकर जानकारी कर लें कि हरिहर सिंह कोई कपीटेन्ट आदमी विभाग के अन्दर है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, उनको कम्पीटेंट समझ कर ही 3 आदमियों की जो उच्च अधिकारियों की कमेटी बनी थी उसने उनका चयन किया कृषि निदेशक के पद के लिये।

श्री काशीनाथ मिश्र--

किसी आदमी के चरित्र हनन करने के लिये ही इस प्रकार का प्रश्न उठाया जाता है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

जैसा कि माननीय कृषि मंत्री जी ने कहा कि कमेटी की शिफारिसों को देखते हुये कोई ऐसे पद का सृजन करें जहां पर इनका चयन किया जा सके।

(मंत्री जी को उत्तर के लिये नहीं पुकारा गया)

श्री ओम प्रकाश श्रीवास्तव--

जिन अधिकारियों को सुपरसीड किया गया क्या उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार की जांच भी चल रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जी नहीं।

श्री ऊदल--

क्या कारण है कि उन अधिकारियों को अनुपयुक्त पाया गया क्योंकि सीनियर मोस्ट होते हुये भी, पब्लिक सर्विस कमीशन से एप्रूव्ड होते हुये भी उनको अनुपयुक्त समझा गया ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, श्री भटनागर कमीशन से ज्वाईन्ट डाईरेक्टर के पद के लिये एप्रूव्ड थे परन्तु उनको मशीनरी वगैरह की जानकारी थी और खेतीबाड़ी की इतनी अधिक जानकारी नहीं थी और इसलिये उनको अतिक्रमित किया गया। डा० त्यागी वे सांख्यकी पद के लिये संयुक्त निदेशक के पद के लिये एप्रूव्ड थे और उनकी फील्ड और कृषि ज्ञान नहीं था। डा० अम्बिका प्रसाद हार्टीकल्चर में डिप्टी डाईरेक्टर थे तथा ज्वाईन्ट निदेशक थे उनका भी यह समझ कर कि कृषि के विकास तथा उत्पादन के लिये प्रदेश के इन्ट्रेस्ट में वे अनुपयुक्त नहीं होंगे कि उनको निदेशक बनाया जाय। इसलिये इन लोगों को अतिक्रमित किया गया।

*6--श्री रामसुन्दर पान्डेय--

[5 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 3 पर स्थानान्तरित।]

*7--श्री हरीश कुमार गंगवार

[2रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 62 पर स्थानान्तरित]

उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ के संयुक्त मन्त्री द्वारा कृषि मंत्री को दिया गया मांग पत्र

*8--श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच) (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, 1975 में बस्ती जाने पर उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का कोई प्रतिनिधि मण्डल संयुक्त मंत्री (श्री राम संवारे हरिजन) के नेतृत्व में उन्हें मिला और आठ सूत्री मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत किया? यदि हां, तो उनकी मांगें क्या-क्या हैं और सरकार ने उनकी मांगों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जी हां।

मांगों की सूची संलग्नक 1 पर है।

मांगों के सम्बन्ध में स्थिति संलग्नक 2 में है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 163 पर)

*9--श्री बाबू लाल वर्मा--

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।]

फर्रुखाबाद में क्रैश-प्रोग्राम के अन्तर्गत विकास खण्ड, कमालगंज में सड़क का निर्माण

*10--श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)--

विधान सभा के प्रथम सत्र 1975 के 8 वें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 10 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद फर्रुखाबाद में कार्य वर्ष 1971-72 से प्रारम्भ हुआ था, में विकास खण्ड कमालगंज की कौन सी सड़क मंजूर की थी? सरकार अपनी ओर से या जिला परिषद् द्वारा इस सड़क निर्माण को प्राथमिकता देगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

जी हां, फर्रुखाबाद जनपद में क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 में कार्य प्रारम्भ हुआ था, किन्तु कमालगंज ब्लाक में निर्माण हेतु कोई सड़क मंजूर नहीं हुई थी।

क्रैश प्रोग्राम समाप्त हो चुका है। इसलिये उसके अन्तर्गत किसी सड़क के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता है।

शासन ने रु0 54,545 का सहायक अनुदान जिला परिषद्, फर्रुखाबाद, को मार्च, 1976 में फर्रुखाबाद जनपद में सड़कों के रख रखाव, सुधार, नवीनीकरण तथा निर्माण के प्रयोजनार्थ स्वीकृत किया है और जिला परिषद् अपने विवेकानुसार सड़क का निर्माण करा सकती है।

श्री अनवार जमील--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जिला फर्रुखाबाद में 7 ब्लाक्स हैं। 6 में तो सड़कें मंजूर की गई लेकिन ब्लाक कमालगंज जो सबसे बड़ा ब्लाक और सबसे पिछड़ा ब्लाक है, क्रैश प्रोग्राम में कोई भी सड़क नहीं मंजूर की गई। क्या माननीय मंत्री जी वहां के लिये कोई सड़क मंजूर करेंगे अथवा जिला परिषद् से प्राथमिकता के आधार पर वहां पर कोई सड़क मंजूर करवाने की कृपा करेंगे ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी --

उनको जो 54 हजार रुपया हमने दिया है उसके जरिये अगर माननीय सदस्य चाहेंगे, तो जिला परिषद् सड़क का निर्माण करवा सकती है।

श्री अनवार जमील--

क्या शासन इस बात का आश्वासन देगा कि जो सड़क मैं प्रस्तावित करूं उसे वह बनवा देगा ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी--

माननीय सदस्य अगर किसी सड़क में दिलचस्पी रखते हैं और वह लिख कर देंगे तो मैं जरूर मदद करूंगा।

श्री रुद्र प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

क्रैश प्रोग्राम के अन्तर्गत जो अन्य जिलों की सड़कें बनी हैं उनके लिये क्या सरकार धन आवंटित करेगी ?

श्री अध्यक्ष --

इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

*11--श्री कमला प्रसाद वर्मा--

[5 वें मंगलवार में ता0 प्र0 सं0 12 पर स्थानान्तरित]

*12-13--श्री श्रीनारायण--

[स्पष्टीकर के अभाव में निरस्त।]

कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*14. चौधरी रामपाल सिंह यादव (जिला कानपुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध मई, 1974 से 26 फरवरी 1975 तक शासन का किस-किस से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? क्या इन शिकायतों की जांच के लिए विजिलेन्स को दिया गया था? यदि हां, तो जांच के बाद कौन-कौन से तथ्य सामने आये और शासन ने कृषि निदेशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की?

श्री चेतराम गंगवार—

(क) इस अवधि में निम्नांकित व्यक्तियों से एक-एक-पत्र प्राप्त हुआ जिनमें शिकायतें की गई थी—

(1) श्री रवीन्द्र प्रताप सिंह, एडवोकेट, मुरादाबाद।
(2) श्री सत्य नारायण सिंह तोमर, बिजनौर।
(3) श्री मदन प्रताप सिंह, बलिया।
(4) श्री भूपसिंह केन, हापुड़।
(5) श्री राम जी लाल, लखनऊ।
(6) श्री भवानी शंकर दीक्षित, उन्नाव।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

इन कृषि निदेशक के विरुद्ध जो शिकायतें की गयी हैं वे किस प्रकार की हैं और वे कौन-कौन से आरोप हैं?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

अनेक प्रकार की शिकायतें उनके खिलाफ हैं। बिरादरी बाजी, गाजियाबाद व मुजफ्फरनगर में प्लाट व मकान, बड़ौत में मकान आदि की शिकायतें हैं। पंजाब में गेहूं खरीदा उसमें शासन को हानि हुई। सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग किया। जाट कर्मचारियों को मेरठ व मथुरा स्थानान्तरित किया। भूमि संरक्षण में ठेकेदारों से कमीशन लिया। कृषि विभाग में हड़तालें कराने में प्रोत्साहन दिया। लाखों रूपये का गबन किया। लड़की की शादी में बहुत धन दिया और अवैध धन अर्जित किया। ये अनेक शिकायतें उनके खिलाफ थीं।

चौधरी रामपाल सिंह यादव—

ये भ्रष्टाचार तथा अनियमितता की बहुत ही गंभीर शिकायतें हैं तो उनके खिलाफ अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गयी? प्रभावशाली ढंग से इन शिकायतों के बारे में जांच करा कर क्या माननीय मंत्री जी इनको दंडित करेंगे?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

ये शिकायतें सन् 70 से चली आ रही हैं। एक दो आदमी तो ऐसे हैं जो लखनऊ के हैं जैसे राम जी लाल, लाटूश रोड, लखनऊ। उनको बुलाया लेकिन वह आये नहीं और न उन्होंने यह सूचना दी कि इस पर कोई ऐसा आदमी रहता है। प्लाट तथा मकान की बहुत मोटी सी बात है, जैसे मेरठ में तीन लाख रुपये का मकान बना लिया। मेरठ में एक प्लाट 9 हजार रुपये का खरीदा था 63 में जिस पर एक सूट बना हुआ है और जिसका किराया 475 रुपया

माहवार आता है। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में 1,600 वर्ग गज का प्लाट है और अब भी खाली पड़ा है। गाजियाबाद, मोहकमपुर, किशनपुर, बड़ौत में उन्होंने कोई जमीन नहीं खरीदी है। एक बात यह सही है कि उनके गांव में 3/4 एकड़ जमीन उनके नाम है और 7.37 एकड़ जमीन उनकी पत्नी के नाम है। दोनों को मिल कर गांव में कुल उनकी जमीन 12 एकड़ है।

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ) --

मान्यवर, मैं आपके जरिये से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जो चार्जेज लगाये गये हैं। वे गंभीर हैं इन्हें मंत्री जी नें भी स्वयं स्वीकार किया है। इसी के तहत क्या मंत्री जी विजीलेन्स की जांच करवायेंगे कि अगर वास्तव में गम्भीर चार्जेज हैं, तो विजीलेन्स निकाल लेगा। अगर जांच में यह सिद्ध हो जाते हैं तो क्या उनके खिलाफ मंत्री जी कार्यावाही करेंगे ? इसमें दिक्कत क्या है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

कोई दिक्कत नहीं है। डी0 एम0, मेरठ और मुजफ्फरनगर से पूछा गया था। मुजफ्फरनगर में 52 में प्लाट खरीदा और मेरठ में 63 में खरीदा था। 66 में मेरठ में मकान बना और उसका जो किराया लिया जा रहा है वह मैंनें आपको बता दिया। मेरठ और मुजफ्फरनगर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने जो रिपोर्ट दी है उसके आधार पर किसी बात की जानकारी नहीं हुई, अलबत्ता जो तारीख माननीय सदस्य ने इस प्रश्न में दी है उसके बाद किसी भी प्रकार की कोई शिकायत आयी है, तो वह सतर्कता आयोग को भेज दी गई हैं।

श्री दीपनारायण पान्डेय --

जो जांच रिपोर्ट आप पढ़ रहे हैं वह किसकी जांच रिपोर्ट है ? क्या यहसही है कि यह जांच रिपोर्ट ब्रह्म सिंह द्वारा बनाकर आपको भेजी गई है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा --

मैंने आपको बताया कि जिसके खिलाफ शिकायतें हों और जो शिकायतकर्ता होता है, दोनों से पूछा जाता है। मेरठ और मुजफ्फनगर के डी0 एम0 से भी पूछा गया था।

श्री मंजूर अहमद--

मैंने पूछा था कि क्यों नहीं विजीलेन्स से जांच कराते हैं ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

चौधरी रामपाल सिंह यादव --

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि और जैसा कि हम सब लोगों को विश्वास है कि अगर वे अपने जमानें में इस भ्रष्टाचार की जांच करा लें तो पूरे तथ्य सामने आ जायेंगे। ये अधिकारी अभी भी हैं। तो क्या माननीय मंत्री जी विजिलेन्स की जांच इस मामले में करवायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, मैंने अभी बताया कि जिन तिथियों की सूचना माननीय सदस्य नें मांगी थी, उसके बाद जो भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, वे सतर्कता आयोग के पास गई हैं।

श्री काशीनाथ मिश्र --

मान्यवर, मैं स्पष्ट मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि माननीय ऊबल जी जो भ्रम फैलानें जा रहें हैं कि यह आरोप हरिहर सिंह के खिलाफ लगे है या ब्रह्मसिंह के खिलाफ है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से चाहूंगा कि भूतपूर्व कृषि निदेशक ब्रह्म सिंह रिटायर हो चुके हैं। ये जो सारे आरोप लगाये गये हैं उनके सम्बन्ध में पुलिस में रिपोर्ट करके उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा --

मान्यवर मैं तीसरी बार बता रहा हूं कि जो तारीख इस प्रश्न में पूछी गयी थी और उसके बाद जो शिकायतें प्राप्त हुई थी, उनकी जांच सतर्कता आयोग को भेज दी गई है ।

श्री ऊदल---

मान्यवर, काशीनाथ जी चाहते हैं कि ये सबको सुपरसीड करके राष्ट्रपति हो जायं और बाकी लोग मारे जायं ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मान्यवर, अगर सीनियर आदमी भ्रष्ट है तो शासन उसको किसी हालत में आश्रय नहीं दे सकता है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव--

माननीय मंत्री जी ने कहा कि इधर जो शिकायतें उनके खिलाफ आई वह सतर्कता आयोग के पास भेज दी गई । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो शिकायतें पहले की हैं उनको भी सतर्कता आयोग से जांच करायेंगे ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा --

मान्यवर, इस प्रकार की शिकायतें 1970 से की जा रही हैं । यही शिकायतें 1970 में थी तो इनकी सतर्कता आयोग छानबीन कर रहा है ।

श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि प्लाट उनकी पत्नियों के नाम है । तो मैं जानना चाहता हूं कि उनकी कितनी पत्नियां हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा --

मान्यवर, एक पत्नी से उनका संबन्ध विच्छेद 1946 में हो गया था । दूसरी पत्नी उनके पास है । अतः अब एक ही पत्नी है ।

श्री रुद्र प्रसाद ---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बात को सुनिश्चित करा लिया गया है कि उन्होंने कोई बेनामी ट्रांजेक्शन तो नहीं करा रखी है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा --

मान्यवर, कई दफे उत्तर दिया जा चुका है कि उनके और उनकी पत्नी के नाम उनके गांव में 12 एकड़ जमीन है और 16 वर्ग गज का एक प्लाट मुजफ्फरनगर में है और एक प्रभात नगर, मेरठ में उनकी पत्नी के नाम प्लाट है इसके अलावा कोई जमीन नहीं है ।

श्री रुद्र प्रसाद--

क्या इस बात को सुनिश्चित कर लिया गया है कि कोई बेनामी ट्रांजेक्शन तो नहीं की है । दूसरे के नाम जमीन ली हो और उनके पास तो क्या इस बात को सुनिश्चित कर लिया गया है ।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने बता दिया है । अगर आप सुनिश्चित हों, तो बतायें ।

श्री रुद्र प्रसाद---

मैं इसलिये कह रहा हूं कि उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी के नाम प्लाट है तो ऐसे लोग नामी ट्रांजेक्शन कर लिया करते हैं तो इसकी जांच विजिलेंस से कराई गई कि इसके अलावा उनके पास कोई जमीन है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष--

वह जवाब दे चुके हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

मान्यवर, मैं चार दफे बता चुका हूं कि इस अवधि में जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं वह छान-बीन के लिये सतर्कता आयोग के पास गई हैं ।

श्री भगवती सिंह बिशारद (जिला उन्नाव)--

मान्यवर, मंत्री जी नें बताया कि यह शिकायत 1970 से आती रही है । तो क्या शासन की यह नीति है कि किसी अधिकारी के खिलाफ शिकायत आती और बाद में सब को इकट्ठा करके एक साथ जांच की जाय ? यदि नहीं, तो जब शिकायतें आई उसी वक्त क्यों नहीं जांच कराई गयी ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मान्यवर, यह बात माननीय सदस्य ने कैसे मान ली इनकी जांच अब करायी गई और उस समय नहीं कराई गई । मैंने बताया कि मेरठ और मुजफ्फर नगर के जिलाधिकारियों से शिकायतें आई मकान आदि बनाने की तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर मैं बता रहा हूं ।

प्रदेश में चूहे मारने हेतु सरकार द्वारा किये गये उपाय

*15---श्री कमला प्रसाद वर्मा (अनुपस्थित)---

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा सर्वेक्षण से पता चला है कि उत्तर प्रदेश में इस समय साठ करोड़ चूहे है और जो दस करोड़ आदमियों के हिस्से का अनाज खा जाते हैं? यदि हां, तो सरकार ने चूहों को मारनें के लिये कौन-कौन से उपाय किन-किन जिलों में किये हैं । यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

जी हां, विस्तृत सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 164 पर)

*16---श्री अनवार जमील---

(5वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 19 पर स्थानान्तरित)

भूमि विकास सेना का गठन और प्रगति

*17---चौधरी राम पाल सिंह यादव---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि भूमि विकास सेना (लैन्ट डेवलपमेन्ट आर्मी) के गठन का शासन नें वर्ष 1974-75 में निर्णय लिया है ? यदि हां, तो इसकी सम्पूर्ण रूपरेखा क्या है और अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी---

जी नहीं, ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

चौधरी रामपाल सिंह यादव---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि वर्ष 1974-75 के बजट भाषण में इस बात का संकेत था ?

श्री हबीबुर्रहमान नोमानी ---

इसकी मुझे सूचना नहीं है ।

खण्ड विकास अधिकारी, लार, जिला देवरिया के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*18---श्री हरिकेवल (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---

क्या सामुदायिक विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें देवरिया जिला के खंड विकास अधिकारी, लार के विरुद्ध ग्राम प्रधानों, सरपंच तथा जनप्रतिनिधियों का इस आशय का शिकायती पत्र 1974-75 में प्राप्त हुआ है कि उन्हें 5 वर्ष से अधिक एक ही जगह पर सेवारत होने तथा उनके कार्यों में जातिवाद का बढ़ावा व सरकारी धन का अपव्यय हो रहा है ? यदि हां, तो अब तक उक्त आवेदनों पर कौन सी कार्यवाहियां की जा रही है ?

श्री रामजी लाल सहायक---

खंड विकास अधिकारी, लार के विरुद्ध वर्ष 1974-75 में शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसकी विस्तृत जांच कराई गई तथा शिकायतें तथ्यहीन पाई गईं ।

*19---श्री हरि केवल---

[1ले मंगलवार में ता0 सं0 32 पर उत्तरित ।]

*20---श्री बेनी प्रसाद वर्मा---

[4थे बुधवार में ता0 प्र0 सं0 45 पर स्थानान्तरित ।]

फर्रुखाबाद में आलू के निर्जलीकरण कारखाने की स्थापना

*21---श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या कृषि मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार फर्रुखाबाद में आलू का निर्जलीकरण कारखाना लगाने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस योजना पर कब तक कार्य होने की आशा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चेतराम गंगवार---

जी नहीं, क्योंकि व्यवसायिक रूप से इस उद्योग में लाभार्जन की गुंजाइश कम है ।

श्री विमल प्रसाद तिवारी---

मैं मान्यवर, आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि गतवर्ष जो केन्द्रीय सरकार में कृषि राज्य मंत्री श्री सिंदे साहब है, उन्होंने घोषणा की थी कि फर्रुखाबाद में आलुओं के लिये निर्जलीकरण प्लांट लगाया जायगा तो क्या उस वक्त उसकी आर्थिक उपयोगिता के बारे में विचार नहीं किया गया था ?

दूसरा, यह कौन-सा अध्ययन दल बना, जिसने यह आर्थिक उपयोगिता में राय दी कि इसमें लाभार्जन की गुंजाइश कम है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, यह बात सही है कि गत वर्ष श्री ए0पी0 सिन्हे ने इस प्रकार का बयान लोक सभा में दिया था उसके पश्चात् भारत सरकार ने कुछ एक्सपर्ट्स फर्रुखाबाद भेजे तथा एक योजना बनाई लेकिन निर्जलीकरण की नहीं बल्कि पाउडर बनाने की और वह योजना हमने भारत सरकार को भेजी हुई है। यह 2 करोड़ रु0 की है जो भारत सरकार के विचाराधीन है। जहां तक यह निर्जलीकरण लाभदायक नहीं होगा या लाभार्जन की गुंजाइश कम है, ऐसा विचार हमारे एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन का है। फिर भी इस पर मैंने कहा है कि इसकी फीजीबेलटी और प्रैक्टिकेबिलिटी पर विचार किया जाय।

श्री विमल प्रसाद तिवारी—

मान्यवर, जैसा माननीय मंत्री जी भी जानते हैं कि फर्रुखाबाद जिले की आलू की यह समस्या प्रतिवर्ष विषम रूप धारण कर लेती है, उसको देखते हुये यह आवश्यक है कि शीघ्रातिशीघ्र उस पर कोई कार्यवाही की जाय। तो जैसा उन्होंने कहा, उन्होंने हार्टीकल्चर डिपार्टमेन्ट से फीजबेलिटी पर रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, तो क्या मंत्री जी विषय की गम्भीरता को देखते हुये इसको लिये कोई समय निश्चित करने की कृपा करेंगे कि इस समयावधि में वह रिपोर्ट आजाए और उस पर तुरन्त कार्यवाही शुरू हो जाय ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कायमगंज जिला फर्रुखाबाद में आलू के चिप्स बनाने का कारखाना स्थापित करने का निर्णय 2 फरवरी, सन् 1976 को लिया जा चुका है और उम्मीद है कि यह काम शीघ्र ही चालू हो जायगा। इसी प्रकार हमारी योजना है कि हापुड़ और जौनपुर में भी आलू के चिप्स के कारखाने की और वह योजना गवर्नमेन्ट आफ इंडिया के पास है। पावलेट प्रोजेक्ट के बारे में जब मेरा बजट पास होगा, तब शायद उस पर मैं कोई प्रकाश डाल सकूं।

श्री अनवार जमीन —

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जिस आलू के पाउडर बनाने के कारखाने का जिक्र उन्होंने किया है, वह कब तक स्थापित हो जायगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, अपने तरीके से एग्रो इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन ने गत वर्ष 1397 के0 जी0 आलू का पाउडर बनाया और वह जो बड़े कारखाने की उन्होंने चर्चा की है, वह तो भारत सरकार के विचाराधीन है। फिर भी मैंने आज ही उद्यान निदेशक से कहा है कि वह दो करोड़ की जो योजना है, जिसमें जमीन की कीमत भी लगाई है उसे देख लें, वह शायद कम हो जाय, तो भारत सरकार उसे स्वीकार कर ले।

श्री देव बहादुर सिंह—

चूंकि फर्रुखाबाद में आलू बहुत होता है, इसलिये वहां पर आलू के चिप्स बनाने का कारखाना खोलने पर क्या सरकार विचार कर रही है ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद में आलू के चिप्स बनाने का कारखाना स्थापित करने का निर्णय 2 फरवरी, 76 को लिया जा चुका है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी —

जो दो करोड़ रु0 की आलू की सम्बन्धित योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है, उसके हेतु क्या माननीय मंत्री जी केन्द्रीय सरकार पर अपने प्रभाव का उपयोग करने की कृपा करेंगे, जिससे अगले साल आलू की फसल आने से पहले इस पर कोई निश्चित कार्यवाही हो सके, ताकि फर्रुखाबाद के किसान को वर्तमान भीषण परिस्थिति से राहत मिल सके ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा —

यहां से रिपोर्ट भेजने के बाद भी श्री ए0 पी0 सिन्हे जी से उसको एक्सपेडाइट कराने के लिये मिल भी चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष —

प्रश्न समाप्त । अब हम आगे चलते हैं ।

*22 श्री विमल प्रसाद तिवारी —

[5वें गुरुवार में ता0 प्र0 सं0 27 पर स्थानान्तरित]

*23 श्री रघुनाथ —

[4थे शुक्रवार में ता0 प्र0 सं0 23 पर स्थानान्तरित ।]

ग्रामीण बस सेवा के भाड़े में वृद्धि

*24 —श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश रोडवेज में एक साथ 40 प्रतिशत किराये की वृद्धि पहले भी कभी की गई थी ? यदि नहीं, तो 1975 में एक साथ 40 प्रतिशत किराये बढ़ाने का औचित्य क्या है ? क्या सरकार 40 प्रतिशत किराये को भी कम करके व यात्रा सुविधा बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो वह क्या योजना है ?

श्री शिव प्रसाद सिंह —

जी नहीं ।

1972 से तेल, ईधन स्पेयर पार्ट्स, चेसिस आदि की कीमतों में निरन्तर अप्रत्याशित वृद्धि तथा कर्मचारियों के वेतन, भत्ते आदि में वृद्धि के फलस्वरूप सवारी गाड़ियों के संचालन व्यय में वर्ष 1972 की तुलना में वर्ष 1975 में काफी वृद्धि हो गई थी। जिसके कारण शासन ने 15 मई, 1975 से ग्रामीण बस सेवा के भाड़े में 40 प्रतिशत वृद्धि किये जाने के निदेश दिये थे। यह वृद्धि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम तथा प्राइवेट सेक्टर की यात्री बसों पर समान रूप से लागू है।

किराये को कम करने का शासन का कोई विचार नहीं है।

यात्रियों की सुविधा हेतु उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने मुख्य रूप से निम्नलिखित कदम उठाये हैं ।

(i) वर्ष 1975-76 में 748 नई गाड़ियां क्रय की गयी हैं ।

(ii) बाडी रीनोवेशन के लिये कानपुर में एक नई कार्यशाला खोली गई है।

(iii) बस-स्टेशनों पर यात्रियों के लिये वाटर कूलर लगाये जा रहे हैं तथा शौचालय एवं मुत्रालयों को अधिकाधिक स्वच्छ रखने के लिये अभियान चलाये जा रहे हैं ।

(iv) नागरीय परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु 186 बसों को क्रय किया जा रहा है।

नोट तारांकित प्रश्न संख्या 21 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

अतारांकित प्रश्न

1 ··श्री ऊदल तथा श्री राम चन्द्र बक्श सिंह ··

[3रे गुरुवार में अता० प्र० सं० 9 पर स्थानान्तरित ।]

2--श्री श्रीनारायण ··

[3रे गुरुवार में अता० प्र० सं० 10 पर स्थानान्तरित ।]

3--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[10वें बुधवार में अता० प्र० सं० 17 पर स्थानान्तरित।]

देवरिया में आलू फार्म बनाने की योजना

4 ··श्री हरि केवल ··

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में राजकीय आलू उत्पादन कृषि फार्म, बरवा के सटे लगभग एक सौ एकड़ सीलिंग से निकली भूमि को फार्म में मिला कर सबसे बड़ा आलू फार्म बनाने की कोई योजना वर्ष 1975 में सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त जमीन को कब तक फार्म में सम्मिलित कर लिया जायेगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा··

जी नहीं ।

5 ··श्री गिरिजा शंकर पाठक··

[7वें गुरुवार में अता० प्र० सं० 6 पर स्थानान्तरित ।]

सुपरवाइजर, कोआपरेटिव सोसाइटी, रतनापुर बहराइच के विरुद्ध शिकायतें

6 ··श्री कमला प्रसाद वर्मा ··

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिलाधिकारी, बहराइच और जिला नियोजन अधिकारी, बहराइच को नवम्बर, 1974 से फरवरी, 1975 के बीच सुपरवाइजर, कोआपरेटिव सोसाइटी, रतनापुर, ब्लाक गिलौला, जिला बहराइच के विरुद्ध किन-किन लोगों ने लिखित शिकायतें दी हैं ? मुख्य शिकायतें क्या हैं और अब तक इन पर क्या कार्यवाही की गई ? उनका स्थानान्तरण न करने का क्या कारण है ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा··

सूचना संलग्न है ।

[देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 165 पर।]

7--श्री बाबू लाल वर्मा ···

[3रे गुरुवार में अता० प्र० सं० 11 पर स्थानान्तरित ।]

8—श्री बाबू लाल वर्मा··

[2रे शुक्रवार में अता० प्र० सं० 13 पर उत्तरित ।]

श्री दीना नाथ सेवक--

[1ले मंगलवार में अता० प्र० सं० 34 पर उत्तरित ।]

10--श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय--

[4थे मंगलवार में अता0 प्र0 सं0 2 पर स्थानान्तरित ।]

11--श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय--

[3रे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 10 पर स्थानान्तरित ।]

12--चौधरी रामपाल सिंह यादव--

[4थे बुधवार में अता0 प्र0 सं0 14 पर स्थानान्तरित ।]

कमालगंज, फर्रुखाबाद में आलू का पाउडर बनाने का कारखाना

13--श्री अनवार जमील--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जनपद, फर्रुखाबाद के प्रमुख आलू उत्पादक केन्द्र कमालगंज में कोई आलू का पाउडर बनाने का कारखाना स्थापित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जी नहीं ।

14--श्री ऊदल तथा श्री रामचन्द्र बक्श सिंह--

[3रे गुरुवार में अत० प्र0 स0 12 पर स्थानान्तरित ।]

बहराइच में त्वरित योजनान्तर्गत सड़कों के निर्माण में धन का दुरुपयोग

15--श्री बाबू लाल वर्मा--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बहराइच जिले में ग्रामीण अंचलों में त्वरित योजनान्तर्गत 1971 से मुख्य सड़क से गांवों को जोड़ने वाली कितनी सड़कों का निर्माण-कार्य आरम्भ किया गया ? अब तक कितना कार्य पूरा हुआ? इस पर अब तक कितना धन खर्च हुआ ? क्या यह सही है कि इस योजना में लाखों रुपयों का गोल-माल किया गया ? यदि हां, तो सरकार ने दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की ?

श्री रामजी लाल सहायक--

बहराइच जनपद में त्वरित योजनान्तर्गत जिला परिषद्, बहराइच द्वारा 9 सड़कों का निर्माण-कार्य 1971 से प्रारम्भ किया गया। अब तक उपरोक्त सड़कों पर कुल 49.5 कि0मी0 मिट्टी का कार्य 42 पुलियों का निर्माण 40.44 मि0 मी0 सोलिंग तथा 32.39 कि0 मी0 कन्सालिडेशन कार्य पूर्ण हो चुका है। इन सड़कों के निर्माण-कार्य हेतु अब तक 28.63 लाख रु0 व्यय किया गया है मिट्टी के कार्य में अनियमितता किए जाने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है जिसकी जांच कराई जा चुकी है ।

16--श्री अब्दुल रऊफ लारी तथा श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

[1ले बुधवार में ता0 प्र0 सं0 27 पर उत्तरित ।]

फर्रुखाबाद के कन्नौज विकास खंड के अन्तर्गत हरिजनों के आवास स्थल हेतु स्वीकृत धनराशि

17– श्री विमल प्रसाद तिवारी –

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला फर्रुखाबाद के कन्नौज विकास खंड में हरिजनों के लिये आवास स्थल विकसित किए जाने की भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत कितने परिवारों के लिये, कितने भूखण्डों के विकास के लिये, कितनी धनराशि और कब स्वीकृत हुई थी और उसमें से कितनी धनराशि उपयोग हो चुकी है तथा शेष धनराशि उपयोग न होने के क्या कारण है ?

श्री रामजीलाल सहायक –

योजनान्तर्गत जनपद फर्रुखाबाद के विकास खण्ड, कन्नौज में 98 हरिजन परिवारों के लिये 98 भूखण्डों के विकास के लिये 14,000 रुपये की धनराशि वर्ष 1972–73 में स्वीकृत हुई थी उसमें से प्रथम किस्त के रूप में 3,500 रुपया की धनराशि स्वीकृत की गई थी जिसे उपयोग किया जा चुका है शेष धनराशि 10,500 रुपया वर्ष 1975–76 में द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत की गई है जिसमें से दिनांक 31 मार्च, 1976 तक 8,497 रुपये उपयोग हो चुके है ।

शेष धनराशि का उपयोग, हरिजन पेय जल कूपों के स्थलों के चयन में कठिनाइयां उत्पन्न होने के कारण न हो सका । यह कार्य वर्ष 1976–77 में पूर्ण हो जायेगा ।

कतिपय विकास खंडों में निर्मित आवासीय क्वार्टरों के स्टैन्डर्ड रेन्ट का निर्धारण

18 श्री विमल प्रसाद तिवारी –

क्या सामुदायिक मंत्री यह बताने की कष्ट करेंगे कि प्रदेश में किस-किस वर्ष में विभिन्न विकास खंडों में कितने आवास क्वार्टर निर्मित हो चुके हैं तथा वर्षवार कितने आवास क्वाटरों का स्टेन्डर्ड रेन्ट तय किया जा चुका है ?

श्री रामजी लाल सहायक –

प्रदेश के विभिन्न विकास खण्डों में वर्ष 1953 से वर्ष 1975 तक कुल 9,381 आवासीय भवनों का निर्माण हो चुका है तथा उनमें 7489 भवनों का स्टेन्डर्ड रेन्ट (मानक किराया) भी तय किया जा चुका है । वर्षवार विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 166–167 पर ।)

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (आकस्मिक व्यय) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री हबीबुर्रहमान नोमानी) –

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या यू0 ओ0 285 डी/33–126-75, दिनांक 16 जनवरी, 1976 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् तथा क्षेत्र समिति (आकस्मिक व्यय) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1975 को उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद्, उ0 प्र0 अधिनियम, 1961 की धारा 237 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापी नहीं गयी ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) नियमावली, 1975†

न्याय मंत्री (श्री प्रभुनारायण सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से कार्मिक अनुभाग--1 की अधिसूचना संख्या 181/57 (11) कार्मिक--1 दिनांक 19 नवम्बर, 1975 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (अधिकरण) नियमावली, 1975 को, उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अधिकरण) अध्यादेश, 1975 (जिसे अध्यादेश संख्या 8, 1976 के रूप में पुनः प्रख्यापित किया गया) की धारा 7 की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश षष्ठ विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1975–76) का षष्ठ प्रतिवेदन††

*श्री काशी नाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं सभापति, प्राक्कलन समिति की हैसियत से उत्तर प्रदेश छठीं, विधान सभा की प्राक्कलन समिति (1975-76) का यह छठा प्रतिवेदन जो 1971-72 की प्राक्कलन समिति के सिंचाई विभाग के कार्यपूर्ति दिग्दर्शक आय-व्ययक (परफारमेन्स बजट) से संबंधित बारहवें प्रतिवेदन में निहित संस्तुतियों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में शासन द्वारा की गयी कार्यवाही से सम्बन्धित है, मैं प्रस्तुत करता हूं।

2--यह प्रतिवेदन दिनांक 14 नवम्बर, 1975 को समिति द्वारा सर्व सम्पत्ति से स्वीकार किया गया था परन्तु विधान सभा का अधिवेशन न होने के कारण इसे सदन में प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

3--समिति के मूल प्रतिवेदन में बारह संस्तुतियां थीं समिति की एक संस्तुति को शासन ने स्वीकार किया है तथा सात संस्तुतियों के संबंध में, समिति ने शासन के उत्तरों को, संस्तुतियों के अननुकूल होते हुये भी स्वीकर किया है, शेष चार संस्तुतियों पर शासन के उत्तरों को समिति ने संतोषजनक नहीं माना है और उन पर पुनः बल देते हुये शासन द्वारा उनके कार्यान्वयन की अपेक्षा की है।

4---मैं समिति की ओर से शासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करता हूं कि समितियों की संस्तुति का समय से कार्यन्वयन न होने पर उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। अतः शासन ऐसी व्यवस्था को जिससे उनके कार्यान्वयन में निरर्थक विलम्ब न हो।

अन्त में मैं श्री सत्यप्रिय सिंह, सचिव, विधान सभा तथा समिति से सम्बद्ध कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूं जिनके परिश्रम एवं सहयोग से यह प्रतिवेदन तैयार किया जा चुका है।

श्रीमन्, इम्प्लिमेन्टेशन में इस बात पर बल दिया है कि जो संस्तुतियां कमेटी के द्वारा भेजी जाती हैं, अन्य विभागों को, विभाग उनको कार्यान्वित करने में विलम्ब करते हैं और विलम्ब से कार्यान्वित होने में उन संस्तुतियों की अहमियत समाप्त हो जाती है। इसलिये शासन की तरफ से उन विभागों पर कड़ा कदम उठाया जाय ताकि समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन समय से हो जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

†छापी नहीं गई।

††छापा नहीं गया।

विधान सभा सदस्य, श्री शिव प्रसाद की गिरफ्तारी की सूचना बिलम्ब से देने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, आजमगढ़ के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

श्री मोहम्मद असरार अहमद ने 2 अप्रैल, 1976 को सूचना दी है कि जिलाधिकारी, आजमगढ़ के विरुद्ध माननीय श्री शिव प्रसाद, सदस्य, विधान सभा (आजमगढ़) को 23 मार्च, 1976 को मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध करने की सूचना विलम्ब से भेजने के संबंध में विशेषाधिकार या अनुशासनहीनता की तुरन्त कार्यवाही की जाय। श्री मुहम्मद असरार अहमद का यह कहना है कि जब उन्होंने 26 मार्च, 1976 को यह प्रश्न सदन में उठाया था उस समय तक माननीय मुख्य मंत्री को ज्ञान नहीं था कि माननीय श्री शिव प्रसाद को मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध किया गया है और बाद में जब माननीय मुख्य मंत्री ने इस संबंध में जानकारी हासिल की तब यह पता चला कि माननीय श्री शिव प्रसाद 23 मार्च, 1976 को मीसा के अन्तर्गत आजमगढ़ जेल में निरुद्ध कर दिये गये थे। माननीय सदस्य का यह आरोप है कि जिलाधिकारी, आजमगढ़ ने जानबूझ कर सूचना नहीं भेजी।

माननीय श्री शिवप्रसाद मीसा के अन्तर्गत निरुद्ध किए जाने की सूचना जिलाधिकारी, आजमगढ़ से 26 मार्च, 1976 के रेडियोग्राम द्वारा 27 मार्च, 1976 को प्राप्त हुई थी। उसकी सूचना 31·3·76 को दी गयी मैंने उस अवसर पर यह कहा था कि इस प्रकार विलम्ब से सूचना दिया जाना जिलाधिकारी की असावधानी का परिचायक है और इसलिये मैंने शासन से अपेक्षा की थी कि उनको सचेत कर दिया जाय। उस समय माननीय श्री मुहम्मद असरार अहमद ने मौखिक रूप से यह कहा था कि यदि यहां से पूछताछ न की गयी होती तो जिलाधिकारी, आजमगढ़ 26 मार्च को भी सूचना न भेजते। उस समय मैंने कहा था कि यदि लिखित सूचना आयेगी कि जिलाधिकारी, आजमगढ़ ने जानबूझ कर ऐसा किया है तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

मैं समझता हूं कि यहां चुनाव थे और माननीय सदस्य उस चुनाव में भी भाग ले सकते थे तो मुझे ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य को यहां आने से रोका गया इसलिये मैं इसको विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करता हूं।

एक सदस्य—

बहुत कठोर दंड दे दिया।

श्री अध्यक्ष—

यह निर्णय नहीं है, प्रागदर्शन में बनता है। 3 दिनों के बाद सूचना दी और साथ ही साथ मीसा लगाया, उसको अपने वोट देने के अधिकार से वंचित करने का भी मामला है। इसीलिये गम्भीर है। इसीलिए मैं इसे प्रागदर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न प्रतीत होने के कारण समिति को भेजे देता हूं।

विरोध पक्ष के सदस्यों द्वारा सदन त्याग के बाद उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

मेरा एक प्रश्न है, आप इस पर व्यवस्था करें कि जानकारी हुई है कि हमारे सामने बैठने वाले विरोध पक्ष के माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही से अपने को अलग मानते हैं। लेकिन हमको हय जानकारी है कि अलग मानते हुए भी जो उपस्थिति पंजिका है उसमें हस्ताक्षर करते हैं। मैं

आपको याद दिलाऊंगा कि जब हम लोग विरोधपक्ष में बैठते थे और हमारे दल के नेता श्री त्रिलोकी सिंह जी थे। जब वाकआउटका मामला होता था तो हम लोग सदन की कार्यवाही से बिलकुल अलग रहते थे बिलकुल सदन को छोड़ कर चले जाते थे, लेकिन यहां दूसरी बातें हो रही हैं, एक तो सदन की कार्यवाही में हिस्सा न लेकर बहिष्कार करते हैं और दस्तखत करके जो पैसा पा रहे हैं वह मेरे ख्याल से अनुचित है। मैं निवेदन करता हूं कि इस पर आपका फैसला होना चाहिये कि जो बहिष्कार का प्रचार करता है और सदन की उपस्थिति पंजिका में हस्ताक्षर करता है और पैसा लेता है, यह मेरे ख्याल से नितान्त अनुचित है। इस पर आपका कोई निर्णय होना चाहिये। अगर सदन की कार्यवाही में हिस्सा नहीं लेते है तो हस्ताक्षर नहीं होना चाहिये अगर पैसा लेते हैं तो उन्हें जनता की जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं, भावनाओं को प्रदर्शित करना चाहिये। इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

ऐसा प्रश्न माननीय राम सुन्दर पांडेय ने उठाया है जो कानून से कम और नैतिकता से अधिक संबंधित है। किसी राजनीति के व्यक्ति को हम इसलिये दंडित करे कि उसने यहां संसदीय प्रणाली के अनुरुप बहिर्गमन का एलान किया है तो जो माननीय राम सुन्दर पांडेय ने कहा कि उनको रुपया मिलेगा तो रुपया मिलेगा नहीं, रुपया कटेगा, यह स्थिति है। तो प्रश्न यह है कि अगर वह यहां आते हैं तो हस्ताक्षर करते हैं और भी इसके अन्तर्गत कुछ जटिल समस्यायें उपस्थित होती है। यदि उनकी ओर से माननीय सदस्य लिखित और सर्वथा उचित ढंग से, क्योंकि मेरी ओर से कोई सुझाव नहीं आना चाहिये, उठायेंगे, तो मैं अपनी व्यवस्था दूंगा क्योंकि यह मसला उतना सरल नहीं है, जितना दिखाई पड़ता है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, जब हम हस्ताक्षर करते हैं तो सरकार को क्या आपत्ति होनी चाहिये। इससे तो उनकी भी हाजिरी होनी चाहिये, कार्यवाही में। उन्हें तो उनके बहिर्गमन का प्रश्न उठाना ही नहीं चाहिये।

सम्पत्ति की सूचना विलम्ब से देने वालों की सूची में नाम छपने के सम्बन्ध में कृषि राज्य मन्त्री, श्री चेतराम गंगवार द्वारा स्पष्टीकरण

कृषि राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)---

मान्यवर, कुछ तथ्य कल सदन में भी आये थे और आज समाचार-पत्रों में भी छपा उसके संबंध में मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

अभी हम कार्यसूची में लिखित मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य आदि ले रहे हैं, इनके उपरान्त आप बोलें।

श्री चेतराम गंगवार---

मान्यवर, यह बात कोई शासन की ओर से नहीं है, मैं अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

यहां पर अब कुछ कहने से क्या फायदा? सदन में एक अधिनियम पेश हुआ था, वह पारित हुआ। उसके अन्तर्गत माननीय सदस्यों का जो लेखा-जोखा है, जो हैसियत है या जो जमा है या अचल सम्पत्ति है, उसे देना है। नियम के हिसाब से यह आपको 7 सितम्बर, 1975 तक

[श्री अध्यक्ष]

दे देना चाहिये था। जिन माननीय सदस्यों ने इसे इस तारीख तक नहीं दिया, उनके नाम आये हैं। जिन्होंने बाद में दिया, उनके नाम भी आयेंगे। व्यर्थ में आप अखबार में छपने से उदविन्द और चिंतित हो गये हैं। अखबार में जो सूचना छपी है उसके अनुसार आप ही नहीं, 222 ऐसे सदस्य हैं, जिन्होंने अपने बारेमें सूचना नहीं दी है।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

यदि माननीय सदस्य ने समय से सूचना नहीं दी तो क्या गलत बात हुई, यदि समाचार-पत्र में यह बात छप गई ?

श्री अध्यक्ष—

यहां पर इस प्रकार का ऐलान करने की कोई परम्परा नहीं है।

श्री चेतराम गंगवार—

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष—

यदि आपने समय से सूचना नहीं दी है तो आपका नाम तो छपेगा ही। इस समय सदन में आप अध्यक्ष से कह रहे हैं। यह सूचना आपको सचिव, विधान सभा को देनी थी। यदि वह सूचना आप माननीय प्रभुनारायण जो विधि मंत्री हैं, उनको भी दे देते, तो भी, यदि सचिव को समय के भीतर नहीं दी थी तो अखबारों में छप जाती। जिन्होंने नहीं दी है, वे फिर दे सकते हैं। वे सचिव से समझ लें।

श्री चेतराम गंगवार—

[× × × ×]

श्री अध्यक्ष—

इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूं कि आपने पोस्ट से भेजी या नहीं ? आप बार-बार बोल रहे हैं। आपकी दूसरी बातें कार्यवाही में नहीं लिखी जायंगी। आपने यहां पर एक अधिनियम पारित किया, उसके निर्वहन के सिलसिले में जहां पर जो कार्यवाही करनी चाहिये थी, वह करनी चाहिये थी।

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, आपकी अज्ञा से उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

नोट—[×××], यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर देश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)—

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजीत प्रताप सिंह—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976 को पुरःस्थापित करता हूं।

1976–77 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के पूर्व आज पुरःस्थापित विधेयकों पर विचार करने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

वित्तीय वर्ष 1976–77 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

श्री शिवकुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)—

पहले ये विधेयक ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

आपके कहने से क्या होता है, कृषि मंत्री जी कहेंगे तब न ?

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मान्यवर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जो विधेयक, जिनको पुरःस्थापित करने की अनुज्ञा सदन ने प्रदान कर दी है, पहले इन पर विचार कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

पहले तो आप एक प्रस्ताव लायें उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के अन्तर्गत।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 128 के आंशिक निलम्बन का प्रस्ताव

न्याय एवं विधायिका मंत्री (श्री प्रभु नारायण)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 311 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव लाना चाहता हूं कि यह सदन निश्चय करता है कि प्रक्रिया नियमावली के नियम 128 को इस अंश तक जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव उस समय तक नहीं लिया जायगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से 3 दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों, निम्नलिखित विधेयकों के संबंध में निलम्बित कर दिया जाय :—

1—उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976,

2—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976, तथा

3—उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि यह सदन निश्चय करता है कि प्रक्रिया नियमावली के नियम 128 को उस अंश तक जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि विधेयक को विचारार्थ लिये जाने का प्रस्ताव उस समय तक नहीं लिया जायगा जब तक कि विधेयक की प्रतिलिपियां प्रस्ताव करने के दिन से 3 दिन पूर्व सदस्यों को उपलब्ध न कर दी गयी हों, निम्नलिखित विधेयकों के संबंध में निलम्बित कर दिया जाय :—

1—उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976,

2—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976, तथा

3—उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1976–77 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा के पूर्व विधेयकों पर विचार करने का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

अब प्रश्न यह है कि माननीय कृषि मंत्री का यह प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976, उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 तथा उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976 को वर्ष 1976–77 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा शुरू होने से पहले ले लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976

कृषि मंत्री (श्री वीरेन्द्र वर्मा)—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, पिछले दस वर्षों से कोल्ड स्टोरेजेज की स्थापना विशेषकर आपके प्रदेश में प्रारम्भ हुई है। इस बीच यह देखा गया है कि कोल्ड स्टोरेज के मालिकान उत्पादकों का विभिन्न प्रकार से शोषण करते हैं। ढुलाई में भी गड़बड़ी है, ठीक हिसाब भी नहीं रखते। आलू जब उनके सड़ जाते हैं तो उसका कोई मुआवजा नहीं देते। तो इस प्रकार की अनेक शिकायतें शासन को प्राप्त हुई थीं। उसको विनियमित करने की दृष्टि से शासन ने 27 दिसम्बर, 1975 को एक अध्यादेश प्रदेश में निकाला था। वहां पर बाद को राष्ट्रपति शासन आ गया और 16 फरवरी को उसका समय समाप्त होने वाला था। इसलिये कुछ आवश्यक संशोधनों सहित नया अध्यादेश, 16 फरवरी, 1976 को निकाला गया। इसमें एक संशोधन यह किया गया कि नये कोल्ड स्टोरेज खोलने से पूर्व प्रेसक्राईब्ड अथारिटी की परमीसन लेना होगी। एक बोर्ड भी गठित होगा जिसमें कृषि उत्पादन आयुक्त के अतिरिक्त भारत सरकार के कृषि मन्डी सलाहकार का एक प्रतिनिधि भी होगा। जो उद्यान एवं फलोपयोग निदेशक होंगे वे सचिव का भी कार्य करेंगे। इसके अलावा एक चीज यह की गयी है कि किसानों को मुआवजा भी मिलेगा। माल अगर सड़ जाता है तो उनको उसका इन्श्योरेन्स भी कराना होगा। इसमें यह भी रखा गया है कि अधिकारी के आदेशों के खिलाफ हाई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। एक अधिकरण गठित किया गया है उसकी अपील कर सकते हैं। इस अधिकरण में भारत सरकार का कृषि मंडी सलाहकार सभापति होगा। यहां के एल0 आर0 महोदय का एक प्रतिनिधि होगा तथा एक सज्जन और होंगे। वसूली के लिये यह किया गया है कि वह बतौर मालगुजारी होगी। पहले किसान जब अपना माल रखता था और वह अगर चढ़ जाता था तो मालिक अधिक माल को निकाल लेता था। अब ऐसा नहीं होने पायेगा। माल अगर बढ़ गया है तो वह निकाला नहीं जायगा। किसान का बोरा पूरा ही उसे दिया जायगा इसमें हमने इसको काग्नीजेबिल आफेन्स माना है। यह विधेयक आलू उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिये लाया गया है। यह ध्यान रखा गया है कि किसी भी प्रकार शीतगृहों के मालिक किसानों का शोषण न कर पायें। आशा है यह सदन इसे पारित करेगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुये दो शब्द कहना चाहता हूं। सरकार ने दर तो निश्चित कर दी है पर होता क्या है कि जब किसान आलू रखने जाता है तो कोल्ड स्टोरेज वाले रसीद तो उतने की ही काटते हैं जो दर निर्धारित है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ पैसा किसनों से ले लेते हैं और उस हालत में और होता है जब आलू उत्पादन बहुत अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय किसना परेशान होता है कि किसी तरह से आलू कोल्ड स्टोरेज में रखे क्योंकि आलू सड़ने वाली चीज है। और तब तक उसकी परेशानी का फायदा कोल्ड स्टोरेज का मालिक उठाता है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जो कानून बन रहा है उसको काफी सख्ती से बनाया जाय ताकि सरकार द्वारा निर्धारित जो दर है उस दर का फायदा जो हो किसान भी उठा सके।

दूसरी चीज जो इस विधेयक के माध्यम से सतर्कता बरती गयी है वह यह कि जो आलू सड़ जायगा उसका कम्पेनसेशन कोल्ड स्टोरेज का मालिक निश्चित रूप से देगा। लेकिन प्रश्न यह है कि कितना कम्पेनसेशन देगा, किस हिसाब से देगा उसका कम्पेनसेशन, की रकम में माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वे कृपा करके उसका उल्लेख उसमें अवश्य कर दें कि कम्पेनसेशन की दर क्या होगी? उस समय जो मारकेट रेट है वह होगा या पहले वाला जो निर्धारित दर निश्चित है वह किसान का आलू सड़ने के बाद मिलेगा?

तीसरी बात यह है कि किसान आलू को बीज के लिये भी रखता है। तो बीज के लिये जो आलू किसान रखे कोल्ड स्टोरेज में, उसमें किसान को कुछ छूट मिलनी चाहिये ताकि अच्छे से अच्छे किस्म का बीज वह रख सके और आलू के उत्पादन को बढ़ा सके। कोल्ड स्टोरेज के मालिकों को भी कुछ दिक्कतें हैं। उस तरफ भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अगर बिजली की उपलब्धि बराबर होती रहे तो निश्चित रूप से आलू जो किसानों का

[श्री देव बहादुर सिंह—]
सड़ता है वह न सड़ सके। सरकार को अवश्य ही इस ओर सतर्कता बरतनी चाहिये ताकि अनिवार्य रूप से उनको बिजली दी जाय लेकिन कभी-कभी व्यतिक्रम हो जाने पर तो किसान और कोल्ड स्टोरेज के मालिक दोनों को क्षति होती है। इसलिये आवश्यक है कि किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुये माननीय मंत्री जी अवश्य ही इस समस्या का समाधान करेंगे। इन शब्दों के साथ जो यह विधेयक है, इसका मैं समर्थ करता हूं।

श्री अम्बिका प्रसाद सिंह (जिला सुल्तानपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं क्योंकि इस संबंध में कुछ सुझाव देना आवश्यक है। मेरे सुल्तानपुर जिले में जितने भी कोल्ड-स्टोरेज प्राइवेट बने हुए हैं। वे अवैज्ञानिक हैं और उसकी वजह से आये दिन किसानों को नुकसान रहता है। इस तरह जिले में भूसी से बने हुए कोल्ड स्टोरेज या मीनानक कोल्ड स्टोरेज से किसानों का साढ़े 3 लाख रुपये का आलू गायब हो गया और सरकारी कर्मचारियों तथा मालिकों ने मिल कर किसानों को नुकसान पहुंचा दिया। किसानों का जो नुकसान हुआ वह मालिकों से उनको नहीं दिलवाया गया। इसी साल एक कोल्ड स्टोरेज जो चावल की भूसी से बना हुआ है उसने 5 लाख रुपये का नुकसान किसानों का कर दिया उसमें भी वे मिल जुलकर इधर उधर कर के कोई कार्यवाही नहीं होने दे रहे है। यह विधेयक जो आया है उसमें बहुत कमी दूर की गयी है लेकिन जो कोल्ड स्टोरेज के मालिक है वे भी अपनी कठिनाई बतलाते है। खासतौर से जो कोल्ड स्टोरेज सहकारिता के आधार पर बने हुए हैं उनको दिक्कत यह है कि अमोनिया उनको जो मिलती है वह ऊंचे रेट पर मिलती है। आपको चाहिये कि ज्यादातर अमोनिया उनको कंट्रोल रेट पर सही तरीके से सुलभ हो सके। साथ ही साथ यह भी है कि कोल्ड स्टोरेज के लिये बिजली की व्यवस्था ऐसी कर दी जाय कि वह उनको अवश्य बराबर मिला करे और उसमें कभी भी कोई त्रुटि न पैदा हो जाय।

एक चीज और है। कोआपरेटिव सेक्शन के अन्तर्गत ज्यादातर संस्थायें कर्जा लेकर कोल्ड स्टोरेज बना रहीं है। इसके लिये उनको 10 लाख रुपये तक कर्जा मिलता है और इस वक्त कर्जा 11 से 15 परसेन्ट इन्टरेस्ट पर मिलता है इस तरह से डेढ़ लाख रुपया उनको इन्टेरेस्ट में देना पड़ेगा अब आप विचार करें कि इस्टेबलिशमेंट पर भी 40, 50 हजार रुपये खर्च करना पड़ेगा और उस तरह से दो ढाई लाख रुपया खर्च होने पर दो हजार मिट्रिक टन आलू कोल्ड स्टोरेज में रखा जाय तो कन्ट्रोल रेट से उसे घाटा ही होगा फिर प्राइवेट संस्थाओं को कोल्ड स्टोरेज का ढंग पूरा करने का दूसरा होता है। सलाहकार बोर्ड में रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी शामिल कर के अच्छा किया है क्योंकि कृषि निदेशक या हार्टीकल्चर निदेशक के पास कोई कोल्ड स्टोरेज नहीं है। सहकारिता विभाग के अंतर्गत है लेकिन सहकारिता विभाग वाले तो रसीद काटेंगे, उस पर कंट्रोल रहता है। मगर जो प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज वाले है यह मनमानी करते हैं और रसीद नहीं काटते है। तो मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी सख्त कदम उठायें और जो कमियां है और जहां लोग गड़बड़ी करते है उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें। इन चन्द सुझावों के साथ में इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कृषि मंत्री जी को इस बिल को पेश करने के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं। क्योंकि इसमें 2–3 ऐसी सुविधायें प्रदान की गयी है जिससे किसान वंचित रहता था। अध्यक्ष जी, इसमें यह प्राविधान है कि बिना लाइसेन्स लिये हुये कोल्ड स्टोरेज का निर्माण नहीं हो सकेगा। इसमें यह भी प्राविधान किया गया है कि अगर आलू का कोल्ड स्टोरेज में वजन बढ़ जाये तो वह कोल्ड स्टोरेज के मालिक को न मिलकर के उसे किसान को वापस

करना पड़ेगा। लकिन अध्यक्ष जी, आपको याद होगा कि इन घरों में आलू खराब हो जाया करता है। चाहे वह बिजली न मिलने के कारण हो या ठीक से न रखने के कारण हो लेकिन सरकार उन शीत गृहों के मालिकों को मजबूर नहीं कर पाती है कि वह ठीक से मुआवजा दे सकें। मान्यवर, अभी पिछले हफ्ते में इसकी चर्चा सदन में हुयी थी। मैं कृषि मंत्री जी को याद दिलाऊं कि जिला आजमगढ़ में बूढ़नपुर में एक शीतगृह है जिसका सब आलू पिछले साल सड़ गया और आज तक एक पैसा भी किसानों को मुआवजा तक नहीं मिला। तो इस बिल में एक ऐसी धारा जोड़नी चाहिये जिससे कोल्ट स्टोरेज के मालिकों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा सके और मुआवजा दिलाया जा सके। मुआवजा न मिलने से किसानों की क्षति होती है। मान्यवर, इसी के साथ मैं यह भी निवेदन करूंगा कि देवरिया को देखें, आजमगढ को देखें और एक सर्वेक्षण भी होना चाहिये। सरकार को एक सर्वेक्षण कराना चाहिये जिससे यह पता चले कि इस क्षेत्र में कितनी आलू की पैदावार होती है और उसके लिये कितने आलू घरों को आवयकता होगी ? अगर इस तरह का सर्वेक्षण हो जाय तो आवश्यकता के अनुरुप ही शीतग्रह बन सकेंगे और मनमाने तरीके से लोग न बना सकेंगे। इसका जो नतीजा होगा वह किसानों के हित में होगा। इसलिये मैं फिर आग्रह करुगा कि पूरे प्रदेश स्तर पर एक सवेक्षण करावें और सर्वेक्षण कराने के बाद लाइसेंस देने की अनुमति प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विल का समर्थन करता हूं।

श्री भगवती प्रसाद (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, इस बिल में क्या कमियां है और अच्छाइयां क्या है उन पर न जाकर में मंत्री महोदय का ध्यान कुछ बातों की तरफ दिलाना चाहता हूं। किसानों का आलू जब कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है तो उसका नाजायज फायदा प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज वाले उठाते है। अभी एक माननीय सदस्य ने सहकारिता की बातें की थीं तो वह अपनी जगह पर हैं। लेकिन प्राइवेट कोल्ड स्टोरेज जो है उनमें अनियमितायें है और सरकार ने जो निर्धारित किया है कि उससे ज्यादा पैसा किसान से लिया जाता है। मै पूर्वी जिले के आजमगढ़ की कुछ बातें बता दूं। पिछले साल मैंने इस सदन में एक प्रश्न रखा था। आजमगढ़ में बूढ़नपुर में एक कोल्ड स्टोरेज है जिसमें कई लाख का आलू सड़ गया और हमारे माननीय सदस्यों ने भी इस विषय पर प्रश्न उठाये थे कि किसानों को मुआवजा दिया जाय लेकिन इस पर आज तक सरकार ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। मान्यवर, वह कोल्ड स्टोरेज ऐसी जगह पर स्थित था जहां साधारण किसानों का ही आलू रखा गया था लेकिन सब आलू सड़ गया जिससे अब कोई दोबारा वहां आलू रखने की ही हिम्मत नहीं करता है। दूसरी बात जब सीजन में आलू किसान लेने जाता है तब अनियमिततायें बरती जाती हैं और सीजन के बाद आलू निकाला जाता है। कभी-कभी यह कहा जाता कि तुम अपना आलू निकालो जिसके अन्दर न तो किसान जा सकता है और न आलू निकाला जा सकता है मजबूर होकर कुछ आलू सड़ जाता है और कभी-कभी दूसरे का बोरा निकल जाता है और वही लेना पड़ता है। इस पर मंत्री जी को मजबूती से कदम उठाना चाहिये। शहरों और पश्चिमी किसानों पर तो कम अनियमिततायें बरती जाती है लेकिन पूर्वी इन्टीरियर जिलों में तो काफी अनियमिततायें बरती जाती है। इस पर सख्त कदम उठाना चाहिये और सीजन के पहले किसानों का आलू दिया जाना चाहिये। मान्यवर, 1974-75 में सब आलू सड़ गया है जिसकी रिपोर्ट मंत्री जी के पास है, इसलिये उनको मुआवजा मिलना चाहिये।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मंत्री जी ने जो कोल्ड स्टोरेज के बारे में विधेयक पेश किया है उसमें कुछ ऐसा निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार उस पर गम्भीरतापूर्वक सोचें। श्रीमन्, 3-4 वर्षो से जो आलू और किसान की दुर्दशा हो रही है उसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकाता है। पिछले साल फर्रुखाबाद जिले में मजदूरों पर आलू की खुदाई नही हो सकी और यहां भी उसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

विचार विमर्श उसके बाद हुआ। मंत्री जी ने पिछले वर्ष आश्वासन दिये कि आलू को रखने और बाहर भेजने की व्यवस्था की जायेगी और कोल्ड स्टोरेज की ओर से किसानों को जो परेशानी होती है उनको दूर किया जायेगा। तो श्रीमन्, व्यवस्था में कोई खास सुधार तो हुआ नहीं। इस साल सुनने में आया है कि जगह-जगह खरीद फरोक्त हो रही है लेकिन उससे इस समस्या का स्थायी हल निकलने वाला नहीं है जब तक जैसा कि माननीय मंत्री जी ने जिक्र किया कि 2 करोड़ की योजना बनाकार सेन्ट्रल गवर्मेन्ट को एप्रूवल के लिये भेजा है ऐसी योजना नहीं बनायी जायेगी, मैं समझता हूं कि आये दिन किसान परेशन होता रहेगा। मान्यवर, आलू में लागत नहीं आती है इस साल आलू 6 रुपये मन बिक गया और पूर्वी जिलों में मैं गया था आलू 10 और 11 रुपये मन बिक रहा है और जो लागत लगती है, श्रम और पानी और बीज उसके अनुपात में किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। उसके बाद कोल्ड स्टोरेज की हालत यह है कि वह किसानों को पर्ची नहीं दे रहे है। सरकार ने दाम तय कर दिये कि उससे ज्यादा नहीं लिये जायेगें। हमारे यहां कहावत है कि कोई चले डाल-डाल, तो कोई चले पात-पात। चोरबाजारी करने वाले लोग, सरकार चाहे जितने कानून बनाय लेकिन वह उसके आगे भी छलांग बनाकर जाते हैं बनारस की यह हालत है कि आज भी किसानों से 2-2 रूपये पहले ही ले लिया जाता है जिसका कोई हिसाब नहीं है और न उसकी परची दी जाती है इसके अतिरिक्त आप देखें कि पिछले साल 8 रुपया निर्धारित किया था और इस साल 12 रु0 किया है। लेकिन कहीं भी कोल्ड स्टोरेज में किसानों से इतना रुपया नहीं लिया गया। पिछले साल 16 रुपया लिय और इस साल भी 16 रुपया लिया जायगा। कानून से बचने के लिये रसीद 12 रुपये की ही कटगी बनारस में वह 16 रुपया ले रहे है। मैं समझता हूं कि पूरे सूबे के कोल्ड स्टोरेज वाले इसी तरह की हरकत करते होंगे इसी के साथ-साथ जैसा कि माननीय भगौती प्रसाद ने कहा कि जौनपुर में बदलापुर जगह है। वहां 2.5 लाख की आलू सड़ गयी। हमने सवाल भी किया था सरकार ने कहा कि ढाई लाख रुपया किसानों को दिलवा दिया जायगा लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। किसान मर गया। और भी समस्यायें है। मैं तो चाहता हूं कि चाहे एग्रो के माध्यम से हो या एग्रीकल्चर विभाग के माध्यम से हो कोई एक इंडस्ट्री आलू की खड़ी की जाय। विदेशों में आलू की बहुत खपत है और मांग भी है हमारे यहां आलू 10 रुपया बिक रहा है जबकि हमारे बगल में बिहार में 20 रुपया मन का भाव है। महाराष्ट्र में मंहगा है। मद्रास में महंगा है। अगर महकमा अपने ही देश में आलू की खपत का इंतजाम करे तो यह जो बार-बार किसानों पर संकट आता है उससे उनको बचाया जा सकता है।

दूसरी चीज यह है कि कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में आपने कानून तो बना दिया लेकिन जब तक उसका कड़ाई से पालन नहीं होगा। तब तक लोगों को दण्डित नहीं किया जायगा इससे कोई लाभ नहीं होगा। आज पूरे देश में किसान ही कमजोर है क्योंकि उसका कोई संगठन नहीं है, कोई आवाज नहीं है। सुनने में तो आता है कि आप कड़ाई कर रहे हैं लेकिन कड़ाई देखने में आई नहीं। अगर आप कड़ाई से आपने कानून का पालन करवायेगें और उसको अमली जामा देंगे तभी किसान को कुछ राहत मिल सकती है। मान्वयर, किसान तो हमेशा पिसता रहा है। अब तक जो आपसे पहले थे वे पीसते रहे और अब जब हर क्षेत्र में सरकार भाग्य विधाता हो गयी है, तो वह उनको पीसेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और नम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि जो कानून आप बना रहे है उसका कड़ाई से पालन करवायें।

श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)--

मैं, माननीय मंत्री जी को, बधाई देना चाहता हूं, जो उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा और माननीय ऊदल ने भी कहा कि पिछले वर्षों में शीतगृह के मालिकों ने जिस प्रकार से शीतगृह आलू उत्पादको का शोषण किया उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है। मैं फर्रुखाबाद जिले में आता हूं। जो आलू के उत्पादन में प्रदेश में हो नहीं सारे

देश में आगे है। हमने आलू उत्पादकों की दुर्दशा को देखा है जो कि आलू उत्पादकों को पिछले वर्ष झेलनी पड़ी है। उसका एक प्रमुख कारण शीतगृह मालिकों का शोषण है। इस विधेयक के माध्यम से ऐसा मालूम होता है कि सरकार कटिबद्ध है कि आलू उत्पादकों का शोषण न हो सके। गत वर्षों में मालिकों ने बड़े-बड़े किराये उनसे लिये और फिर भी जो आलू सड़ गया उसका कोई भी मुआवजा इन शीतगृह मालिकों ने काश्तकारों को नहीं दिया। आलू उत्पादकों के सामने बड़ी-बड़ी कठिनाइयां थीं और उसका शोषण हर स्तर पर किया जा रहा था इस विधेयक में, इस दिशा में काफी कुछ किया गया है। इसमें यह कहा गया है आलू के सड़ने की दशा में शीतगृह मालिकान से मुआवजा में भू-राजस्व की तरह से वसूली किया जाय। जिसके विरूद्ध वह आदलत में अपील नहीं कर सकता है। और इससे आलू उत्पादकों को राहत मिलेगी। मैं इस स्थिति पर मंत्री जी को एक सुझाव भी दूंगा कि वे शीतगृह के मालिकान शोषण करने में बड़े माहिर है और वे इस धारा का भी उल्लंघन करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा है और साधन भी है जब कि किसान के पास न तो पैसा है और न साधन ही और न प्रभाव है। मंत्री जी हर पहलू पर विचार करने के उपरान्त ही इस विधेयक को लाये है। लेकिन वे कोई ऐसी व्यवस्था करें कि जो मुआवजा दिलवाया जाय वह एक निश्चित समय के अन्दर अवश्य तय करवा दिया जाय। इसको समयबद्ध कर दिया जाय। सन् 1971 का जो कोल्ड स्टोरेज आर्डर था उसमें ऐसी व्यवस्था नहीं थी। अब नियम का उल्लंघन करने पर उनको न केवल आर्थिक बल्कि सजा का भी दंड दिया जायगा ऐसा होने से कोल्ड स्टोरेज के मालिकों पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ेगा और इसके साथ मैं इस बिल का जोरदार शब्दों के साथ समर्थन करता हूं। अपने आप में यह विधेयक बहुत अच्छा है इसकी धारायें भी बहुत अच्छी हैं लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि इसका कड़ाई से पालन किया जाय। प्रदेश में जितने भी कोल्ड स्टोरेज हैं निश्चय ही इस विधेयक के पारित होने से उनके मालिकान जो शोषण करने में महारत हासिल किये हुए हैं के होश दुरुस्त हो जायेंगे और आगे आने वाले जमाने में वह कृषकों का शोषण नहीं कर पायेंगे। इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

अध्यक्ष महोदय, आलू की बहुत चर्चा हुई लेकिन आलू से ज्यादा दुर्गति इस साल सेब की हुई पहाड़ों पर विशाल पैमाने पर सेब के बाग लगाये गये लेकिन हालत यह हुई है कि सेब एक रुपया किलो तक बिका और बाज-बाज जगह तो 8 आने किलो तक बिका। बाज किसानों ने तो यहां तक सोच लिया कि इन बागों को काट दिया जाय और उस जमीन पर फिर से खेती शुरू की जाय इस विधेयक को लेकर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। पर्वतीय अंचलों में फलों की पैदावार का जहां तक सम्बन्ध है हिमांचल प्रदेश और काश्मीर के कम्पटीशन में हम से बहुत आगे है। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज की बहुत अच्छी व्यस्वस्था की है। दिल्ली, बम्बई, मद्रास के अन्दर अपने कोल्ड स्टोरेज बनवाये रखे हैं, मंत्री जी से मेरा निवेदन यह है कि अगर फलोत्पादन को प्रोत्साहन देना है तो गाजियाबाद, बम्बई तथा मद्रास में एक-एक अपना कोल्ड स्टोरज बनावा लें ताकि हिमांचल प्रदेश तथा काश्मीर के कम्पटीशन में हम ठहर सके और हमारे पर्वतीय अंचल के सेब भी बिक सकें। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में अपने उत्तर में प्रकाश डालेंगे।

*श्री अनवार जमील (जिला फर्रुखाबाद)--

अध्यक्ष, महोदय, मैं फर्रुखबाद के कमालगंज क्षेत्र से आया हूं और 42 कोल्ड स्टोरेज फर्रुखाबाद में है मैं मंत्रीजी का आभारी हूं कि वह यह विधेयक लाये। 42 में से 41 कोल्ड स्टोरेज वालों को सजा दी गयी जिससे उनके ऊपर असर हुआ और जो कुछ लूपहोल्स बचे भी थे वे इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अनवार जमील]

विधेयक के जरिये दूर किये जा रहे हैं। इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन जैसा तिवारी जी ने कहा इसमें समय निश्चित कर दिया जाय। डिस्ट्रिक्ट अथवा अथारिटी के अलावा विभाग का भी एक आदमी वहां मुकर्रर कर दिया जाय जो कोल्ड स्टोरेज को समय-समय पर चेक करता रहे।

*श्री रामचन्द्र बक्श सिंह (जिला बाराबंकी)—

प्रस्तुत विधेयक का स्वागत योग्य है और इसका आना जरूरी था लेकिन जैसा सभी सदस्यों द्वारा कहा गया है इस सम्बन्ध में जो नियम बनते हैं उनका सही पालन नहीं हो पाता। कानून यह है कि 12 रुपये क्विंटल के हिसाब से चार्जेज लिये जांय किन्तु इससे ज्यादा लिया जाता है। एक चीज जो इस ऐक्ट में खटक रही है वह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। कि अध्याय 2 में जो एक कोल्ड स्टोरेज सलाहकार बोर्ड गठित करके वह राज्य सरकार को उसके कार्य विवरण देने के बारे में कहा गया है, उसमें एक बहुत बड़ी कमी है। उसमें सबसे बड़ी कमी यह है कि जिसकी ओर जानते हुये भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नौकरशाही के ऊपर डेपेन्डेन्सी नहीं तोड़ी गई तो बहुत से कानून बनेंगे और उनका कार्यान्वयन नहीं हो पायेगा। सलाहकार बोर्ड में आपने कृषि उत्पादन आयुक्त, भारत सरकार कृषि मंडी सलाहकार का एक प्रतिनिधि, उद्योग निदेशक, निबंधक, मंडी निदेशक तथा उद्यान एवं फलोपयोग निदेशक 6 आदमी रखे हैं। तो यह मामला जितना सरकार का है उससे कहीं ज्यादा जनता का है और खासतौर से आलू उत्पादकों का है। ये सब ऐसे लोग हैं जो हजारों लाखों किसानों की जो आलू का उत्पादन करते हैं उनकी समस्या को नहीं समझ पाये हैं। मेरा कहना यह है कि इस सलाहकार बोर्ड में आलू उत्पादकों का प्रतिनिधित्व भी होना चाहिये। अगर उनका प्रतिनिधित्व न भी हो तो उसमें जनता के प्रतिनिधि होने चाहियें। इस सदन के लोग भी हो सकते हैं और उनका बहुमत होना चाहिये। इसलिये जब तक यह बेसिक चीज नौकरशाही को तोड़ने की और जनता की समस्याओं को हल करने के बारे में उनके प्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया जायेगा, ऐसी व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक इस तरह के कानूनों का उल्लंघन होता रहेगा। इन शब्दों के साथ कि सलाहकार बोर्ड में जन प्रतिनिधियों को हिस्सा मिलना चाहिये, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मैं सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने इस विधेयक का स्वागत किया है और अपने अमूल्य सुझाव दिये हैं, उनका हृदय से आभार मानता हूं। मान्यवर, सब लोगों ने एक तरह से कड़े कदम उठाने की मुझे सलाह दी है। सभी ने यह भी शिकायत प्रायः की है कि जो भी किराया निर्धारित किया जाता है उससे अतिरिक्त पैसा किसानों से लिया जाता है और उसकी रसीद उन्हें नहीं दी जाती है। गत वर्ष तो भारतीय रक्षा नियमों के अन्तर्गत आदेश जारी किये गये थे जो दो बार हाईकोर्ट ने उनको निरस्त कर दिया। इसलिये यह अध्यादेश लाना पड़ा। फिर भी यह देखा गया और जिस प्रकार माननीय सदस्यों ने शिकायतें की है कि अध्यादेश के बाद भी कुछ शिकायतें निरन्तर आती रहती है। इसलिये उसको और कड़ा करने के दृष्टिकोण से एक और आवश्यक संशोधन इसमें किया गया है।

यह बात मैं स्वीकार करता हूं कि किसानों का आलू सड़ जाता है। गत वर्ष भी मेरे सामने यह शिकायत आयी कि किसानों का आलू सड़ गया। कोल्ड स्टोरेज वालों ने कहा कि अपना सड़ा हुआ आलू ले जाओ और हमारा किराया दे जाओ। वह मेरे पास आये। मैंने डी० एम०,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लखनऊ से कहा कि इन किसानों ने अपना आलू सड़ाने के लिये आपके यहां रखा था यदि सड़ाना ही होता तो वे अपने घर पर ही रखते । इसलिये आपको मुआवजा देना होगा । तो इस प्रकार की व्यवस्था बहुत ही कड़ाई के साथ करने का इरादा है और इसी दृष्टि से यह विधेयक आपकी आज्ञा से सदन में पेश किया गया है। यहभी इसमें रखा गया है कि जो भी इसके नियमों और आदेशों का पालन नहीं करेगा उसको दो साल की सजा या 10 हजार रुपया जुर्माना या दोनों मिल कर भी हो सकता है ।

मान्यवर, मैं तो यह चाहता था कि 2 साल की सजा और 10 हजार रुपया जुर्माना हो लेकिन हमारे विधि परामर्शी ने यह सलाह दी कि उपयुक्त यही होगा कि दो साल की सजा या 10 हजार रुपया जुर्माना या दोनों इस प्रकार रखी जाय ।

श्री अध्यक्ष---

माननीय विधिपरामर्शी तो जो गवर्नमेन्ट की इच्छा होगी, उसी दृष्टिकोण से देखेंगे । अगर आप चाहें तो अब भी जोड़ सकते हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

मान्यवर, यदि आवश्यकता होगी तो फिर आपके समक्ष सदन में पेश करूंगा । श्री राम सुन्दर पांडेय जी ने सर्वेक्षण के पश्चात् कोल्ड स्टोरेज लगाने की बात की कि वहां पर कोल्ड स्टोरेज लगाया जाय, इसका सर्वेक्षण हो । ऐसा न हो कि एक स्थान पर अनेकों कोल्ड स्टोरेज लग जायं और कहीं पर कोई भी न हों । तो इसी लिये यह बोर्ड बनाया है । इसके द्वारा तमाम आलुओं का उत्पादन का क्षेत्रफल आदि का अध्ययन करने के पश्चात फैसला लिया जायगा और उसके अनुसार लाइसेन्स देने की व्यवस्था की गई है । माननीय ऊदल साहब ने कहा कि जो रेट है. वह अधिक लिया जाता है । तो मान्यवर, 1972 में उत्तर प्रदेश ने 8 रु0 क्विंटल आलू का किराया निर्धारित किया था तो कोल्ड स्टोरेज वाले हाईकोर्ट चले गये और स्टे ले आये । गत वर्ष साढ़े 12 रु0 किया था तो भी स्टे ले आये । इस वर्ष मान्यवर, 12 रुपया निर्धारित किया गया है । मान्यवर, फर्रुखाबाद वाले अभी आज्ञा मांग रहे थे कि हमसे 10 रु0 ले लो । तो मैंने कहा कि 8 रुपया और 6 रुपया क्विंटल भी लें लेकिन अगर कहीं भी किसी भी स्थान पर 12 रुपये से अधिक किराया नहीं लिया जायगा । अगर यह हो कि किसानों को रसीद नहीं दी जा रही हो और किसानों का शोषण किया जा रहा हो तो मैं माननीय सदस्यों से, आपके माध्यम से, कहना चाहूंगा कि वह लिखित दे दें तो ऐसे भ्रष्ट आदमियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायगी ।

मान्यवर, यह बात सही है कि पिछले वर्ष भी शाहजहांपुर और फर्रुखाबाद तथा दूसरे स्थानों पर फैजाबाद, सुल्तानपुर आदि से शिकायतें निरन्तर मिलती रहीं कि आलू उत्पादकों को मुआवजा नहीं दिया गया । गत वर्ष तक बिजली निरन्तर नहीं मिल पाती थी लेकिन गत वर्ष से हमने निरन्तर 18 घंटे बिजली दिलवाई और अब इस अधिनियम से व्यवस्था की जा रही है कि एक निश्चित समय के अन्दर निर्णय देना होगा जो लाइसेंसिंग अधिकारी हैं, उसका वह कड़ाई से पालन करायेंगे । तो किसानों के माल का चाहे वह बीज हो या दूसरी चीज हो, अगर वह सड़ जाता है, तो उसका मुआवजा मिले । अब चाहे सहकारी कोल्ड स्टोरेज हों या निजी हो उसके लिए कोई अलग से व्यवहार इस मामले में नहीं होगा । हां, हम चाहते हैं कि सहकारी कोल्ड स्टोरेज हो जायं । हम यह भी चाहते हैं कि किसानों के सहकारी आधार पर कोल्ड स्टोरेज हों उसके लिए निजी व्यक्तियों से ज्यादा सुविधायें दी जायेंगी, लोन वगैरह में प्राथमिकता दी जायगी और बिजली दिलवाने की कोशिश की जायगी । हर प्रकार की सुविधायें प्रदान की जायंगी । लेकिन मुआवजे में चाहे वह सहकारी हों या प्राइवेट जहां पर मेहनत करने वाले किसान की बात आयेगी जो खून पसीना बहाकर आलू पैदा करते हैं अगर वह सड़ जाता है तो उसमें मुआवजे के मामले में कोई फर्क नहीं होगा । हम अतिशीघ्र मुआवजा दिलाने की कोशिश करेंगे । इसमें चाहे कोई अधिकारी बड़ा हो या छोटा अगर वह आलू उत्पादकों के हितों के विरुद्ध कार्य करता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मुआवजा निर्धारित कैसे किया जायगा ?

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, इसके लिए मार्केट रेट क्या है, इसका ध्यान रखना है और कुछ नियम भी इस ऐक्ट में बनेंगे, उसमें कुछ ऐसे निर्देश लाइसेन्स अधिकारियों, प्रस्क्राईब्ड अथारिटी को दिये जायेंगे, जिससे किसान का नुक्सान न होने पाए। मार्केट रेट वगैरह को ध्यान में रखकर मुआवजा दिलाया जायगा।

एक सदस्य—

इन्ट्रेस्ट भी उसमें जोड़ दिया जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मेरा बश चले तो जितना यह ले सकते हैं, उतना ही इन्ट्रेस्ट मय मुआवजा के दिलाने का मैं प्रयास करूंगा। नेगी जी ने अभी कहा कि आगे, गाजियाबाद और मद्रास में भी कोल्ड स्टोरेज स्थापित किये जायं, गाजियबाद में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो रहा है, उम्मीद है कि शीघ्र ही पूरा हो जायगा। बाम्बे में भी अपनी रिपोर्ट है, कोल्ड स्टोरेज स्थापित करने पर विचार करेंगे। और भी बहुत सी बातें माननीय सदस्यों ने सुझाव के रूप में कही हैं, मैं उनको अपने ध्यान में रखकर यही आश्वासन आपके माध्यम से उन्हें दूंगा कि जिस कदर भी कड़ाई के साथ बन पड़ेगा, इस अधिनियम का जब विधेयान बन जाएगा, पालन कराने का पूरी शक्ति से प्रयास करूंगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 46

परिभाषाएं

2—जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) 'कृषि उत्पाद' के अन्तर्गत कृषि या उद्यान के उत्पाद, पशुपालन या मत्स्य सवर्धन और ऐसे समस्त खाद्य या पेय पदार्थ हैं जो पूर्णतया या अंशतया इनमें से किसी से निर्मित हों;

(ख) 'बोर्ड' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित कोल्ड स्टोरेज सलाहकार बोर्ड से है;

(ग) 'कोल्ड स्टोरेज' का तात्पर्य ऐसे परिबद्ध कक्ष से है जो इन्सुलेटेड हो और रेफ्रीजरेशन मशीनरी द्वारा यांत्रिक रूप से शीतित हो जिससे वहां पर स्टोर किये हुए कृषि उत्पाद को रेफ्रीजरेशन की अवस्था उपलब्ध हो सके, किन्तु इसके अन्तर्गत वे रेफ्रीजरेशन कैबिनेट तथा शीतकारी संयंत्र (चिलिंग प्लान्ट्स) नहीं है जिनकी क्षमता 100 घन मीटर से न्यून हो;

(घ) 'किराया दाता' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को स्टोर करने के लिये प्रभार देकर स्थान किराये पर ले;

(ङ) 'लाइसेन्स' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त लाइसेन्स से है;

(च) 'लाइसेंसधारी' का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है, जिसे इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स प्रदान किया जाय;

(छ) 'लाइसेन्स अधिकारी' का तात्पर्य उद्यान एवं फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश से है, और धारा 17 के स्पष्टीकरण के सिवाय इसके अन्तर्गत उद्यान एवं फलोपयोग निदेशक द्वारा उसकी ओर से इस अधनियम के अधीन लाइसेन्स अधिकारी की किसी या सभी शक्ति का प्रयोग करने के लिये सशक्त निम्नलिखित अधिकारी भी है:—

(1) उद्यान विभाग का कोई अन्य अधिकारी जो जिला उद्यान अधिकारी के पद से नीचे का न हो;

(2) राजस्व विभाग का कोई अधिकारी जो परगना अधिकारी के पद से नीचे का न हो;

(ज) 'विहित' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

(झ) 'रसीद' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स-धारी द्वारा दी गई कोल्ड स्टोरेज की रसीद से है और इसके अन्तर्गत रसीद की दूसरी प्रति भी है;

(ञ) 'अधिकरण' का तात्पर्य धारा 35 के अधीन गठित अधिकरण से है।

अध्याय 2

कोल्ड स्टोरेज सलाहकार बोर्ड

बोर्ड का गठन

3—राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक कोल्ड स्टोरेज सलाहकार बोर्ड गठित करेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(क) कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जो बोर्ड का सभापति होगा;

(ख) भारत सरकार के कृषि मण्डी सलाहकार का एक प्रतिनिधि;

(ग) उद्योग निदेशक, उत्तर प्रदेश;

(घ) निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश;

(ङ) मण्डी निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ; और

(च) उद्यान एवं फलोपयोग निदेशक, उत्तर प्रदेश जो सचिव का भी कार्य करेगा।

बोर्ड के कर्त्तव्य और कृत्य

4—(1) बोर्ड निम्नलिखित कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करेगा:—

(क) कोल्ड स्टोरेजों को लाइसेन्स देने से सम्बन्धित नीति-विषयक मामलों और उससे सम्बद्ध विषयों पर राज्य सरकार को सलाह देना;

(ख) कोल्ड स्टोरेजों के वैज्ञानिक नियोजन, अनुरक्षण, विकास और विस्तार के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सुझाव देना और राज्य में कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं के समन्वय के लिए उचित कार्यवाही का सुझाव देना;

(ग) कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को स्टोर करने के लिए समय-समय पर अधिकतम प्रभार नियत करने के विषय में, राज्य सरकार को सलाह देना; और

(घ) राज्य सरकार को ऐसे अन्य विषयों पर,जो राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को निर्दिष्ट किये जायें, या जो विहित किये जायें, सलाह देना।

(2) बोर्ड का कार्य विहित रीति से संचालित किया जायगा।

अध्याय - 3

कोल्ड स्टोरेज को लाइसेन्स देना

कोल्ड स्टोरेज का कारबार करने पर निर्बन्धन

5---ऐसे दिनांक को और उसके पश्चात् जैसा राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उस निमित्त नियत करे, कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त लाइसेन्स की शर्तों और निबन्धनों के अधीन और अनुसरण के सिवाय, कोल्ड स्टोरेज में किसी कृषि उत्पाद को स्टोर करने का कारबार नहीं करेगा।

लाइसेन्स के लिए आवेदन-पत्र

6---(1) इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स के लिये प्रत्येक आवेदन पत्र लाइसेन्स अधिकारी को विहित प्रपत्र में और विहित फीस के साथ दिया जायगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई लाइसेन्स नहीं दिया जायगा यदि लाइसेन्स अधिकारी को यह प्रतीत हो कि---

(क) कोल्ड स्टोरेज विहित विनिर्देशों के अनुरूप नही है;

(ख) कोल्ड स्टोरेज उस वर्ग के माल को स्टोर करने के उपयुक्त नहीं है जिसके लिए यह आशयित है;

(ग) आवेदन-पत्र के साथ विहित फीस नहीं है;

(घ) आवेदक किसी कपट या दुर्व्यपदेशन का दोषी है;

(ङ) आवेदक, इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष हुआ है।

लाइसेन्स की अवधि और नवीकरण

7---(1) धारा 6 के अधीन प्रदत्त लाइसेन्स विहित अवधि के लिए, विधिमान्य होगा, और उस निमित्त आवेदन-पत्र और विहित फीस के देने पर लाइसेन्स अधिकारी द्वारा, समय-समय पर, अग्रतर विहित अवधि के लिए नवीकृत किया जा सकता है।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त लाइसेन्स नवीकृत नहीं किया जायगा, यदि लाइसेन्स अधिकारी को यह प्रतीत हो कि---

(क) धारा 6 की उपधारा (2) में उल्लिखित कारणों में से कोई कारण विद्यमान है;

(ख) लाइसेन्सधारी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का उल्लंघन करने का दोषी है;

(ग) आवेदन-पत्र से धारा 44 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये किसी निदेश का उल्लंघन होता है।

लाइसेन्स का निलम्बन और रद्द किया जाना

8---(1) इस अधिनियम के अधीन प्रदत्त लाइसेन्स निलम्बित या रद्द किया जा सकता है, यदि लाइसेन्स अधिकारी को यह प्रतीत हो कि---

(क) धारा 7 की उपधारा (2) में उल्लिखित कारणों में से कोई कारण विद्यमान है;

(ख) लाइसेन्सधारी ने कोल्ड स्टोरेज के कब्जा या नियंत्रण को पूर्णतः या अंशतः अन्तरित कर दिया है या उसने उसको चलाना बन्द कर दिया है ।

(2) जहां कोई लाइसेन्स निलम्बित या रद्द किया जाय वहां लाइसेन्सधारी न तो उसके लिए किसी प्रतिकर का हकदार होगा, न लाइसेन्स के लिए अपने द्वारा दी गई किसी फीस को वापस पाने का हकदार होगा ।

नया कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिए अनुज्ञा

9—(1) कोई व्यक्ति कोई नया कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिये लाइसेंस अधिकारी से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना उसे नहीं बनायेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये प्रत्येक आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में और विहित फीस के साथ लाइसेन्स अधिकारी को दिया जायगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा देते समय लाइसेंस अधिकारी निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा—

(क) जिस क्षेत्र में कोल्ड स्टोरेज बनाने की मांग है, उस क्षेत्र में परिचालित कोल्ड स्टोरेजों की संख्या;

(ख) ऐसे क्षेत्र में कृषि उत्पाद की उपलब्धता;

(ग) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाय ।

(4) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा देते समय लाइसेन्स अधिकारी ऐसी शर्तें आरोपित कर सकता है जिन्हें वह आवश्यक समझे ।

आदेश में कारण दिये जायेंगे

10—(1) धारा 6 के अधीन लाइसेन्स देने से इन्कार करने या धारा 7 के अधीन लाइसेन्स के नवीकरण से इन्कार करने या धारा 8 के अधीन लाइसेन्स निलम्बित या रद्द करने या धारा 9 के अधीन अनुज्ञा देने से इन्कार करने का प्रत्येक आदेश लिखित होगा और उसमें उसके समर्थन में कारण दिये जायेंगे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश देने के पूर्व लाइसेन्स अधिकारी, यथास्थिति, आवेदक, या लाइसेन्सधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा:

परन्तु जब लोक हित में तत्काल कार्यवाही करना अपेक्षित हो तब लाइसेन्स अधिकारी, अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से, इस धारा के अधीन किसी नोटिस के बिना कोई लाइसेन्स निलम्बित कर सकता है ।

लाइसेन्स की दूसरी प्रति

11—जहां कोई लाइसेन्स खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या अन्यथा अपठनीय हो जाय वहां लाइसेन्स अधिकारी विहित रीति से और विहित फीस देने पर लाइसेन्स की दूसरी प्रति जारी सकता है ।

अध्याय 4

लाइसेन्सधारी के अधिकार और कर्तव्य

जमा किए गये माल की युक्तियुक्त देखभाल

12—प्रत्येक लाइसेन्सधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल की देखभाल उसी प्रकार करेगा जिस प्रकार कि सामान्य बुद्धि का व्यक्ति समान परिस्थितियों और दशाओं में अपने माल की देखभाल करता है ।

कोल्ड स्टोरेज की क्षमता प्रदर्शित करने का कर्त्तव्य

13---प्रत्येक लाइसेन्सधारी प्रतिदिन अपना कारोबार प्रारम्भ करने के पूर्व, कोल्ड स्टोरेज के प्रवेश द्वार पर या उसके निकट कोल्ड स्टोरेज के सम्बन्ध में निम्नलिखित सूचना प्रदर्शित करेगा:---

(क) कोल्ड स्टोरेज की कुल क्षमता (क्षेत्रफल और टन भार दोनों में);

(ख) वस्तुतः अध्यासित क्षमता (क्षेत्रफल और टन भार दोनों में);

(ग) रिक्त क्षमता (क्षेत्रफल और टन भार दोनों में) ।

जमा करने के लिए माल स्वीकार करना

14---(1) कोई लाइसेन्सधारी, स्टोर करने के लिए, कृषि उत्पाद ग्रहण नहीं करेगा जिससे कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किए गए या किये जाने वाले अन्य कृषि उत्पाद को क्षति पहुंचने की सम्भावना हो, और यदि यह प्रश्न उठे कि कोई कृषि उत्पाद ऐसा है कि उससे उपर्युक्त प्रकार की क्षति होने की सम्भावना है, वह लाइसेन्स अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा:

परन्तु लाइसेन्सधारी, यथास्थिति, उद्यान विभाग के राजपत्रित अधिकारी या खण्ड विकास अधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में और रीति से इस प्रकार प्रमाणित वास्तविक कृषकों के आलू के बीज को इस आधार पर स्टोर करने से इन्कार नहीं करेगा कि इससे अन्य कृषि उत्पाद को क्षति पहुंचने की सम्भावना है ।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कोई लाइसेन्सधारी विधिपूर्ण कारण के बिना अपने कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पाद को ग्रहण करने से इन्कार नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण---इस धारा के अर्थान्तर्गत किसी कृषि उत्पाद को ग्रहण करने से इस आधार पर इन्कार करना विधिपूर्ण कारण नहीं समझा जायगा कि यद्यपि परिबद्ध कक्ष रिक्त है किन्तु किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में सुरक्षित है ।

माल की पहचान का परिरक्षण

15---प्रत्येक लाइसेन्सधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में प्रत्येक किरायादाता के कृषि उत्पाद को अन्य किरायादाता के ऐसे उत्पाद से तथा उसी किरायादाता के अन्य उत्पाद से जिसके लिए पृथक रसीद दी गयी हो, अलग रखेगा जिससे कि जमा माल सभी समय पर पहचाना जा सके और उसे सुगमतापूर्वक दिया जा सके:

परन्तु जहां कोल्ड स्टोरेज में मानकीकृत और श्रेणीकृत माल स्टोर किये जायं वहां एक या विभिन्न किरायादाता का एक ही प्रकार का माल, किसी प्रतिकूल संविदा के अधीन रहते हुए, एक साथ रखा जा सकता है और उसमें से प्रत्येक किरायादाता, यथास्थिति, तौल या परिमाण के अनुसार जैसा उसकी रसीद में उल्लिखित हो, धारा 17 के स्पष्टीकरण के अधीन निश्चित सीमा तक सूखा या संकुचन को कम करते हुए, केवल अपना भाग पाने का हकदार होगा ।

16—प्रत्येक लाइसेन्सधारी ऐसे समय में, जैसा लाइसेन्स अधिकारी आदेश द्वारा निदेश दें, किसी किरायादाता या उसके नाम-निर्दिष्ट व्यक्ति को अपने माल का निरीक्षण करने और अपना यह समाधान करने की सुविधा देगा कि उसके माल की उचित देखभाल की जाती है ।

लाइसेंसधारी किरायादाता को माल का निरीक्षण करने की सुविधा देगा

17...(1) जब कभी किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किया गया माल ऐसे कारण से जो लाइसेन्सधारी के नियंत्रण से परे हो, खराब होने लगे या उसके खराब हो जाने की सम्भावना हो, या किराया दाता कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किय गये माल की रसीद में उसके लिए विनिर्दिष्ट दिनांक से, पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर न उठाये तो लाइसेंसधारी किरायादाता को तुरन्त उसका नोटिस देगा जिसमें उससे सम्यक रूप से उन्मोचित रसीद अभ्यर्पित करने और लाइसेंसधारी को देय समस्त प्रभार का भुगतान करने के पश्चात् माल को तुरन्त उठाने की अपेक्षा की जायेगी, और ऐसे नोटिस की एक प्रति लाइसेन्स अधिकारी को भेजेगा ।

कोल्ड स्टोरेज में माल खराब होना और उसका निस्तारण

(2) जहां किरायादाता उपधारा (1) में निर्दिष्ट नोटिस का पालन उसे तामील किये जानें के दिनांक से सात दिन की अवधि के भीतर न करे वहां लाइसेन्सधारी माल को कोल्ड स्टोरेज से हटवा सकता है और उसे किरायादाता के खर्च और जोखिम पर सार्वजनिक नीलाम द्वारा बिकवा सकता है :

परन्तु लाइसेन्स धारीलाइसेन्स अधिकारी को ऐसी बिक्री की सूचना बिक्री के कम से कम अड़तालीस घन्टे पूर्व देगा, और लाइसेन्स अधिकारी ऐसी बिक्री का पर्यवेक्षण या तो स्वयं या अपने द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से करेगा ।

स्पष्टीकरण . सूखा या संकुचन द्वारा तौल या भार में कमी या नमी सोखने के कारण तौल या भार में वृद्धि की इस धारा के अर्थान्तर्गत खराब होना समझा जायगा, यदि उक्त कमी या वृद्धि एसी सीमा से अधिक हो, जिसे लाइसेंस अधिकारी समय-समय पर विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके निश्चित करे ।

(3) यदि नमी सोखने या अन्य कारण से कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद की तौल या भार अधिक हो जाय तो लाइसेंसधारी ऐसे आधिक्य का हकदार न होगा ।

18 . कोई व्यक्ति जिसका किसी कोल्ड स्टोरेज मे स्टोर किये गये माल में या ऐसे माल से सम्बन्धित किसी रसीद में कोई हित हो, लाइसेंसधारी को इस तथ्य और अपने हित के स्वरूप से लिखित रूप से अवगत करा सकता है और लाइसेंसधारी उसका अभिलेख रखेगा, और यदि ऐसा व्यक्ति लिखित रूप से यह निवेदन करे कि उसे माल की दशा के सम्बन्ध में प्रज्ञापन किया जाय और ऐसे प्रज्ञापन के लिये वह विहित प्रभार देने के लिये सहमत हो तो लाइसेंसधारी उसे तदनुसार प्रज्ञापन करने के लिये बाध्य होगा ।

माल की दशा के सम्बन्ध में प्रज्ञापन

माल का परिदान

19—(1) प्रत्येक लाइसेन्सधारी किरायादाता द्वारा या उसकी ओर से मांग किए जाने पर कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किए गए माल का परिदान करेगा, परन्तु किरायादाता रसीद अभ्यर्पित करे और लाइसेन्सधारी को देय समस्त प्रभार का भुगतान करें।

(2) लाइसेन्सधारी को इस प्रकार अभ्यर्पित प्रत्येक रसीद विरूपित कर दी जायेगी और पुनः जारी नहीं की जायगी।

(3) पक्षकारों के मध्य किसी करार के अधीन रहते हुए, किरायादाता कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल का परिदान आंशिक रूप से ले सकता है, और प्रत्येक ऐसे मामले में लाइसेंसधारी रसीद पर उसका आवश्यक पृष्ठांकन करके उसे किरायादाता को लौटा देगा।

लाइसेन्सधारी का स्वत्व

20—प्रत्येक लाइसेन्सधारी जिसका कब्जा अपने कोल्ड स्टोरेज में माल पर हो, उस समय तक उस पर कब्जा रखने का हकदार होगा जब तक कि धारा 19 के अनुसार उसकी रसीद अभ्यर्पित न कर दी जाय और आवश्यक प्रभार का सम्यक भुगतान न कर दिया जाय।

लाइसेन्सधारी कोल्ड स्टोरेज में रखे गये माल की किरायादाता के प्राधिकार के बिना न गिरवी रखेगा और न उसके सम्बन्ध में कोई व्यवहार करेगा

21—कोई लाइसेन्सधारी किरायादाता के लिखित प्राधिकार के सिवाय कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये जाने के लिये प्राप्त माल को न तो गिरवी रखेगा और न किसी अन्य प्रकार से उसके सम्बन्ध में कोई व्यवहार करेगा।

किरायादाता के उधार पर ब्याज की दर

22—यदि लाइसेन्सधारी कोल्ड स्टोरेज में किरायादाता द्वारा स्टोर किये गये किसी माल पर किसी किरायादाता को कोई धन उधार दे तो ब्याज की दर, किसी भी दशा में, उधार देते समय ऐसे ही प्रयोजनों के लिये स्टेट बैंक आफ इण्डिया द्वारा अपने पक्ष में गिरवी रखे गये माल के सम्बन्ध में ली जाने वाली चालू ब्याज की दर के अतिरिक्त एक प्रतिशत से आधे प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से अधिक नहीं होगी।

बीमा

23—प्रत्येक लाइसेंसधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किए गए कृषि उत्पाद का आग, टूटफूट (चाहे वह यांत्रिक या अन्य प्रकार का हो) या ऐसे ही अन्य कारण से होने वाली हानि या क्षति के लिये बीमा करा-एगा।

हानि, नाश आदि के लिये प्रतिकर

24—इस अधिनियम में अन्यथा की गई व्यवस्था के सिवाय, लाइसेन्स-धारी किरायादाता को अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये माल के सम्बन्ध में ऐसे लाइसेन्सधारी द्वारा की गयी उपेक्षा, अवचार या व्यतिक्रम के कारण हुई प्रत्येक हानि, नाश, क्षति, खराबी या माल के अपरिदान के लिये प्रतिकर का देनदार होगा।

प्रतिकर सम्बन्धी विवाद लाइसेन्स अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायगा

25—(1) धारा 24 के अधीन लाइसेंसधारी द्वारा देय प्रतिकर सम्बन्धी प्रत्येक विवाद लाइसेंस अधिकारी को निर्दिष्ट किया जायगा, और धारा 36 के अधीन अपील के, यदि कोई हो परिणाम के अधीन लाइसेंस अधिकारी का आदेश अन्तिम होगा।

(2) जब लाइसेंसधारी का यह समाधान हो जाय कि उपधारा (1) के अधीन लाइसेन्सधारी द्वारा देय किसी प्रतिकर का भुगतान उपधारा (1) के अधीन आदेश के दिनांक से या, यथास्थिति, धारा 36 के अधीन अधिकरण के विनिश्चय के दिनांक से तीस दिन के भीतर नहीं किया गया है तब वह कलेक्टर को वसूली का प्रमाण-पत्र जारी करेगा और कलेक्टर वसूली के खर्च सहित ऐसे प्रतिकर की राशि को भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूल करेगा और वसूल की गयी राशि का भुगतान, उसमें से खर्च काटने के पश्चात्, किरायादाता को करेगा।

अतिरिक्त राशि की वसूली का प्रतिषेध

26—कोई लाइसेन्सधारी स्टोर करने या किरायादाता के प्रति की गई किसी अन्य सेवा के लिये, धारा 29 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रभार के अतिरिक्त कोई राशि नहीं लेगा।

लाइसेंसधारी लेखा-बही रखेगा

27—प्रत्येक लाइसेंसधारी विहित प्रपत्र और रीति से लेखा-बही और अभिलेख रखेगा।

लाइसेंस अधिकारी की निदेश जारी करने की शक्ति

28—प्रत्येक लाइसेंसधारी, इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस अधिकारी के ऐसे निदेशों का पालन करने के लिये बाध्य होगा, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के कार्यान्वयन के लिये उसके द्वारा समय-समय पर जारी किये जाएं।

अध्याय 5

सेवा प्रभार

राज्य सरकार अधिकतम प्रभार निश्चित करेगी

29—राज्य सरकार, समय-समय पर, अधिकतम प्रभार निश्चित करेगी जिसे लाइसेन्सधारी कोल्ड स्टोरेज में कृषि उत्पादन को स्टोर करने के लिए या उसके सम्बन्ध में की गई किसी अन्य सेवा के लिये ले सकता है, और उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के लिये विभिन्न प्रभार निश्चित किये जा सकते हैं :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् प्रथम बार इस धारा के अधीन जो अधिकतम प्रभार निश्चित किया जा सकता है, वह ऐसे प्रारम्भ के दिनांक के पहले की किसी अवधि पर भी किसी कृषि उत्पाद के सम्बन्ध में लागू होगा जो उक्त दिनांक पर कोल्ड स्टोरेज में पूर्ववत् स्टोर किया गया हो।

प्रभार अधिसूचित किये जायेंगे

30—धारा 29 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निश्चित प्रभार सरकारी गजट में अधिसूचित किये जायेंगे।

बोर्ड की आख्या पर विचार किया जाना

31—जहां धारा 3 के अधीन बोर्ड गठित किया गया हो, वहां राज्य सरकार धारा 29 में निर्दिष्ट प्रभार निश्चित करने के पूर्व उसकी आख्या पर विचार करेगी।

अध्याय 6

कोल्ड स्टोरेज की रसीद

रसीद देने का कर्त्तव्य

32—प्रत्येक लाइसेंसधारी अपने कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद के लिये विहित प्रपत्र में रसीद देगा।

कोल्ड स्टोरेज की रसीद पृष्ठांकन और परिदान द्वारा अन्तरणीय होगी

33--धारा 32 में निर्दिष्ट रसीद, जब तक कि उसमें अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, पृष्ठांकन और परिदान द्वारा अन्तरणीय होगी और यथा समय उसका धारक उसमें विनिर्दिष्ट माल प्राप्त करने का हकदार होगा मानों वह मूल किरायादाता हो ।

रसीद की दूसरी प्रति

34--यदि कोई रसीद खो जाय, नष्ट हो जाय, फट जाय, विरूपित हो जाय या अन्य प्रकार से अपठनीय हो जाय तो लाइसेंसधारी किरायादाता द्वारा आवेदन-पत्र और विहित फीस देने पर ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हों, जो विहित की जाय, रसीद की दूसरी प्रति जारी करेगा ।

अध्याय 7
अधिकरण

अधिकरण का गठन

35--एक अधिकरण होगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :--

(क) भारत सरकार का कृषि मण्डी सलाहकार, जो सभापति होगा;

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के विधि परामर्शी या उनके द्वारा नाम निर्दिष्ट उनके विभाग का कोई अधिकारी जो संयुक्त विधि परामर्शी के पद से नीचे का न हो;

(ग) सरकार के कृषि विभाग के सचिव या उन द्वारा उस विभाग का नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी जो संयुक्त सचिव के पद से नीचे का न हो ।

अपील

36--धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन लाइसेंस देने से इन्कार करने या धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन उसका नवीकरण करने से इन्कार करने या धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन उसे निलम्बित या रद्द करने, या धारा 9 के अधीन अनुज्ञा देने से इन्कार करने या धारा 14 की उपधारा (1) या धारा 25 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवाद के विनिश्चय विषयक लाइसेंस अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसा आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से तीस दिन के भीतर अधिकरण को अपील कर सकता है, और उस पर अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा ।

अध्याय 8
शस्तियां और प्रक्रियां

शास्ति

37--इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम, आदेश या निदेश के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला कोई सिद्ध-दोष होने पर कारावास से, जो दो वर्ष तक हो सकता है या जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों से दण्डित किया जायगा ।

कम्पनियों द्वारा अपराध

38--(1) यदि इस अधनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध किये जाने के समय उस कम्पनी के कार्यसंचालन के लिये प्रभारी और उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी उस अपराध का दोषी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति किसी दण्ड का भागी नहीं होगा, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिये सब तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मिति या मौनानुकूलता से किया गया या उपेक्षाजनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण---इस धारा के प्रयोजनों के लिये---

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फार्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) "निदेशक" का तात्पर्य किसी फर्म के सम्बन्ध में, उस फर्म के भागीदार से है।

अपराध का संज्ञान

39---(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा।

(2) प्रथमवर्ग के मैजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न वर्ग का कोई न्यायालय ऐसे किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

लाइसेंस अधिकारी की शक्ति

40---लाइसेंस अधिकारी---

(क) किसी लाइसेंसधारी से ऐसी सूचना, जिसे वह लाइसेंसधारी के स्वामित्व में या उसके द्वारा चलाये जाने वाले कोल्ड स्टोरेज के संबन्ध में विनिर्दिष्ट करें, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;

(ख) अपना यह समाधान करने के उद्देश्य से कि इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों की अपेक्षाओं का पालन किया जा रहा है, किसी कोल्ड स्टोरेज में प्रवेश कर सकता है और उसका, उसकी मशीन तथा सज्जा, उसमें स्टोर किये गये माल, और उससे सम्बन्धित लेखा बहियों और अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है, या उनका निरीक्षण करा सकता है;

(ग) किसी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर किये गये कृषि उत्पाद के नमूने ले सकता है और इस प्रयोजन के लिये निर्धारित की गयी किसी प्रयोगशाला में उनका विश्लेषण, परीक्षण या जांच करा सकता है।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

41---(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सदभावना से किये गये या किये जानें के लिये अभिप्रेत किसी कार्य के सम्बन्ध में कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

(2) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन सद्भावना से किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी कार्य से हुई किसी क्षति के लिये या जिसके होने की सम्भावना हो, राज्य सरकार के विरुद्ध कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

आदेशो के संबंध में अपवाद

42—इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अथवा इसके अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करके दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायेगी।

अन्य अधिनियमितियों और लिखत से असंगत होत हुए भी अधिनियम और नियम आदि का प्रभाव

43—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम का उपबन्ध प्रभावी होगा भले ही इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति में, या किसी अन्य संविदा में, या किसी अन्य लिखत में, जिसका इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के कारण प्रभाव हो, कोई असंगत बात हो।

राज्य सरकार द्वारा निदेश

44—इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन करने में लाइसेंस अधिकारी नीति संबन्धी विषयों पर राज्य सरकार के ऐसे निदेशों का पालन करेगा जिन्हें राज्य सरकार स्वयं या बोर्ड की सलाह से जारी करे।

नियम

45—(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है, जिसके अन्तर्गत इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में फीस विहित करने के सम्बन्ध में कोई नियम भी है।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जबकि उसका सत्र हो रहा हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो उसके एक सत्र या एक से अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई बाद का दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुये प्रभावी होंगें जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

निरसन और अपवाद

46—(1) उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं 7, 1976

(2) ऐसे निरसन या उपधारा (1) में उल्लिखित अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुये भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन तदनुरूप उपबन्धों के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत था।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 46 तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976

उत्तर प्रदेश में कोल्ड स्टोरेजों को लाइसेन्स देने, उनका पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह 20 सितम्बर, 1975 से प्रवृत समझा जायगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खन्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अगं माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कोल्ड स्टोरेज विनियमन विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त)—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 प्रस्तुत करते हुए, मुझे निवेदन करना है कि यह अधिनियम संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम, 1964 तथा मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 के अग्रेतर संशोधन करने के लिये है। मान्यवर, इन अधिनियमों में संशोधन करने की आवश्यकता और पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना आवश्यक प्रतीत होता है। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं कि बसों में यात्रा करने वाले व्यक्तियों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी। किन्तु खड़े होकर चलने वाले यात्रियों को (मार्गकर) के निर्धारण के हिसाब से नहीं लिया जाता था जिसके कारण मार्ग-कर की हानि होती थी। किन्तु यह प्रस्तावित है कि खड़े होने के स्वीकृत स्थान के (यदि कोई हो) पचास प्रतिशत की गणना बैठने के अतिरिक्त स्थान के रूप में की जावेगी। इससे राजस्व में वृद्धि होगी। इस मुख्य संशोधन के अतिरिक्त अन्य परिभाषायें, स्पष्टीकरण तथा प्रतिस्थापन संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 में जोड़ने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की विभिन्न धाराओं में भी संशोधन किये जा रहे हैं। इन धाराओं के संशोधन से करदाता को यात्री कर जमा करने

[श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त]

में सुविधा होगी तथा यात्री कर के चोरी की संभावना नहीं रहेगी। तथा यह निश्चित समय पर जमा किया जा सकेगा। यात्री कर के निर्धारण के विरुद्ध जो अपीलें आपरेटरों द्वारा की जाती हैं, उन पर तब तक विचार नहीं किया जावेगा जब तक निर्धारित टैक्स का पचास प्रतिशत जमा नहीं किया जाता। इससे बेबुनियाद अपीलों की संख्या कम हो जायेगी व अपीलों के निस्तारण में सुगमता होगी। यह भी व्यवस्था की गयी है कि यदि किसी यात्री गाड़ी का कर अदा करने की तिथि से 15 दिन बाद तक जमा नहीं किया जाता है और वह चलते हुय पाई जायेगी तो उसे पकड़ लिया जावेगा और तब तक नहीं छोड़ा जावेगा जब तक पूरा कर तथा अर्थदण्ड जमा नहीं कर दिया जाता।

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (मालकर) अधिनियम में प्रस्तावित संशोधन ऐसी गाड़ियां संभाल कर लिये जाने के लिये हैं जो माल ले जाते हुये उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। यह भी प्रावधान किया गया है कि मालकर की वापसी के लिये न्यायालय में वाद नहीं किया जा सकेगा। मालकर निर्धारण के विरुद्ध अपील अपीलेंट अधिकारी के सम्मुख तभी की जा सकेगी जब निर्धारित कर का 50 प्रतिशत जमा कर दिया जाये।

1972 में मंत्रि परिषद् ने यह निर्णय लिया था कि जिन मार्गों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है, उन पर बस चलाने की परमिट उदारतापूर्वक दिये जायें। आशा यह की जाती थी कि मार्गों पर जितनी अधिक यात्री गाड़ियां उपलब्ध होंगी उतनी ही अधिक मात्रा में यात्रियों को सुविधा होगी। किन्तु ऐसा नहीं हुआ। इसके विपरीत उसे अनेक कठिनाइयों अनुभव हुई और परिवहन व्यवस्था में अव्यवस्था होने लगी।

मार्गों पर आवश्यकता से अधिक बसों के हो जाने से खींचातानी और अनियमितता बढ़ने लगी अन्याय स्पर्धा (अनफेयर कम्पेटीशन) के फलस्वरूप संदेह होने लगा कि छोटे परिचालक जिनके पास एक परमिट है, इस व्यवसाय में न रहने पायेंगे और काले धन वाले पूंजीपति बस परिचालन पर एकाधिकार कर लेंगे। इसलिये यातायात की संभावनाओं, वर्तमान परमिटों की संख्या तथा मार्गों के राष्ट्रीयकरण की भावी नीति को दृष्टि में रखते हुये तथा पंजी एंव पी0 ओ0 एल0 (पेट्रोल, आयल एण्ड लूब्रिकैन्टस) की भारी मात्रा में अनुपयोगिता, छोटे आपरेटरों के अनफेयर कम्पेटीशन, राष्ट्रीयकृत रूटों पर प्राइवेट गाड़ियों के अतिक्रमण को रोकने के लिये तथा सहकारी समितियों, परिगणित जातियों, जनजातियों, शिक्षित बेरोजगारों, भूतपूर्व सैनिकों आदि को ध्यान में रखते हुये बसों के अनुज्ञा पत्रों को दिये जाने की नीति निर्धारण होनी है। इसी उद्देश्य से किसी मार्ग या क्षेत्र के संबंध में अनुज्ञा पत्रों देने की प्रक्रिया के संबंध में राज्य सरकार को प्राधिकृत करने हेतु मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 को संशोधित करना आवश्यक समझा गया।

सरकार को इस बात की भी शिकायतें मिल रही थीं कि मिनी बस, निजी कार आदि अपने अनुज्ञा पत्रों की शर्तों का उल्लंघन करते हुए राष्ट्रीयकृत मार्गों पर सामान्य रूप से चलाई जा रही थी, जिसके फलस्वरूप सरकारी राजस्व की हानि हो रही थी। इस अवैध रूप से मोटर गाड़ियों को चलाने से रोकने के लिये पर्याप्त दन्ड व्यवस्था की जानी आवश्यक थी। अतएव दण्ड व्यवस्था में संशोधन एवं द्वितीय या अनुवर्ती अपराध की दशा में सम्बद्ध गाड़ी के अधिकरण की व्यवस्था करना भी समुपयुक्त समझा गया ताकि परिचालक तुरन्त बसों को छुड़ाकर अनधिकृत परिचालन शुरू न कर सकें।

चूंकि राज्य विधान मंडल सत्र में नहीं था और एतद्पूर्व उल्लिखित उपर्युक्त अधिनियमों को संशोधित करना आवश्यक था, अतएव 3 अक्तूबर, 1975, 25 अक्तूबर, 1975 और 12 नवम्बर, 1975 को क्रमशः उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी कराधान विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1975, मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1975 और मोटर वेहिकिल्स (उत्तर प्रदेश द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1975 प्रख्यापित किये गये थे।

इस बीच राज्य में राष्ट्रपति शासन आरोपित किया गया था और 5 जनवरी, 1976 को संसद का सत्र प्रारम्भ होने के कारण उपर्युक्त अध्यादेश 16 फरवरी, 1976 के पश्चात प्रवर्तनीय न रह जाते। अतएव उक्त अध्यादेशों को दिनांक 16 फरवरी, 1976 को एक संहत अध्यादेश अर्थात उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1976 द्वारा निरसित तथा प्रतिस्थापित कर दिया गया था।

यह अध्यादेश उपर्युक्त अध्यादेश संख्या 9, 1976 का स्थान ग्रहण करने के लिये पुरः स्थापित किया जाता है। संयुक्त प्रान्त मोटरगाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 की धारा 13 में निर्धारित शास्ति की राशि को भी जो वर्ष 1935 में निर्धारित की गयी थी और त्रासद रूप में अपर्याप्त हो गयी थी, बढ़ाये जाने का प्रस्ताव किया गया है। विधेयक में इस आशय की आवश्यक व्यवस्था की गयी है।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)--

मान्यवर, अभी इस विधेयक को सरसरी निगाह से पढ़ने का मौका मिला। धारा 43 का संशोधन किया जा रहा है और सरकार को अधिकार दिया जा रहा है कि वह निर्देश दे सके कि किसी मार्ग पर कितने परमिट दिये जा सकेंगे। मान्यवर, अभी तो आप कहते हैं कि फ्री परमिट हो जाये और कभी कहते हैं कि सभी परमिटों की संख्या सीमित कर दी जाये। तो मेहरबानी करें कि एक नीति बना दी जाये। क्योंकि कल दूसरी सरकार आयेगी तो कहेगी कि सीमाबन्द कर दी जाये। विधेयक में इस बात को स्पष्ट कर दिया जायें कि आपको फ्री परमिट देना है या परमिटों की सीमा सीमित करना है। एक परिवहन मंत्री आ जाते हैं वह फ्री परमिट कर देते हैं और दूसरे आ जाते हैं तो आदेश देते हैं कि सीमित कर दिया जाये। आप जिन व्यक्तियों को प्रिफरेन्स देंगे उसमें बेचारे ड्राइवर व कन्डक्टर जिसकी पूरी जिन्दगी मोटर वेहिकिल्स से जुड़ी ईहु है, उसके बारे में आप खामोश हैं। क्या वह आपके 20 सूत्री कार्यक्रम में नहीं आता है? क्या आपकी नीति नमें है कि जो मेहनत करने वाला है लगातार गाड़ियां चला रहा है उसको आप उस सूची में क्यों नहीं रखना चाहते हैं? अगर आप कहें कि लिखित रूप में एक अमेन्डमेंट देने को तैयार हूं जो अध्याय 5 की धारा 2 की उपधारा (ख) है, उसमें आप इसको जोड़ लें तो अच्छा होगा। आप लगातार टैक्स लगाते जा रहे हैं लेकिन बोझ किस पर पड़ेगा? टैक्सी वालों पर और न कार वालों पर। बोझ पड़ेगा उन लोगों पर जो बेचारे खड़े होकर बसों में सफर करते हैं। आज इनकम टैक्स में भी छूट अगर दी जा रही है तो बड़े-बड़े पूंजीपतियों को दी जा रही है, छोटों को नहीं। यह उचित नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इस विधेयक को वापस लें और फिर पुनर्विचार करके सदन में लायें।

*श्री शिव कुमार पांडेय (जिला सुल्तानपुर)--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका मैं अनुमोदन करता हूं। अभी माननीय मंत्री जी ने कहा है कि इससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ रहा है और यात्रियों को सुविधा भी होगी। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि जिस सड़क पर रोडवेज की बसें चलती हैं और प्राइवेट लोगों की बिना परमिट प्राप्त किये ही गाड़ियां चलती हैं, उनसे रोडवेज के कन्डक्टर्स मिल कर टिकट ही नहीं बनाते हैं और लोगों को फ्री ले जाते हैं। रोडवेज वालों की सवारियां भी प्राइवेट गाड़ियों के मुकाबले में कम रहती हैं। प्राइवेट वाले तो ओवरलोड तक ले जाते हैं और बिना परमिट प्राप्त किये ही गाड़ियां चलाते हैं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त--

अब बन्द हो गई हैं।

श्री शिव कुमार पांडेय

मंत्री जी कह रहे हैं कि अब बन्द हो गई हैं लेकिन मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारे जिले में प्राइवेट गाड़ियां अब भी बिना परमिट के चल रही हैं। एक गाड़ी रोडवेज की इलाहाबाद, कादीपुर, दोस्तपुर और बिरसिंहपुर को चलवायी थीं लेकिन कन्डक्टर लोग कादीपुर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शिव कुमार पांडेय]

से बिर्रासिहपुर के टिकट ही नहीं काटते हैं। इस कारण से कई गाड़ियां ही बन्द हो गई हैं और रोजाना चलने वाले यात्रियों को बड़ी कठिनाई हो गई है बावजूद इसके कि इतनी गाड़ियां भी चला दी गई हैं। लोग छतों पर बैठ-बैठ कर सफर करते हैं। सरकार की ओर से कहा गया था कि जितने भी गांव सड़क से दूर पड़ते हैं, उनको लिंक रोड्स के द्वारा अब बड़ी सड़कों से जोड़ दिया जायगा लेकिन अभी तक कोई कार्यान्वयन नहीं हुआ है जिसके कारण देहात के वे लोग जो दूर-दूर गांवों में रहते हैं बड़ी कठिनाई उठाते हैं। जिले के हेडक्वार्टर गांवों से 60-60 और 70-70 मील की दूरी पर हैं। अब आपने कच्ची सड़कों पर राष्ट्रीय मार्गों पर जो प्राइवेट लोगों को परमिट देना बन्द कर दिया उससे लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है। जहां आप यात्री कर लगा कर रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं अगर आप केवल यह कर दें कि जहां पर कन्डक्टरों द्वारा टिकट नहीं काटे जाते हैं, उन्हीं को कटवाने का प्रबन्ध कर दें तो रेवेन्यू की कमी दूर हो जायगी।

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जो अपने अपने सुझाव दिये हैं, मैं उनका हृदय से आभारी हूं, और जहां तक संभव होगा मैं उनको पूरा करने का प्रयास भी करूंगा। मैं यह भी आशा करता हूं कि भाई नेगी जी ने और माननीय पांडेय जी ने जो सुझाव दिये हैं, मैं उन पर चल कर उनको संतोष दिला सकूं। आज इन चारों विधेयकों को सदन में लाने की क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके बारे में, मैं काफी विस्तार से कह चुका हूं। अब मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इसे पारित करें।

श्री अध्यक्ष --

चार अधिनियमों पर आप एक संशोधन लाये हैं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 23

अध्याय 2

संयुक्त प्रांत मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 का संशोधन

संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 5, 1935

2--उत्तर प्रदेश कराधान तथा भू-राजस्व विधि अधिनियम, 1975 का अध्याय-5 और धारा 39 का उतना भाग जो उक्त उपधारा (1) में उल्लिखित मद (2) और उपधारा (2) में उल्लिखित मद (2) के सम्बन्ध में है, एतद्द्वारा दिनांक 24 मार्च, 1975 से निरसित और पुनः अधिनियमित किया जाता है और संयुक्त प्रान्त मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935 में, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, उक्त अध्याय द्वारा किये गये संशोधन (जिसे उक्त धारा 39 के कारण दिनांक 30 सितम्बर, 1974 से प्रवृत्त समझा जायगा) धारा 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में समाविष्ट अग्रतर संशोधनों के अधीन होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1975 के एक भाग का निरसन और पुनः अधिनियमन

धारा 2 का प्रतिस्थापन

3--मूल अधिनियम की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायेगी, अर्थात:--

"2--जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में--

(क) 'अपील प्राधिकारी' का तात्पर्य परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश या राज्य सरकार द्वारा अपील प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किसी अन्य अधिकारी से है;

(ख) 'कराधान अधिकारी' का तात्पर्य कराधान अधिकारी पर इस अधिनियम द्वारा आरोपित या प्रदत्त कर्तव्यों का पालन

और शक्तियों का प्रयोग करने के लिये राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी से है ;

(ग) 'नियत' का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम या अधिसूचना द्वारा नियत से है;

(घ) 'मार्ग' का तात्पर्य सड़क या सड़कों या सड़क या सड़कों के किसी ऐसे भाग या भागों से है जिस पर या जिन पर मोटर वैहकिल्स ऐक्ट, 1939 के अधीन जारी किये गये परमिट के अधीन किसी परिवहन गाड़ी के चलने के लिये प्राधिकृत किया जाय ; ऐक्ट 4, 1939

(ङ) "कर" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन आरोपित कर से है ;

(च) अन्य शब्दों तथा पदावलियों के वही अर्थ हैं जो क्रमशः उन्हें मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट, 1939 में दिये गये हैं ।" ऐक्ट 4, 1939

धारा 3 का संशोधन

4---मूल अधिनियम की धारा 3 में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा, अर्थात :---

"स्पष्टीकरण---इस धारा के अधीन कोई नियम या अधिसूचना जिसके द्वारा कोई विमुक्ति नियत की जाय या किसी विमुक्ति की शर्तें कि जाय, पूर्ववर्ती किसी ऐसे दिनांक से, जो चालू वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से पहले का न हो बनाया जा सकता है या जारी की जा सकती है, परन्तु कोई विमुक्ति पूर्ववर्ती दिनांक से वापस नहीं ली जायगी ।"

धारा 4 का संशोधन

5---मूल अधिनियम की धारा 4 में अंक "1974" के स्थान पर अंक "1975" रखे जायेंगे और सदैव से रखे गये समझे जायेंगे ।

धारा 5 का संशोधन

6---मूल अधिनियम की धारा 5 में, अंक "1974" के स्थान पर अंक "1975" रखे जायेंगे और सदैव गए रखे समझें जायेंगें ।

धारा 7 का संशोधन

7---मूल अधिनियम की धारा 7 में ---

(i) शब्द "तीन महीने" के स्थान पर शब्द "एक मास" रखे जायेंगे ;

(ii) उसके अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ाया जायगा, अर्थात् :---

"प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी कोई वापसी तब तक स्वीकृत नहीं होगी जब तक कि ऐसे व्यक्ति नें उस अवधि में, जिसके लिये वापसी का दावा किया जाय, कराधान अधिकारी को रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, गाड़ी के सम्बन्ध में जारी किया गया टोकिन और परमिट, यदि कोई हो, जमा न कर दिया हो ।"

धारा 13 का संशोधन

8---मूल अधिनियम की धारा 13 में, शब्द "पचास रुपये" और "एक सौ रुपये" के स्थान पर क्रमशः शब्द "तीन सौ रूपये" और "पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे ।

धारा 15 का प्रतिस्थापन

9---मूल अधिनियम की धारा 15 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जायगी, अर्थात :---

"15-(1) धारा 7 के अधीन दिये गये कराधान अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर अपील प्राधिकारी को अपील कर सकता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा अपील में दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम और निश्चायक होगा"।

धारा 20 का संशोधन

10—मूल अधिनियम की धारा 20 में—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी, अर्थात :—

"(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।";

(ii) उपधारा (2) में, खण्ड (ङ) में शब्द "निर्धारण" निकाल दिया जायगा।

प्रथम अनुसूची का संशोधन

11—मूल अधिनियम की प्रथम सूची में, भाग—ख में, अनुच्छेद 4 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ाया जायगा, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ, खड़े होने की स्वीकृत स्थान के (यदि कोई हो) पचास प्रतिशत स्थान की गणना बैठने के अतिरिक्त स्थान के रूप में की जायगी।"

संक्रमण कालीन उपबन्ध

12—मूल अधिनियम की धारा 15 के अधीन प्रत्येक अपील, जो उस अधिनियम के अधीन कर की वसूली से सम्बन्धित आदेश के विरुद्ध अपील अभिप्रेत हो, और जो 3 अक्तूबर, 1975 के ठीक पहले विचाराधीन हो, उक्त दिनांक से उपशमित समझी जायगी।

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1962 की धारा 7 का संशोधन

13—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री-कर) अधिनियम, 1962 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 7 में, निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ाया जायगा, अर्थात :—

"प्रतिबन्ध यह है कि कर ऐसी अन्य रीति से, यदि कोई हो, जो नियत की जाय, दिया या जमा किया जा सकता है।"

धारा 8 का संशोधन

14—मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (2) में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड बढ़ाया जायगा, अर्थात:—

"प्रतिबन्ध यह है कि कर ऐसी अन्य रीति से यदि कोई हो, जो नियत की जाय, दिया या जमा किया जा सकता है।"

धारा 13 का संशोधन

15—मूल अधिनियम की धारा 13 में, उपधारा (2) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खंडों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रखा जायगा, अर्थात :—

"प्रतिबन्ध यह है कि खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन कोई अपील अपीलीय प्राधिकारी द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि कर के रूप में देय अवधारित या निर्धारित धनराशि का पचास प्रतिशत जमा न कर दिया गया हो।"

धारा 15 का संशोधन

16—(1) मूल अधिनियम की धारा 15 को उसकी उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित कर दिया जायगा, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ाई जायेंगी, अर्थात:—

"(2) कोई यात्री गाड़ी राज्य में किसी सार्वजनिक स्थान में चलाई नहीं जायगी, यदि उसके सम्बन्ध में कोई कर या दण्ड,

जब वह इस अधिनियम के या उसके अधीन बनाये गये नियमों या आदेशों के अधीन देय हो जाय, उसके पश्चात् पन्द्रह दिन से अधिक तक न दिया जाय :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां कोई अपील करके निर्धारण या दण्ड के आरोपण के विरुद्ध विचाराधीन हो, वहां अपीलीय प्राधिकारी कारण अभिलिखित करके, यात्री गाड़ी को इस उपधारा के प्रवर्तन से ऐसी अवधि के लिये, जैसी उसके द्वारा विनिर्दिष्ट हो, छूट दे सकता है ।

(3) परिवहन विभाग का कोई अधिकारी, जो कर अधिकारी के स्तर के नीचे का न हो, किसी यात्री गाड़ी को जो, उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुये चलाई जाय, तब तक अभिग्रहीत और निरुद्ध कर सकता है, जब तक कि धारा 14 के अधीन रजिस्ट्री का प्रमाण-पत्र या इस धारा में निर्दिष्ट रसीद प्राप्त न कर ली जाय या, यथास्थिति, ऐसे कर या दण्ड या दोनों की सम्पूर्ण धनराशि का भुगतान यथाविधि न कर दिया जाय ।"

अध्याय 4

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15, 1964 की धारा 2 का संशोधन

17—उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल-कर) अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, खंड (ट) में, पदावली 'मोटर गाड़ी" और "ट्रेलर" के बीच "पदावली" मार्ग बढ़ा दिया जायगा ।

धारा 3 का संशोधन

18—मूल अधिनियम की धारा 3, स्पष्टीकरण 1 के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जायगा और सदैव से रखा गया समझा जायगा, अर्थात् :—

"स्पष्टीकरण 1—जहां माल सार्वजनिक माल वाहन द्वारा—

(क) राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान को, या

(ख) राज्य के भीतर के किसी स्थान से राज्य के बाहर के किसी स्थान को, या

(ग) राज्य के बाहर के किसी स्थान से राज्य के भीतर के किसी स्थान को,

लाया जाय, वहां राज्य के भीतर माल ढोने के लिये देय भाड़ा वह धनराशि समझी जायगी जिसका अनुपात देय कुल भाड़े से वही है जो राज्य के भीतर की दूरी का कुल ऐसी दूरी से है, जितनी दूरी तक ऐसे वाहन से माल ले जाते हैं ।"

धारा 18 का संशोधन

19—मूल अधिनियम की धारा 18 में उपधारा (2) में, उसके प्रतिबन्धात्मक खंडों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड रखा जायगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि अपीलीय प्राधिकारी द्वारा खंड (ख) के अधीन कोई अपील तब तक ग्रहण नहीं की जायगी, जब तक कि कर के रूप में देय अवधारित धनराशि का पचास प्रतिशत जमा न कर दिया गया हो ।"

विधि मान्यता

20—किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुये भी मूल अधिनियम की धारा 3 के अधीन या आधार पर, किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत उत्तर प्रदेश से होकर चलने वाले सार्वजनिक माल वाहनों में ले जाने वाले माल पर कर का लगाया जाना भी है) या किया गया अभिप्रेत होने वाला कोई कार्य या की गई अभिप्रेत होने वाली कोई कार्यवाही वैसे ही विधिमान्य और प्रभावशाली समझी जायगी, मानों इस अधिनियम की धारा 18 द्वारा उसमें किया गया संशोधन सभी सारभूत समय पर प्रवृत रहा हो और तद्नुसार—

(क) मूल अधिनियम की धारा 3 में निर्दिष्ट किसी धनराशि की वापसी के लिये कोई वाद या अन्य कार्यवाही किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष ग्राह्य या जारी नहीं होगी; और

(ख) कोई न्यायालय ऐसी किसी धनराशि की वापसी के लिये किसी डिक्री या आदेश का निष्पादन नहीं करेगा ;

(ग) कोई कर, जिसकी वसूली 3 अक्तूबर, 1975 के पूर्व किसी न्यायालय द्वारा रोकी गयी या अवरुद्ध की गयी थी, इस अधिनियम की धारा 18 द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 3 के उपबन्धों के अनुसार वसूली के योग्य होगी

अध्याय 5

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट, 1939 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25, 1972 द्वारा ऐक्ट संख्या 4, 1939 में बढ़ाई गई धारा 43-ए का संशोधन

21—मोटर वैहकिल्स ऐक्ट, 1939 की (जिसे आगे इस अध्याय में 'मूल अधिनियम' कहा गया है) धारा 43–ए में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रखी जायेगी और सदैव से रखी गई समझी जायेंगी, अर्थात्:—

"(2) उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे निदेश निम्नलिखित किसी विषय के सम्बन्ध में दिये जा सकते ह, अर्थात् :—

(क) यात्री गाड़ी या ठेका गाड़ी के अनुज्ञा-पत्रों की संख्या, जो किसी मार्ग या क्षेत्र के सम्बन्ध में दिये जा सकते हैं;

(ख) विशेष रूप से सुपात्र श्रेणियों के व्यक्तियों, यथा, भूतपूर्व सैनिकों, शिक्षित बेरोजगारों, गाड़ी चलाने का लाईसेंस रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को, जो यात्री परिवहन कारबार के लिये बनाई गयी सहकारी समितियों के सदस्य हों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को, अधिमान या अधिमान क्रम जो दिया जायगा या कोटा जो निश्चित किया जायगा ;

(ग) अनुज्ञा-पत्र देने की और आवेदकों में से चयन करने की प्रक्रिया, जिसके अन्तर्गत एक ही श्रेणी के व्यक्तियों में से पर्ची डाल कर चयन करना भी है ।

(3) उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश पूर्वगामी प्रभाव से जारी किया जा सकता है ।

(4) जहां किसी परिवहन प्राधिकरण को उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश जारी किया जाय, वहां राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण के समक्ष विचाराधीन किसी अपील या पुनरीक्षण का भी विनिश्चय इस प्रकार किया जायगा कि ऐसे निदेश को प्रभावी किया जा सके ।

(5) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई निदेश पूर्वगामी प्रभाव से जारी किया जाय, वहां—

(क) कोई परिवहन प्राधिकरण या राज्य परिवहन अपील न्यायाधिकरण किसी ऐसे आदेश को, जिसे उसमें पहले दिया हो, ऐसे निदेश के अनुरूप बनाने की दृष्टि से पुनर्विलोकित कर सकता है, और इस प्रयोजन के लिय पहले से दे दिये गये किसी अनुज्ञा-पत्र को रद्द कर सकता है ;

(ख) कोई परिवहन प्राधिकरण उच्च न्यायालय को आवेदन उस न्यायालय के द्वारा पहले दिये गये किसी आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिये कर सकता है , जिससे कि ऐसा प्राधिकरण ऐसे निदेश का पालन कर सके ।

(6) धारा 47,50 और 57 में किसी बात के होते हुये भी इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे ।"

22—मूल अधिनियम की धारा 123 में — ऐक्ट 4, 1939 की धारा 123 का संशोधन

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात् :—

"(1) जो कोई धारा 22 के उपबन्धों का उल्लंघन करते हुये या धारा 42 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित अनुज्ञा-पत्र के बिना, या जिस मार्ग पर या जिस क्षेत्र में या जिस प्रयोजन के लिये गाड़ी का प्रयोग किया जा सकता है, या यात्रियों को जो अधिकतम संख्या और सामान की जो अधिकतम तौल गाड़ी से ले जा सकते हैं, उससे सम्बन्धित ऐसे अनुज्ञा-पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करते हुये मोटर गाड़ी चलाता है या मोटर गाड़ी का प्रयोग कराता है या करने देता है, उसको प्रथम अपराध के लिये जुर्माना का, जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, और उपधारा (1—क) में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय, या किसी द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये कारावास का ,जो छः मास तक हो सकता है, या जुर्माना का, जो दो हजार रुपये तक हो सकता है, या दोनों का दण्ड दिया जायगा :

परन्तु कोई न्यायालय, उन कारणों के सिवाय, जो अभिलिखित किये जायेंगे, द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये पांच सौ रुपये से कम का जुर्माना नहीं करेगा ।";

(2) उपधारा (1) के पश्चात निम्नलिखित उपधारा बढ़ायी जायगी, अर्थात् :—

"(1—क) जो कोई धारा 42 की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित अनुज्ञा-पत्र के बिना या जिस मार्ग पर या जिस क्षेत्र में या जिस प्रयोजन के लिये गाड़ी का प्रयोग किया जा सकता है, उससे सम्बन्धित ऐसे अनुज्ञा-पत्र की किसी शर्त का उल्लंघन करते हुये मोटर गाड़ी, जो (मोटर कैब से भिन्न) ठेका गाड़ी या यात्री गाड़ी है, चलाता है या प्रयोग में लाता है, या चलवाता है या चलाने देता है या प्रयोग कराता है या करने देता है, उसको किसी द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये कारावास का, जो दो मास से कम या छः मास से अधिक नहीं होगा, दण्ड दिया जायगा और उसका दायित्व जुर्माना के लिये भी होगा जो दो हजार रुपये तक हो सकता है :

परन्तु किसी ऐसे द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये न्यायालय कारण सहित, जिसे अभिलिखित किया जायगा, कम अवधि के लिये कारावास का

या कारावास के बदले जुर्माना का, जो एक हजार रुपये से कम नहीं होगा, दण्डादेश दे सकेगा ।";

(3) उपधारा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रक्खी जायगी, अर्थात् :—

"(3) जहां कोई व्यक्ति इस धारा के अधीन अपराध के लिये दोषी सिद्ध किया जाता है, वहां वह न्यायालय, जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध किया जाता है, किसी दण्डादेश के अतिरिक्त, जो उपधारा (1) या उपधारा (1—क) के अधीन दिया जाता है, आदेश द्वारा—

(क) यदि अपराध करने में प्रयुक्त गाड़ी मोटर कार है, तो उसके रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को चार मास से अनधिक कालावधि के लिये निलम्बित कर सकता है;

(ख) यदि अपराध करने में प्रयुक्त गाड़ी परिवहन गाड़ी है तो उसके अनुज्ञा-पत्र को छः मास से अनधिक कालावधि के लिये निलम्बित कर सकता है या उसे निरस्त कर सकता है ।";

(4) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ायी जायेंगी, अर्थात् :—

"(3—क) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (1—क) के अधीन किसी द्वितीय या अनुवर्ती अपराध के लिये दोषसिद्ध हो, वहां वह न्यायालय, जिसके द्वारा ऐसा व्यक्ति दोषसिद्ध हो, उपधारा (1—क) के अधीन जो दण्डादेश पारित किया जा सकता है, या उपधारा (3) के अधीन जो आदेश दिया जा सकता है, उसके अतिरिक्त, अपराध करने में प्रयुक्त गाड़ी का अधिहरण करने का आदेश दे सकेगा ।

(3—ख) धारा 129—क में किसी के बात के होते हुये भी, उपधारा (1—क) के अधीन अपराध करने में प्रयुक्त गाड़ी अभिग्रहीत कर ली जायगी और अभिरक्षा में तब तक निरुद्ध की जायगी, जब तक विचारण न्यायालय मामले का निस्तारण अन्तिम रूप से न कर दे :

परन्तु जहां गाड़ी अभिग्रहीत किये जाने की तारीख से दो मास के भीतर ऐसे न्यायालय द्वारा मामला निस्तारित न किया जाय, वहां अभियुक्त गाड़ी को अभिरक्षा से मुक्त करने के लिये आवेदन कर सकेगा, और न्यायालय गाड़ी को न्यायालय के समक्ष (जिसमें अपील न्यायालय भी सम्मिलित है) प्रस्तुत करने के बारे में उन शर्तों और निबन्धनों पर, जिन्हें वह आवश्यक समझे, गाड़ी मुक्त करने का आदेश देगा ।

(3—ग) कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार के विरुद्ध ग्राह्य नहीं होगी, और कोई वाद अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी बात के लिये, जो उपधारा (3—ख) के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की जाय या करना आशयित हो, ग्राह्य नहीं होगी ।"

(5) उपधारा (4) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जायगी, अर्थात् :—

"(4) जिस न्यायालय में उपधारा (1) या उपधारा (1—क) में विनिर्दिष्ट प्रकार का अपराध के सम्बन्ध में दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील होती है वह न्यायालय निलम्बन या निरस्तीकरण के आदेश को, जो उपधारा (3) के अधीन, या अधिहरण के किसी आदेश को, जो उपधारा (3—क) के अधीन निम्नतर न्यायालय द्वारा दिया गया हो, अपास्त या परिवर्तित कर सकता है और वह न्यायालय, जिसमें निम्नतर न्यायालय के आदेश

से अपील सामान्यतौर पर होती है, निलम्बन, निरस्तीकरण या अधिहरण के किसी आदेश को, जो निम्नतर न्यायालय द्वारा दिया गया हो, अपास्त या परिवर्तित कर सकता है, भले ही उस दोषसिद्धि के विरुद्ध, जिसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश दिया गया था, कोई अपील ग्राह्य न हो।"

अध्याय 6

प्रकीर्ण

निरसन और अपवाद

23--(1) उत्तर प्रदेश मोटरगाड़ी कराधान और अन्य विधि संशोधन अध्यादेश, 1976 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9, 1976

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी, अध्याय 2, 3, 4, और 5 में मूल अधिनियमों के रूप में निर्दिष्ट उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित अधिनियमितियों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियमों के तद्नुरूप उपबन्धों के अधीन क्रमशः किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 2 से खंड 23 तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976

संयुक्त प्रांत मोटर गाड़ी कराधान अधिनियम, 1935, उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (यात्री कर) अधिनियम, 1962 और उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी (माल कर) अधिनियम, 1964 और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में मोटर वैहिकिल्स ऐक्ट, 1939 का भी अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्त—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर गाड़ी कराधान और अन्य विधि (संशोधन) विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976

पशुपालन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह)—

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय।

जैसा कि हमारे अधिकतर सदस्यों को ज्ञात होगा इस प्रदेश में लगभग 49 लाख टन दूध का उत्पादन होता है जिसका मूल्य अगर हम डेढ़ रुपया किलो रख लें तो करीब 735 करोड़ रुपये की आय होती है। इससे जाहिर है कि ज्यादातर दूध उत्पादन हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों द्वारा ही किया जाता है। यह विधेयक इसलिये लाया गया है कि दूध का व्यापार नियंत्रण में रखा जाय और उसका सही मूल्य उन गरीब लोगों को मिले। इसमें लाइसेंस भी लगा दिया गया है। वह जो वसूल होगा उसका हम इस तरह से उपयोग करेंगे कि उत्पादन के लिये श्रीड बढ़ायेंगे और चारे की भी व्यवस्था करेंगे। जैसा कि कि हमारे माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा हमारी प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम का यह प्रमुख अंग है कि हमारे जो पिछड़े लोग गांवों में रहते हैं उनको उठाने के लिये यह एक सबसे बड़ा साधन हो सकता है। अगर दूध का उत्पादन उन क्षेत्रों में बढ़ जाय तो उनकी एकोनामिक स्थिति भी सुधर सकती है। इसीलिये यह विधेयक लाया गया है। हमारे प्रदेश में सबसे पहले 1938 में सहकारिता के आधार पर दूध के व्यवसाय का नियंत्रण किया गया था। उसी तरीके से यह पहला प्रदेश है जहां दूध के ऊपर नियंत्रण करने का विधेयक लाया जा रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इसको पारित करने में हमारा साथ देंगे।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)—

मान्यवर, जैसा मैंने कहा पहले तो बिल मिला नहीं अब सरसरी ढंग से देखने को मिला है। जहां तक माननीय मंत्री जी ने इसके उद्देश्यों पर प्रकाश डाला म समझता हूं कि उसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। दूध उत्पादन को हमें प्रोत्साहन देना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ-साथ जो आप नौरकशाही को बढ़ावा दे रहे हैं इसकी तरफ भी आप ध्यान रखिये। आपका कहना है कि दूध या दूध से उत्पादित कोई भी पदार्थ बिना लाइसेंस के नहीं बेचा जायगा तो तमाम हलवाइयों को लाइन्सेस लेना पड़ेगा, क्योंकि देहात से जो दूध खरीदते हैं उनको भी लाइसेन्स लेना पड़ेगा। अब तक तो केवल सेनेटरी इन्सपेक्टर रिश्वत लेता था, अब यह लाइन्सेस देने वाले भी रिश्वत लिया करेंगे और इस तरह से आप भ्रष्टाचार को बढ़ायेंगे। गांव के आदमी को भी अब लाइसेन्स लेना पड़ जायेगा। जो साइकिल पर दूध लाता है उसे भी लाइसेन्स लेना पड़ेगा। लस्सी बनाने वाले को भी लाइसेन्स लेना पड़ेगा, इससे भ्रष्टाचर बढ़ेगा। जगह-जगह आपने हर चीज के इन्सपेक्टर बना दिये हैं। मैं चाहता हूं कि जब आप नियमावली बनायें तो उसमें हर चीज को स्पष्ट कर दें और ऐसा कर दें जिससे कि गरीब छोटे दूध बेचने वाले को लाइन्सेस न लेना पड़े। जो आपके कोआपारेटिव फार्म्स चल रहे हैं वे सभी घाटे पर चल रहे हैं, उनमें बड़ा घोटाला है। कृपा करके आप उन घोटालों की जांच करवायें और उसके बाद उसके अनसार आप अपना काम आगे बढ़ायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री ईश्वरी सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

अध्यक्ष जी, जो विधेयक माननीय मंत्री जी ने पेश किया है मैं उसका हृदय से स्वागत करता हूं लेकिन साथ ही यह विधेयक मुझे अधूरा जंच रहा है। इस तथ्य से आज कोई इनकार नहीं कर सकता है कि अपने प्रदेश का किसान केवल खेती के बल पर ही तरक्की नहीं कर सकता। जब तक खेती के साथ हम पशुपालन को नहीं जोड़ेंगे किसान का हित नहीं होगा। हमारे देश में तो फी किसान जोत के नीचे जमीन कम है, अगर आस्ट्रेलिया में भी जहां पर कि 350 एकड़ जमीन फी किसान हैं। वहां भी केवल अनाज की खेती से ही कामयाबी नहीं मिल पायी। अनाज का भाव चढ़ता उतरता रहता है। यह विधेयक इस मानों में अच्छा है कि पशुपालन पर ध्यान दिया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मेरठ, आगरा, बरेली, डिवीजन में तथा तराई क्षेत्र में हरे चारे पैदा करने के काफी साधन उपलब्ध हैं। सिचाई के साधन भी अच्छे हैं। वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर पशुपालन केन्द्र खुलना चाहिये। इसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां भी हैं जिनकी ओर ध्यान देना होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों से जैसे बुलन्दशहर, मेरठ, अलीगढ़, मुजफ्फर-नगर आदि जिलों से जो दूध दिल्ली जाता है उसकी कीमत दूध उत्पादन करने वाले को तो बहुत कम मिलती है, जो विचौलिये होते हैं वे काफी खा जाते हैं। पशुपालन विभाग को इस बात का ध्यान रखना चाहिये और यह प्रयत्न करना चाहिये मान लीजिये लखनऊ के आस पास या वाराणसी के आसपास या इलाहाबाद के आस पास का इलाका है वहां सरकार जब तक दूध से मक्खन, पनीर दूध का पाउडर आदि बनाने के कारखाने नहीं खोलेंगी और किसानों को जब तक सरकार की तरफ से अच्छे मवेशी खरीदने के लिये कोई सुविधा न होगी तब तक उत्तर प्रदेश में दूध का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकेगा। कुछ नस्लें हैं जिनको लाकर दूध का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। हालांकि लीरी नस्ल का बैल ज्यादा अच्छा होता है लेकिन लीरी नस्ल की गायों से किसी भी माने में दूध का विकास नहीं किया जा सकता है। दूध को अगर विकसित करना है तो बहुत सी ऐसी नस्लें हैं जैसे हरियाना, शाहीवाल, सिन्धी, जर्सी वगैरह जो नस्लें हैं इनके लिये काफी तादाद में आपको केन्द्र खोलने होंगे। मैं कई रोज से अपने यहां के खुर्जा गोशाला के लिये कुछ अच्छे नस्ल की बछिया और सांड़ के लिये कह रहा हूं लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत सरकार वैसे तो किसी योजना को बनाने में अक्सर पैसे खर्च करती है लेकिन काफी तादाद में दूध उत्पादन के लिये जब तक आप किसानों को चाहे वे व्यक्तिगत किसान हों, चाहे कोई डेरी हो, चाहे गोशाला हो, उनको अच्छे नस्ल देने की कोई योजना नहीं बनायेंगे और यह जो दूध परिषद् का गठन करने जा रहे हैं जब तक इसको बहुत बड़े पैमाने पर नहीं करते तब तक इनका विस्तार होना या दूध की पैदावार से किसानों और डेरीज का फायदा उठाना सम्भव नहीं है।

जैसाकि मैंने इस विधेयक को पढ़ा है मुझे सिद्धान्ततः कोई मतभेद नहीं है। लेकिन एक चीज जो मुझे खटकती है इसके अन्दर नौरकशाही को काफी प्रतिनिधित्व दिया गया है। दुग्ध उत्पादकों को नुमाइन्दगी देने की कोई तफसील नहीं दी गयी है जो इसमें इंगित किया गया है उससे मैं समझता हूं कि वास्तविक जो दूध के उत्पादक हैं, उनको भी इस परिषद् में प्रतिनिधित्व देने का प्रबन्ध आप अवश्य करें। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके बहुत अच्छे हैं जहां दूध का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर होता है। अगर आप सही माने में अधिक दुग्ध का उत्पादन करना चाहते हैं तो अच्छे नस्ल की भैंस व गायें आप किसानों को दें तो दुग्ध के उत्पादन में सही योगदान हो सकता है। बुलन्दशहर और आस पास के जिलों के किसान जो आपको दूध देते हैं उसको सही कीमत उनको नहीं मिल पाती। आप परिषद् की तरफ से कोई ऐसी विधि निकालें जिससे दूध की कीमत सही तरीके से अंकित की जा सके और पशुओं के पालन-पोषण पर जो खर्च होता है, या दूध के यातायात पर जो खर्च होता है, उसका सही ढंग से हिसाब लगाया जाय तो इससे मैं समझता हूं कि इससे बहुत बड़े पैमाने पर दूध की पैदावार बढ़ सकती है। पशुधन को बढ़ाने का आधार कायम होता चला जा रहा है और मैं समझता हूं कि 5–7 साल के अन्दर हमारे उत्तर प्रदेश में ऐसा आधार हो जायेगा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ईश्वरी सिंह]

जहां बहुत बड़ी तादाद में हरा चारा, दाना वगैरह हम पैदा कर सकेंगे। क्या वजह है कि गुजरात के आनन्द का आमूल मक्खन यहां आकर हमारे इन शहरों में बिक सकता है तो हमारे यहां की कोई पैदावार वहां नहीं पहुंच सकती है? जरूर पहुंच सकती है। हम उस मामले में तरक्की कर सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ देखने में एक अनुभव यह रहा है कि जहां पर आपने दूध से बनी हुई चीजें पैदा की थीं जो कारखाने खोले थे उनकी बिक्री का कोई समुचित प्रबंध नहीं हो पाया है। जहां तक मेरी जानकारी है कि जो भी दध के पाउडर बनाने के कारखाने या उसी किस्म के सामान बनाने के कारखाने हैं उनके सामने एक मुख्य समस्या है। उनका कहना है कि हम उत्पादन बढ़ा सकते हैं लेकिन हमारी पूरी क्षमता का उपयोग नही कर पा रहे हैं। बिक्री का कोई साधन नहीं है। मैं पशुधन मंत्री और माननीय कृषि मंत्री महोदय से कहूंगा कि वह मुझे क्षमा करें कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में हिमांचल प्रदेश और दूसरी जगहों से बहुत ज्यादा पीछे है। बाकी और प्रदेशों ने कृषि उत्पादकों को बेचने के लिये कोल्ड स्टोरेज बड़े-बड़े शहरों में कायम कर रखे हैं। लेकिन हमारे यहां फलों की दुर्दशा हो रही है। आलू की दुर्दशा हो रही है। तो अगर अपने दूध की यहीं दुर्दशा करायी तो आप यकीन मानिये कि किसानों की अर्थ-व्यवस्था तहस-नहस हो जायगी। जो मवेशियों को खरीदने के लिये उन्होंने पैसा लिया है कर्ज लिया है उसको अदा करने के लिये जमीन बेचने के सिवा और कोई चारा नहीं रह जायगा। तो मेरी अर्ज मानकर इस पर ध्यान दें।

परिषद् बन रही है बहुत अच्छी बात है, पर मार्केटिंग साइड पर आज जरूर मेहरबानी करके सोचिये और बिक्री के लिये उनको सुविधा दीजिये जिससे उनको दूध आदि सीधे न बेचना पड़े। ऐसी व्यवस्था कीजिये जिससे किसानों को उनके दूध की कीमत आसानी से मिल सके। एक बुनियादी बात की ओर मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं। दूध का उत्पादन केवल हवा में नहीं होता है। दूध उत्पादन के लिये हरे चारे, दाने की व्यवस्था के साथ-साथ पशुओं की अच्छी नस्लों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन क्षमा कीजियेगा जो अच्छी नस्लें हैं वह नहीं बढ़ रही हैं। आपने देखा है कि किस तरह से किसान के अंदर नयी चीज को अपनाने की क्षमता होती है। गेहूं की अच्छी वेरायटी हो या धान की अच्छी वेरायटी हो किसानों ने उसे अपना कर उत्पादन बढ़ाया है, कीमत को नहीं देखा है। गेहूं को 5 रु0 किलो 10 रु0 किलो और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों ने 100 रु0 किलो तक के भाव से नया बीज खरीद कर उसको बोया है और उत्पादन बढ़ाया है। इसी तरीके से अगर दूध का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो आपके और आपके विभाग को इस तरफ बुनियादी तरीके से सोचना होगा और अच्छे किस्म के सांड़ और गायों को उपलब्ध कराना होगा। लेकिन माफ करना आज आपके यहां यह हाल है।

बरेली में वैटरनेरी रिसर्च इंस्टीट्यूट खुला है, भारत सरकार का है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जमीन दी है। लेकिन क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि वहां जो खोज हो रही है नयी-नयी किस्म की गायें क्रास ब्रीड करके पैदा की जा रही हैं। उनमें हमारे किसानों को कितनी उपलब्ध हो पायीं हैं। मेरा ख्याल है कि वह प्रतिशत बहुत कम है। तो बुनियादी चीज पर आपको गौर करना होगा। नये किस्म के सांड़ जैसे जर्सी साहीवाल प्रेजियन आदि को मुहैय्या करना होगा। क्रास ब्रीड की हुयी बछिया और बछड़ों को उपलब्ध कराना होगा। जिससे नस्ल सुधार हो सके। मैं समझता हूं कि जब कोई ऐसी ठोस बुनियाद होगी तभी दूध का उत्पादन होगा, जब दूध का उत्पादन ही नहीं होगा तो नियंत्रण किसका करेंगे? नियंत्रण तो उसी चीज का होगा जिसकी पैदावार बढ़ेगी और पैदावार दूध की जब बढ़ेगी जब आप पशुधन का विकास करेंगे, मार्केटिंग की अच्छी व्यवस्था करेंगे। आज पशुधन को बढ़ाना निहायत जरूरी है। किसान खाली अनाज और खेतों पर निर्भर रह कर तरक्की नहीं कर सकता है। चाहे जितनी मेहनत और चाहे जितनी लागत लगाए। कृषि विशेषज्ञों और अन्य विशेषज्ञों की मदद लेकर पशुधन के साथ जोड़ने की आवश्यकता है तभी उत्पादन बढ़ेगा। इस विधेयक का समर्थन

करते हुये मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर विचार करने की कृपा करेंगे तथा उन पर पूरे तरीके से समुचित कदम उठायेंगे। धन्यवाद।

*श्री नारायण हरी शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अध्यक्ष महोदय, आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां खाद्यान उत्पादन के लिये अपना स्थान रखता है वहां दुधारू पशु के लिये अपना एक स्थान है। मुझे ताजुब है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और खासकर अलीगढ़ जिले में जहां इन्टेन्सिव डेवलपमेंट कैटिल प्रोग्राम चल रहा है उसके अन्तर्गत जो पशुधन का विकास हुआ है और जो प्रभाव हुआ है उससे मैं कह सकता हूं कि आज पशुधन का विकास बहुत जरूरी है। लेकिन मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जहां उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ जिले को गेहूं उत्पादन में लिया गया था वहां हरियाणा और पंजाब से 84 प्रतिशत की वृद्धि हुई। लेकिन पशु विकास से आधा जिला लिया गया है और आधा जिला उस स्कीम के अन्तर्गत नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं कि पशुधन विकास ऐसी स्कीमों में इस तरह की जो शिथिलता है वह नहीं होनी चाहिये थी और गति को तेज करना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि जो अलीगढ़ में स्कीम है उसको पूरे उत्तर प्रदेश के सभी उन जिलों में जहां हरा चारा और पानी का समुचित प्रबन्ध हो वहां चलाना चाहिये जिससे पशुधन और दूध का विकास होगा।

मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान 20 सूत्री कार्यक्रम की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें प्रमुख प्राथमिकता दी है तो उसमें इस विधेयक की भूमिका तो हो सकती है यदि मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें। जो भूमि भूमिहीनों को आबंटित की गयी है उसको बहुत कम रक्खा है और वह इस काबिल नहीं है कि खेती करके लाभ हो सके। लेकिन जो खेतिहर मजदूर जिनको भूमि दी गयी है वह पहले भी पशु रखते थे और आज भूमि होने से वह सक्षम भी हुए हैं कि हरा चारा पैदा करके और उससे पशु विकास करें। आज सहकारिता कृषि और पशुपालन विभाग तीनों को मिलकर 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल बनाना चाहिये और ऋण की व्यवस्था उनके लिये आज करें जिससे पशु अच्छे हों और जो 250 रुपये उनको दिया गया है वह भूमि सुधार के लिये है। उनको कोई भी बैंक दुधारू पशुओं के विकास के लिये धन देने को तैयार नहीं है इसलिये मैं चाहूंगा कि भूमिहीनों को एक-एक पशु के लिये धन की भी व्यवस्था करें जिससे वह भूमि में हरे चारे की व्यवस्था करे और ऋण का वह उससे भुगतान करे। इस तरह से पशु का विकास होगा और हरित क्रांति क बजाय श्वेत क्रांति होगी। यदि मंत्री जी इसको मान लें और सारे प्रदेश में चलावें तो 20 सूत्री कार्यक्रम में आपका विधेयक और आपके विभाग का अभूतपूर्व योगदान होगा।

मान्यवर, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर और आकर्षित करना चाहता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में पंजाब से अच्छी नस्ल का पशु पैदा हो, जिसके लिये सांड़ वहां से छांटते हैं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पंजाब और हरियाणा से जितने भी पशु आ जाते हैं, मैं अलीगढ़ जिले का रहने वाला हूं मेरा तजुर्बा है कि हमारे जो अच्छ पशु हैं वह कलकत्ता या दूसरी जगह चले जाते हैं।

कलकत्ते में जो भैंसे या गाय जाती हैं जब तक वह दूध देती हैं तब तक तो ठीक है और जब वह ठलुआ हो जाती हैं तो उनको काट दिया जाता है और उससे वह गरीब अपनी जरूरत पूरा करता हैं। इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। अच्छे पशु धन का विनाश होता जा रहा है। इसके लिए आपको चाहिये कि बोडर पर कुछ रोक होनी चाहिये। अगर आपन ऐसा नहीं किया तो मैं चेतावनी देता हूं कि दस पांच वर्ष में अच्छा पशु धन न तो हरियाणा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण हरी शर्मा]

में मिलेगा और न ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में । यह जो प्रश्न मैं रख रहा हूं यह केवल उत्तर प्रदेश का प्रश्न नहीं है बल्कि यह राष्ट्रीय प्रश्न है और अगर आपने इस पर विचार नहीं किया तो आप पशुधन विकास के लिये चाहे जितनी योजनायें बनाये, वह व्यर्थ होंगी ।

अन्त में एक बात और कहना चाहता हूं कि जहां पशु विकास की बात करतेहैं वहीं उनकी बीमारियों की रोकथाम का भी प्रबन्ध होना चाहिये । आज भी ऐसे स्थान हैं जहां पर कोई प्रबन्ध नहीं है । जहां आपका इंटेन्सिव प्रोग्राम है वहां भी 14/14 मील की दूरी में कोई इन्तजाम नहीं है । अगर कहीं स्टाकमेन सेण्टर हैं तो वहां दवायें नहीं हैं । बीमारियों से पशु धन का विनाश होता जा रहा है उसको रोकने की तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये । जितना कि मानव समाज के लिये आवश्यकता है उतना ही आवश्यक है कि पशुओं का समुचित इलाज हो । इन शब्दों के साथ पूरी आशा करते हुए कि इन सुझावों पर विचार किया जायगा, मैं इसका समर्थन करता हूं ।

*श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो विधेयक पेश किया है तो ऐसा मालूम हुआ कि काफी समय के बाद सरकार जागी है और सफेद क्रांति करने का जो चाव था उसकी तरफ यह प्रथम कदम उठाया गया है ।

(इस समय 1 बजकर 43 मिनट पर उपाध्यक्ष, कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा पीठासीन हुए ।)

चाहे शिशु हो या नौजवान या बुजुर्ग सभी के पालन-पोषण के लिये दूध चाहिये । दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिये दूसरे सदस्यों ने काफी बातें कहीं । शासन ने गरीब को एक-एक, दो-दो एकड़ धरती बांटी है लेकिन जब तक उसको दूध देने वाले जानवर नहीं दिये जायेंगे तब तक वह अपनी गुजर नहीं कर सकेगा । जरूरी है कि वह दूध का उत्पादन बढ़ाये और उसको बेचे । शासन ने ऐसे लोगों को लोन देने की प्रथा कायम की है लेकिन देखा यह जाता है कि वह बैंक में घूमता रहता है और दिक्कतें सामने आती हैं । उन दिक्कतों को दूर करने के लिये सोचना पड़ेगा । वह जानवर तो दरकिनार बकरी तक भी खरीदने की हिम्मत नहीं कर सकता है । इसको हमने अनेकों बार कहा है कि कर्जा मिलने में बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है जिस कठिनाई को जरूर दूर किया जाना चाहिये । जिन खेतिहर लोगों को आपने खेत दिया है उनको जानवर खरीदने के लिये भी कर्जा दिया जाना चाहिये और कुछ ऐसा किया जाय कि उनको आसानी के साथ कर्जा मिल सके । जब दूध का उत्पादन बढ़ता है तो उसके साथ सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उसका यातायात में काफी खर्च हो जाता है । शहरों तक दूध पहुंचान में उसका जो खर्चा होता है उसके बारे मे भी हमको सोचना होगा । यातायात कोआपरेटिव सोसाइटीज बनाई जाय या देहात से दूध कलेक्ट करके शहरों तक ला सकें । साथ ही जो दूध में मिलावट कर दी जाती है उसको भी किस तरह से रोका जाय, इस पर विचार करना जरूरी है । दिल्ली हमारी राजधानी है और वहां पर दूध का सबसे बड़ा खर्च होता है । हमारे प्रदेश के देहातों से काफी मात्रा में दूध दिल्ली जाता है । वहां पर यह दूध कम रेट पर बेचा जाता है । जब कि हमारे जिन क्षेत्रों से वह दूध जाता वहां पर यह बहुत ज्यादा रेट पर मिलता है । साथ ही वहां से इतना ज्यादा दूध चला जाता है कि हमारे उन क्षेत्रों के बच्चों को पीने के लिये भी दूध नहीं मिल पाता । इस तरफ भी हमको पूरा ध्यान देना चाहिये । यह बहुत अच्छा विधेयक है और हमने प्रथम बार इस तरह के विधेयक को जो हमारी मानसिक और सामाजिक सुधार की दिशा में कदम है और श्वेत क्रांति लाने में यह बड़ा सहायक होगा । मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री भगवती प्रसाद (जिला-फैजाबाद)—

मान्यवर, हमको यह देखना है कि जो हमने इतने वर्षों में अपनी सरकार बनाई है उसमें हमने क्या प्रगति की है। पशुधन और दुग्ध उत्पादन में हमारा जो प्लान आता है वह प्रायः कमजोर वर्गों के भले के लिये ही आता है । या फिर कुछ ऐसे लोगों के लिये आता है जो सरकार का तमाम धन लेकर उसका केन्द्रीकरण करते हैं जिसका कमजोर वर्गों पर पूरा प्रभाव पड़ता है । अभी हमारे जिले, फैजाबाद में डेयरी खोलने की एक स्कीम है । करीब 6 महीने से अधिकारीगण दौड़ रहे हैं और गांवों में भी उसका प्रचार किया जा रहा है लेकिन हम लोग गांवों के विकास की दिशा में नहीं सोच रहे हैं बल्कि शहरों में उनका केन्द्रीयकरण करने की दिशा में ही विचार करते हैं। अधिकारी लोग लाखों रुपयों का पेट्रोल फूंक डालते हैं जिसका कोई लाभ देहात वालों को नहीं मिलता है । वह जाते हैं शहरों में फैजाबाद या लखनऊ और यह सोचते हैं कि वहां हर एक बच्चे के पास कैसे दूध पहुंचे । यह ठीक है कि शहर वाले के पास खेती नहीं है, चारा नहीं है या जानवर भी नहीं हैं । गांव में जाइये दूध उत्पादन का अटूट संबंध कृषि से है। बादल से दूध नहीं आता, चरागाह की जमीन से उसका संबंध है लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अधिकतर माननीय सदस्य गांव से चुनकर आते हैं और वे जानते होंगे कि अग्रेजों के राज के बाद आजादी मिली तब से अब तक दूध का उत्पादन 60 फीसदी घटा है । यह जरूर है कि हमारी रेजिडेंस पर मोटर के जरिये बोतल का दूध मिलता है शहर के अन्दर लेकिन गांव में दूध घटा है । अब आप इस व्यवस्था के अन्तर्गत लाइसेंस ला रहे ह। कोई भी सदस्य एसा न होगा जब वह अपने क्षेत्र में जाता है तो दूध का उत्पादन करने वाला किसान जो सेनिटरी इंस्पेक्टर्स के जरिये तबाह किया हुआ होता है, उनको धरता न हो। सेनिटरी इस्पेक्टर जो 200 से 400 रुपये के वेतनमान में होता है उसकी आमदनी 2,000 रुपये से 4,000 रुपये मासिक होती है । एक रुपये से लेकर डेढ़ रुपये किलो तक जो दूध गांव में बिकता है उसमें पानी मिला होता है और वह किसान इतना सक्षम नहीं है कि इतनी मेहनत के बाद वह दूध को बिना पानी मिलाये इतने सस्ते म दे सके । मैंने सेनिटरी इंस्पेक्टर से पूछा कि तुम 5 रु0, 10 रु0 प्रति किसान जब वह मंडी में दूध ले कर आता है तो उससे क्यों लेते हो ? उसने बतलाया कि हमसे क्यों कोटा मांगा जाता है कि हर महीने इतने सेम्पिल दूध के हम भेजें ? कहिये नौकरी छोड़ दूं या नौकरी करें ? रुपये, डेढ़ रुपये किलो दूध किसान पानी मिलाने के बाद दूकानदार को देता है उसे वह स्वेच्छा से लेता है क्योंकि जो दूध किसान इतनी मेहनत के बाद उत्पादित करता है वह उसे इतना सस्ता नहीं पड़ता है । किसान की आमदनी दिन प्रतिदिन घटती जा रही है बावजूद इसके कि कृषि उत्पादन बढ़ा है । किसान की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वह दूध देने वाले जानवर को पाले, अच्छी नस्ल के जानवर को हजार 1500 रुपये में खरीद कर लाये और साल भर तक दूध का अधिक उत्पादन कर सके ।

माननीय मंत्री जी ने जो व्यवस्था की है उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा । माननीय सदस्य तो लखनऊ के हैं, वे बेहोश हो रहे हैं । उनको हरियाली ही दिखाई पड़ रही है । लेकिन जब वे गांव में जांय और उनसे पूछें जिनसे कि वे वोट लेते हैं तो मालूम होगा कि किस तरह से सेनेटरी इन्सपेक्टर इन दूध उत्पादकों को परेशान करते हैं । किस प्रकार उनकी नौजवान बहू बेटियां पशुओं के लिये चारा लाती हैं। मैंने देखा है कि एक आदमी को 500 रु0 जुर्माना हो गया । उसकी सालाना आमदनी 500 रुपये भी नहीं होगी तो मुझे कहा गया कि व्यवस्था ही आपने ऐसी की है, हम क्या करें । आपने सेनेटरी इंसपेक्टर को चेकिंग की पावर दी है । वह ठीक किया है, मैं उसका विरोध नहीं करता । चेकिंग होनी चाहिये । लेकिन हमेशा कमजोर वर्ग को सताया जाता है । बड़ी मुश्किल से वह एक भैंस पालकर उसका दूध किसी होटल में बेचता है । उनको नहीं सताया जाता जो बड़े-बड़े पैसे वाले हैं जो बहुत बड़े क्षेत्र में दूध का व्यापार करते हैं,उनके दूध की गारन्टी आप देते हैं । उनकी कोई चेकिंग भी नहीं होगी ।

[श्री भगवती प्रसाद]

आज हमें आजादी मिले 27/28 साल हो गये किन्तु हमारा दुग्ध उत्पादन नहीं बढ़ा है और न बढ़ा पाये हैं । हर साल आप इस संबंध में जहां पर बिल लाते हैं । मैं आपसे अर्ज करूंगा कि इस पर बहुत सोच विचार की जरूरत है । यह विधेयक कोई ऐसा नहीं है जिसकी आलोचना की जाय किन्तु इसको बढ़ावा मिलना चाहिये । किसी भी देश को देख लीजिये रूस में क्या हुआ ? वहां अधिक से अधिक पैसा दूध उत्पादन में खर्च किया गया । इससे आदमी का स्वास्थ्य ठीक रहता है । अन्य जो ताकत की चीजें हैं वह साधारण जनता तक नहीं पहुंच पाती हैं किन्तु यह ऐसी चीज है जिसको छोटे से छोटा किसान भी उत्पादन कर सकता है । इसलिये इस संबंध में नई-नई स्कीमें बनाकर आपको गांवों में ले जानी होंगी ताकि कमजोर वर्ग को राहत मिल सके, उसका हित हो सके । उसके हित के साथ-साथ देश और राष्ट्र का हित भी है अन्यथा अगर आप बड़े-बड़े पैसे वालों के लिये ही स्कीमें बनायेंगे तो वह नहीं चल पायेगी और वह योजना आपकी फेल हो जायेगी । इन शब्दों के साथ मैं अर्ज करूंगा कि जो ऐसी स्कीमें हैं जो गांव का कमेरा वर्ग है जिनसे अपनी जीवका उपार्जन कर सकते हैं, वहां लागू की जाय, उनको ज्यादा से ज्यादा सहायता दी जाय जिससे उनके हित के साथ-साथ राष्ट्र का भी हित होगा । हर हिन्दुस्तान के व्यक्ति के लिये हितकर होगा और देश का नव-निर्माण होगा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने उत्तर प्रदेश दुग्ध विधेयक पर मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया । जैसा कि इसके उद्देश्य में लिखा हुआ है दुग्ध उद्योग हमारे प्रदेश में एक मुख्य उद्योग है और इस उद्योग पर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या की आजीविका आधारित है । 490 लाख करोड़ लीटर दूध यहां पैदा होता है । इसीलिये यह आवश्यक समझा गया कि इस उद्योग को विनियमित किया जाय । इसी उद्देश्य से माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक को प्रस्तुत किया है । इसलिये वे बधाई के पात्र हैं । हमारे देश और प्रदेश में जो हरित क्रांति हुई उसके बाद यह आवश्यक था कि हम श्वेत क्रांति की तरफ भी हम आगे बढ़ें । इस प्रदेश में श्वेत क्रांति लाने में यह विधेयक सहायक होगा । इसी वजह से और इसी दृष्टि से माननीय मंत्री जी ने एक राज्य दुग्ध परिषद् का गठन भी किया है । इसमें 17 लोग हैं । इसके बारे में मेरा एक सुझाव है कि हमारे प्रदेश में अनेक कृषि विश्वविद्यालय हैं जहां पर पशुपालन का काम बहुत अच्छी तरह से हो रहा है । जैसे हमारे यहां पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय है और उसमें दुग्ध और पशुपालन का काम बड़ी अच्छी तरह से हो रहा है । मुझे अफसोस है कि उसका कोई प्रतिनिधि उसमें नहीं रखा गया है। अगर रखा होता तो मैं समझता हूं कि उनसे अच्छे सुझाव आपको मिल सकते और हमारी जो यह योजना है इसको कार्यरूप देने में सहायता मिलती । मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय ने 20 करोड़ रु0 की एक योजना बना कर उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा है जिसमें विश्व बैंक से सहायता मांगी गई है । जिसमें वहां से कर्ज मिलेगा । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि उस योजना को कार्यान्वित किया जाय तो हमारे इस योजना के पूरा करने में काफी सहायता मिलेगी ।

इस संबंध में जैसा कि आपको मालूम है हमारे यहां नैनीताल में कुछ खत्ते हैं जो जंगलों में हैं तो वहां पर भी लाइसेंस देने की बात की जाती है । अगर ऐसा हुआ तो लाइसेंस के डर से बहुत सारे लोग इस व्यवसाय को छोड़ देंगे । यहां जो लाइसेंस लेने की प्रथा लागू की जा रही है इससे उनको प्रोत्साहन नहीं मिलेगा बल्कि वे लोग इस व्यवसाय

को छोड़ देंगे । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वे इस पर भी प्रकाश डालें, इस पर भी विचार करें केवल यही नहीं मान्यवर, जो अच्छे अच्छे पशु हमारे प्रदेश से बाहर चले जाते हैं उनके संबंध में भी कहूंगा कि इस पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कि जो अभी तक अच्छी नस्ल के पशु, अधिक से अधिक दूध देने वाले जानवर जो बम्बई और कलकत्ता चले जाते हैं उस पर प्रतिबन्ध लगे । हम यह भी जानते हैं कि उनका दूध निकालने के बाद किस तरह से प्रयोग किया जाता है । इसके लिये निश्चित रूप से दुग्ध देने वाले पशु जो हैं उनको बाहर ले जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया जाय ।

हमारे यहां अधिक मात्रा में दूध देने वाले पशु हों इसके लिये आवश्यक है कि अच्छी नस्ल के पशु लाये जायं जैसे जरसी है या दूसरी नई जातियां आज कल आ रही हैं उनको लाया जाय । उसके लिये लोगों को बताया जाय जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पायेगी । जैसा हमारे ईश्वरी सिंह जी ने कहा कि उनके यहां बुलन्दशहर में अच्छे नस्ल की बछिया और पटिया हैं इस संबंध में कहूंगा कि उनको दूसरे स्थानों में भी भेजा जाय ताकि उससे और लोग भी लाभान्वित हो सकें और दूध उत्पादन का जो स्थानों हमारा उद्देश्य है वह पूरा हो सके । इन शब्दों के साथ मैं यह जो विधेयक मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री अजीत प्रताप सिंह---

श्रीमन्, इस विधेयक के सिलसिले में जो बहस हो रही है उसमें माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं । खास तौर पर हमारे माननीय सदस्य बुलन्दशहर और अलीगढ़ से दिये । मैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके इन सुझावों पर हम जरूर विचार करेंगे। और भी जो सुझाव आये हैं जैसे नस्ल को अच्छा बनाने के बारे में उस पर शासन विचार करेगा । माननीय नेगी जी ने जो थोड़ी आशंका व्यक्त की है कि जो छोटे व्यापारी हैं, जैसे हलवाई वगैरह उनको लाइसेंस लेने में कठिनाई होगी । अगर माननीय नेगी जी इस विधेयक को देखें तो उसके खंड 13 में उन लोगों को छूट दे रखी है। ऐसे लोगों को लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है ।

इसी तरीके से ठा० ईश्वरी सिंह जी ने उनके यहां बुलन्दशहर में नस्ल सुधारने के बारे में कहा और माननीय सदस्यों ने भी जो सुझाव दिया उन पर भी ध्यान रखा जायेगा ।यह सही है कि अपने यहां पशुपालन विभाग में इस संबंध में कुछ कमियां रही हैं और अब भी हैं । मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो भी गलतियां या कमियां रही हैं उनको जल्द से जल्द सुधारने के लिये पूरा प्रयास किया जायेगा । इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976 पर विचार किया जाय
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृति हुआ) ।

खंड 2 से 28

2 ---इस अधिनियम में-- परिभाषायें

(क) "प्राधिकृत व्यक्ति" और "प्राधिकृत एजेन्सी" का तात्पर्य क्रमशः ऐसे व्यक्ति और ऐसी एजेंसी से है, जिसे परिषद इस अधिनियम के किसी प्रयोजन के लिये अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत करें ;

(ख) "परिषद्" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा गठित उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध पषिषद् से है;

(ग) "दुग्धशाला" का तात्पर्य किसी ऐसे भू-गृहादि से है जहां पर दूध को ठंडा करने, गर्म करने या कोई अन्य उपचार करने के लिए या दूध को दुग्ध उत्पाद में परिवर्तित करने के लिये या दूध या दुग्ध उत्पाद को पक करने के लिये मशीन का उपयोग किया जाय;

(घ) "निधि" का तात्पर्य धारा 9 के अधीन सृजित उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास निधि से है ;

(ङ) "लाइसेंस" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा निर्गत लाइसेंस से है;

(च) "लाइसेंस" प्राधिकारी का तात्पर्य दुग्ध आयुक्त द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी से हैं;

(छ) "निर्माता" का तात्पर्य दुग्ध उत्पाद का निर्माण या दुग्ध सान्द्र वस्तुओं को तैयार करने में व्यस्त व्यक्ति या प्रतिष्ठान से है;

(ज) "विधाकार" का तात्पर्य तरल दूध के संग्रह या उपचार में, जैसे ठंडा करने या गर्म करने या दूध की पण्य अवधि में वृद्धि करने के लिये किसी अन्य उपचार में व्यस्त किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान से है ;

(झ) "दूध" का तात्पर्य गाय या भैंस के स्तन्य स्राव से है;

(ञ) "दुग्ध आयुक्त" का तात्पर्य धारा 7 के अधीन नियुक्त दुग्ध आयुक्त से है;

(ट) "दुग्ध उत्पाद" का तात्पर्य दूध, स्प्रेटा, मट्ठा या पनीर जल में निर्मित किसी वस्तु से है और इसके अन्तर्गत दुग्ध चूर्ण संघनित या वाष्पित दूध, क्रीम, पनीर, घी, खोया, दही, छेना, केसीन आईस-क्रीम या ऐसा कोई अन्य उत्पाद भी ह जो परिषद् द्वारा दुग्ध उत्पाद अधिसूचित किया जाय;

(ठ) "आरक्षित क्षेत्र" का तात्पर्य धारा 12 के अधीन दिये गये किसी आदेश में विनिर्दिष्ट क्षेत्र से है।

अध्याय 2

परिषद् का गठन और कृत्य

परिषद् का गठन

3--राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और उसमें विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक से, उत्तर प्रदेश राज्य दुग्ध परिषद् नामक एक परिषद् गठित करेगी जो एक निगमित निकाय होगी, जो इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सम्पत्ति का अर्जन, धारण, और निस्तारण करने की शक्ति रखेगा।

परिषद् के सदस्य

4---परिषद् में निम्नलिखित होंगे--

(क) कृषि उत्पादन तथा ग्रामीण विकास का प्रभारी आयुक्त एवं सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, जो परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा;

(ख) अध्यक्ष, प्रादेशिक कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड जो परिषद् का पदेन उपाध्यक्ष होगा;

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग, पदेन;

(घ) यथास्थिति, विशेष सचिव या संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, पशुधन विभाग, पदेन;

(ङ) पशुपालन निदेशक, उत्तर प्रदेश पदेन;

(च) कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(छ) निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(ज) स्वास्थ्य सेवा निदेशक, उत्तर प्रदेश, पदेन;

(झ) दुग्ध उत्पादक संघों के चार प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ञ) उत्तर प्रदेश में, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन रजिस्ट्रीकृत दुग्धशालाओं क दो प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे;

(ट) उपभोक्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो व्यक्ति, जो राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे; और

(ठ) दुग्ध आयुक्त, पदेन, जो परिषद् का सदस्य-सचिव होगा।

गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि

5—गैर सरकारी सदस्यों की पदावधि उनकी नियुक्ति की अधिसूचना के दिनांक से तीन वर्ष होगी।

परिषद् के कृत्य

6...(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुये परिषद् का कृत्य, सामान्यतया राज्य में दूध उत्पादन और दुग्धशाला उद्योग की आयोजना, नियंत्रण, विकास और विनियमन करना होगा;

(2) विशेषतः और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् निम्नलिखित के सम्बन्ध में ऐसी कार्यवाहियां करेगा जिन्हें वह उचित समझे:...

(क) राज्य में दुग्धशाला उद्योग के विकास के लिये आयोजना और योजना की तैयारी;

(ख) दुग्ध उत्पाद के निर्माण और विक्रय के लिये दुग्धशालाओं की और दूध या विधायित दूध के विधाकारों और निर्माताओं को दूध के सम्भरण की विनियमन और व्यवस्था;

(ग) नई दुग्धशालायें स्थापित करने के लिये परियोजना तैयार करने में उद्यमकर्ताओं की सहायता और उसका अनुमोदन;

(घ) पशुधन के प्रजनन, उत्पादकों के लिये संतुलित पशुआहार और चारा की व्यवस्था और पशु रोग के नियंत्रण और उपचार से सम्बन्धित कार्यकलाप का सूत्रपात, पथ प्रदर्शन और समन्वय;

(ङ) दूध और दुग्ध उत्पाद के मूल्य का विनियमन;

(च) परिषद् द्वारा अपने जिम्मे लिये गये कृत्य के निर्वहन के सम्बन्ध में निधि की प्राप्ति और व्यय; और

(छ) ऐसे अन्य उपाय करना, जो विहित किये जायें।

दुग्ध आयुक्त की नियुक्ति

7.—राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये दुग्ध आयुक्त नियुक्त करेगी जो इस अधिनियम के द्वारा या अधीन प्रदत्त या आरोपित कर्तव्य का पालन और सभी शक्ति का प्रयोग करेगा।

परिषद् के कर्मचारी

8.—(1) दुग्ध आयुक्त परिषद् का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा।

(2) राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश के अधीन रहते हुये परिषद् इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का दक्षता से पालन करने के लिये ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को, जिन्हें वह आवश्यक समझे और ऐसी शर्तों और निबन्धनों पर जिन्हें वह उचित समझे, नियुक्त कर सकती है।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों का सामान्य नियंत्रण और निदेशन, परिषद् के अधीक्षण के अधीन रहते हुये दुग्ध आयुक्त में निहित होगा।

दुग्ध विकास निधि

9.—(1) उत्तर प्रदेश दुग्ध विकास निधि नामक एक निधि स्थापित की जायेगी जिसका प्रशासन और नियंत्रण परिषद् करेगी और जिसमें परिषद् की ओर से प्राप्त सभी धन जमा किया जायेगा।

(2) विशेषतः, और उपधारा (1) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् को निम्नलिखित स्रोत से हुई आय को निधि में जमा किया जायगा—

(क) धारा 16 के अधीन उपकर की आय में से सरकार द्वारा निधि में जमा की जाने वाली राशि;

(ख) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन प्राप्त लाइसेंस फीस; और

(ग) राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन या निकाय से प्राप्त अनुदान और वित्तीय सहायता।

वाह्य नियंत्रण

10.—(1) परिषद् राज्य सरकार को ऐसे समय और ऐसे प्रपत्र में और ऐसी रीति से जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश देकर निर्देशित करे, ऐसी विवरणी, आख्या और विवरण-पत्र प्रस्तुत करेगी जिसकी अपेक्षा राज्य सरकार समय-समय पर करे।

(2) उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् दो मास के भीतर, राज्य सरकार को गत वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी गतिविधियों, नीति और कार्य-क्रम का ठीक और पूर्ण वृत्तान्त प्रस्तुत करेगी।

(3) परिषद् का लेखा स्थानीय निधि समझा जायगा और स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश उसकी लेखा परीक्षा करेगा।

(4) अपने कृत्यों का निर्वहन करने में, परिषद् नीति विषयक प्रश्नों पर ऐसे निदेशों द्वारा पथ-प्रदर्शित होगी जो उसे राज्य सरकार द्वारा दिये जायं।

(5) यदि ऐसा कोई प्रश्न उठे कि कोई विषय ऐसा विषय है या नहीं जिसके सम्बन्ध में राज्य सरकार उपधारा (4) के अधीन निदेश जारी कर सकती है, तो राज्य सरकार का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

अध्याय 3

रजिस्ट्रीकरण, लाइसेंस, उपकर और निर्बन्धन

दुग्धशाला विधाकर्ता या निर्माता को लाइसेंस

11--(1) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् कोई व्यक्ति दुग्धशाला या दुग्ध विधा यूनिट इस निमित्त लाइसेन्स के बिना स्थापित नहीं करेगा जिसमें परिषद् द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक मात्रा में दूध या दुग्ध उत्पाद का उपयोग किया जाता है या उपयोग करने की अधिष्ठापित क्षमता है ।

(2) राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना से इस निमित्त नियुक्त दिनांक पर (जो दिनांक इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् तीन मास के पूर्व नहीं होगा) या उसके पश्चात् कोई व्यक्ति इस निमित्त लाइसेन्स के बिना कारबार दुग्धशाला का या विधाकार या निर्माता के रूप में नहीं करेगा जो परिषद् द्वारा अधिसूचना से इस निमित्त विनिर्दिष्ट सीमा से अधिक मात्रा में दूध या दुग्ध उत्पाद का उपयोग करता है या उपयोग करने की अधिष्ठापित क्षमता रखता है।

(3) उपधारा (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन लाइसेन्स प्राप्त किसी दुग्ध विधा यूनिट को इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स देने से इन्कार नहीं किया जायगा यदि वह विहित रीति से आवेदन-पत्र दे और विहित शर्तों का अनुपालन करे और ऐसी प्रतिभूति और ऐसी फीस दे जो विहित की जाय।

स्पष्टीकरण (1)-- राज्य सरकार भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए या भिन्न-भिन्न श्रेणियों, अर्थात् दुग्धशाला, विधाकार या निर्माता के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत कर सकती है।

स्पष्टीकरण (2)-- स्पष्टीकरण (1) में उल्लिखित श्रेणियों या उसके भिन्न-भिन्न वर्गों के लिए भिन्न-भिन्न दर या फीस नियत की जा सकती है।

आरक्षित क्षेत्र

12--(1) परिषद्, उचित मूल्य पर पर्याप्त दूध की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा किसी क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है ।

(2) जब कोई क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया जाय तब उस क्षेत्र की दुग्धशाला या दुग्धशालायें, यदि परिषद् द्वारा ऐसा निदेश दिया जाय, उस क्षेत्र के उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सब दूध ऐसे मूल्य पर खरीदेगी जिसे परिषद् सुसंगत तथ्यों को, जैसे पूर्ववर्ती वर्ष में उस क्षेत्र में दूध की उपलब्धता और गुण और दूध के मूल्य को, ध्यान में रखते हुए अधिसूचित करे ।

परिवहन कर्ता को लाइसेंस देना

13--किसी प्राधिकृत व्यक्ति या एजेंसी से भिन्न कोई व्यक्ति इस सम्बन्ध में लाइसेन्स प्राधिकारी से लाइसेन्स प्राप्त किये बिना, किसी आरक्षित क्षेत्र के भीतर किसी स्थान से ऐसे क्षेत्र के बाहर किसी स्थान में दूध या दुग्ध उत्पाद का संग्रह नहीं करेगा, उसे ले नहीं जायगा और उसका परिवहन नहीं करेगा :--

परन्तु इस धारा की कोई बात नियत सीमा से अनधिक मात्रा में घी या दूध या किसी दुग्ध उत्पाद का किसी व्यक्ति द्वारा निजी उपयोग के लिए परिवहन करने पर या उसे ले जाने पर लागू नहीं होगी।

लाइसेंस का प्रदान, निलम्बन या निरसन प्रतिभूति या समपहरण और प्रतिकर के दावे पर रोक

14--(1) इस अधिनियम के अधीन लाइसेन्स, विहित शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी प्रतिभूति देने और ऐसी फीस का भुगतान करने पर, जो विहित की जाय, लाइसेन्स प्राधिकारी द्वारा विहित रीति से दिया जायगा या नवीकृत किया जायगा।

(2) यदि कोई लाइसेन्सधारी इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों का या लाइसेन्स की किसी शर्त का उल्लंघन करता है, तो धारा 20 के अधीन दण्ड विषयक उसके दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, लाइसेन्स प्राधिकारी उसको स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात् उसका लाइसेन्स रद्द कर सकता है :--

परन्तु लाइसेन्स प्राधिकारी इस उपधारा के अधीन लाइसेन्स को रद्द करने का नोटिस देते समय लाइसेन्स को निलम्बित कर सकता है ।

(3) जहां कोई लाइसेन्सधारी दूध या दुग्ध उत्पाद की शुद्धता या गुण के मानक से संबन्धित तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया हो, वहां लाइसेन्स प्राधिकारी दण्ड की प्रकृति और गुरुता और ऐसी परिस्थिति को, जिसमें अपराध किया गया था ध्यान में रखते हुए, उसका लाइसेन्स उपान्तरित या रद्द कर सकता है ।

(4) धारा 20 या उपधारा (1) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि लाइसेन्स प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि लाइसेन्सधारी ने लाइसेन्स की किसी शर्त का उल्लंघन किया है और यह कि उसके प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण आवश्यक है, तो वह उसे स्पष्टीकरण का अवसर देने के पश्चात्, आदेश द्वारा उसकी सम्पूर्ण या आंशिक प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण कर सकता है ।

(5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन लाइसेन्स को निलम्बित या रद्द या उपान्तरित करने के प्रत्येक आदेश या उपधारा (4) के अधीन प्रतिभूति निक्षेप के समपहरण के आदेश की एक प्रति लाइसेन्सधारी को प्रेषित की जायगी ।

(6) उपधारा (2), उपधारा (3) या उपधारा (4) के अधीन लाइसेन्सधारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की संसूचना के दिनांक से साठ दिन के भीतर परिषद् के अध्यक्ष को विहित रीति से अपील कर सकता है ।

(7) लइसेन्सधारी अपने लाइसेन्स के रद्द या निलम्बित किये जाने पर प्रतिकर का या लाइसेन्स फीस की वापसी का हकदार नहीं होगा ।

दूध और दुग्ध उत्पाद के विक्रय और परिवहन और निर्यात का प्रतिशेध या विनियमन

15---राज्य सरकार लोकहित में, और इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए---

(क) किसी विशिष्ट क्षेत्र में दूध के विक्रय या सम्भरण, या किसी दुग्ध उत्पाद के निर्माण, विक्रय या सम्भरण को,

(ख) राज्य के किसी एक क्षेत्र से राज्य के किसी अन्य क्षेत्र में दूध या दुग्ध उत्पाद के परिवहन को या राज्य के बाहर किसी स्थान में उसके निर्यात को अधिसूचना द्वारा विनियमित कर सकती है या उसके सम्बन्ध में मूल्य निर्धारित कर सकती है ।

दूध के क्रय पर उपकर

16—(1) राज्य सरकार दूध या दुग्ध उत्पाद के विक्रय या क्रय या सड़क द्वारा लाने पर अधिसूचना द्वारा ऐसी रीति से और ऐसी दर या दरों पर जैसी विहित की जाय, यथास्थिति, दूध या दुग्ध उत्पाद के मूल्य के दस प्रतिशत से अनधिक कर आरोपित, उद्गृहीत और प्रभारित कर सकती है और ऐसा कर दुग्धशाला द्वारा या विधाकर्त्ता, निर्माता या राज्य के बाहर दूध या दुग्ध उत्पाद के परिवहन कर्ता द्वारा देय होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन आरोपित कोई कर केवल एक स्थल पर उद्गृहीत किया जायगा और ऐसी रीति से दिया जायगा जैसी विहित की जाय।

(3) इस धारा के अधीन आरोपित कर "दूध उपकर" हलाएगा।

(4) उपकर का संग्रह करने के लिए अधिकृत अधिकारी कलेक्टर को अपने हस्ताक्षर से एक प्रमाण-पत्र अग्रसारित कर सकता है जिसमें सम्बद्ध व्यक्ति से देय बकाये की राशि उल्लिखित की जायगी, और कलेक्टर ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट राशि को वसूल करने की कार्यवाही करेगा, मानो वह भू-राजस्व का बकाया हो।

उपकर की आय दुग्धशाला विकास निधि में रखी जायगी

17—प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में, विधि द्वारा सम्यक् विनियोजन किये जाने के पश्चात् राज्य सरकार उपकर के आगम की पूरी राशि को जो धारा 16 के अधीन आरोपित किया जाय और पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, उसके द्वारा वसूल किया जाय, संग्रह व्यय की कटौती करने के पश्चात् राज्य की संचित निधि से और उसके बाहर निकालेगी और उसे उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास निधि में जमा करेगी और ऐसी राशि का उक्त निधि में जमा किया जाना राज्य की संचित निधि पर प्रभार होगा।

अध्याय 4

शास्ति और प्रक्रिया

अपराध का संज्ञान

18—कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर, न कि उसके सिवाय करेगा जो परिषद् या परिषद् द्वारा इस प्रयोजनार्थ प्राधिकृत किसी व्यक्ति की पूर्व स्वीकृति से अपराध किये जाने के पश्चात् निकटतम छः मास के भीतर की जाय।

न्यायालय की अधिकारिता

19—प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्न कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध पर विचार नहीं करेगा।

शास्ति

20—कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करता है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन जारी किये गये किसी आदेश का अनुपालन नहीं करता है, वह जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और यदि अपराध निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रथम अपराध के लिए दोष-सिद्धि के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराध जारी रहे, पांच सौ रुपये तक के अतिरिक्त जुर्माने से दण्डनीय होगा।

कम्पनियों द्वारा अपराध

21—(1) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध को करने के समय उस कम्पनी का प्रभारी और उसके कार्य संचालन के लिए उत्तर-दायी प्रत्येक व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और वह दण्ड का भागी होगा मानों यह अपराध उसके द्वारा स्वयं किया गया था :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से कोई व्यक्ति किसी दण्ड का भागी नहीं होगा यदि वह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध को किये जाने से रोकने का सभी सम्यक् प्रयास किया था।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जब इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी म्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी कीसम्मति या मौनानुमति से किया गया है या उनकी किसी उपेक्षा करने केकारण हुआ है तो कम्पनी का ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकेगी और वह दण्ड का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का समुदाय भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में, "निदेशक"का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अपराध का शमन

22—(1) दुग्ध आयुक्त या परिषद् द्वारा इस निमित्त सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत उसका कोई अन्य अधिकारी या तो कार्य-वाहियां संस्थित किये जाने के पूर्व या उसके पश्चात् इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का शमन ऐसे निबन्धनों पर, जिसके अन्तर्गत शमन फीस का भुगतान किया जाना भी है जिन्हें वह उचित समझे, कर सकता है :

परन्तु किसी अपराध का जिसके अन्तर्गत परिषद् द्वारा या उसकी ओर से जारी किये गये किसी आदेश का अनुपालन न किया जाना भी है, तब तक शमन नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे आदेश का यथाव्यवहार्य अनुपालन न किया गया हो।

(2) जहां किसी अपराध का शमन किया गया हो, वहां अपराधी, यदि अभिरक्षा में हो, उन्मुक्त कर दिया जायेगा और इस प्रकार शमन किये गये अपराध के सम्बन्ध में उसके विरुद्ध कोई अग्रतर कार्यवाही नहीं की जायगी।

अध्याय—5

प्रकीर्ण

परिषद् के आदेश और दस्तावेज का अधि-प्रमाणन

23—परिषद् की समस्त अनुज्ञा, आदेश, विनिश्चय और अन्य दस्तावेज मुख्य कार्यपालक अधिकारी या इस निमित्त परिषद् द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के हस्ताक्षर से अधि-प्रमाणित किये जायेंगे।

उपक्रम आदि का निरीक्षण

24---लाइसेंस प्राधिकारी या दुग्ध आयुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति अपना यह समाधान करने के लिये कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों का कोई उल्लंघन तो नहीं किया गया है, न किया जा रहा है और न किये जाने की संभावना है, किसी दुग्धशाला या किसी विधाकर्त्ता या निर्माता के किसी उपक्रम के भू-गृहादि, उपस्कर या अभिलेख और दूध या दुग्ध उत्पाद का निरीक्षण या जांच कर सकता है या करा सकता है ।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

25---कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे कार्य के लिये नहीं की जा सकेगी, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों के अधीन सद्भावना से किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो ।

कार्य जो अविधिमान्य नहीं होंगे

26---परिषद् का कोई कार्य उसकी सदस्यता में किसी रिक्ति या उसके गठन या अधिष्ठान में किसी त्रुटि के कारण मात्र से अविधिमान्य नहीं समझा जायगा ।

नियम बनाने की शक्ति

27---(1) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) विशेषतः और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :--

(क) परिषद् द्वारा कार्य संचालन ;

(ख) दुग्ध आयुक्त के कर्त्तव्य शक्ति और कृत्य;

(ग) परिषद् में आकस्मिक रिक्तियों में सदस्यों की नियुक्ति;

(घ) वित्तीय विवरण-पत्र तैयार करना और प्रस्तुत करना;

(ङ) रीति जिसके अनुसार और प्रपत्र जिसमें दुग्ध विकास निधि का प्रशासन और उससे भुगतान किया जायेगा;

(च) लाइसेन्स देने की रीति और लाइसेन्स फीस की दर;

(छ) दूध उपकर की दर और उन्हें आरोपित और संग्रह करने की रीति;

(ज) परिषद् द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण-पत्र और विवरणी और परिषद् या दुग्धशाला, निर्माता और विधाकर्त्ता द्वारा रखे जाने वाले रजिस्टर और अन्य प्रपत्र;

(झ) दुग्ध संघ, दुग्धशाला विधाकर्त्ता या निर्माता के बीच का दुग्ध आयुक्त को निर्देश और इस सम्बन्ध में दुग्ध आयुक्त द्वारा विवाद अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया; और

(ञ) कोई अन्य विषय जिसे परिषद् द्वारा विहित किया जाना हो और किया जाय ।

विनियम

28---(1) परिषद् राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से, इस अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों से संगत विनियम बना सकती है ।

(2) विशेषतः, और पूर्व गामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित की व्यवस्था करने के लिये परिषद् विनियम बना सकती है:—

(क) परिषद् या उसकी समितियों के कार्य सम्पादन के सम्बन्ध में प्रक्रिया;

(ख) परिषद् के कर्मचारियों के कृत्य और कर्तव्य;

(ग) परिषद् की समितियों का गठन, कर्तव्य और कृत्य; और

(घ) कोई अन्य विषय जिसके लिये विनियमों में व्यवस्था की जानी हो या की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, और 28 इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976

राज्य में दुग्धशाला उद्योग का विकास करने की दृष्टि से दूध के उत्पादन, सम्भरण और वितरण और उसे दुग्ध उत्पाद में परिवर्तित करने का विनियमन और नियंत्रण करने और उससे सम्बद्ध विषयों की व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्ताइसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय—1

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश दूध अधिनियम, 1976 कहा जायगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे, और उत्तर प्रदेश के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के लिए और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबन्धों के लिए भिन्न-भिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाएं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अजीत प्रताप सिंह —

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दूध विधेयक, 1976 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1976-77 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा

श्री उपाध्यक्ष---

आइटम न० 16 आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।

राजस्व मंत्री (श्री स्वामी प्रसाद सिंह)---

अभी साहूकारी विधेयक बाकी है। यह एक विशेष ऐजेन्डा में मेरे पास आया है, इस लेना है।

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे पास तो नहीं।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टिहरी-गढ़वाल)---

मेरा निवेदन है कि सारे बिल आज पास किए जाएं और बजट पर डिस्कशन आज स्थगित रखा जाए।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह ---

मेरे पास सूचना पहुंची है कि साहूकारी विधेयक की आज पुरः स्थापना होगी और आज ही उस पर विचार होगा।

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे पास तो कोई ऐसी सूचना आई नहीं है। कल उसे प्रस्तुत करें।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

जनरल डिस्कशन पर कितना समय आप दे रहे है कुछ इसकी टाइम-लिमिट के बारे में सूचना होती तो अच्छा होता?

श्री उपाध्यक्ष---

नेगी जी सामान्यतः, तो 5 दिन का समय दिया जाता है किन्तु अब बोलने वालों पर यह निर्भर करेगा। बोलने वाले होंगे तो अवश्य उतना ही समय मिलेगा। आज जो समय लिया गया है, इस विधेयक पर, यह सब उसमें दिया जायगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने जब अपना बजट भाषण शुरू किया था, तो उसमें उस समय उन्होंने कहा था कि इस वर्ष विशेषकर एमरजेंसी लागू होने के बाद से अनुशासन बंधा है और उस अनुशासन की वजह से प्रदेश के अन्दर चाहे वह कृषि क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, उसमें उत्पादन बढ़ा है। मान्यवर, यह उत्पादन किसने बढ़ाया? उत्पादन मिल मालिक ने नहीं बढ़ाया। कृषि के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने वाला उत्तर प्रदेश का किसान है और उद्योग के क्षेत्र में उत्पादन बढ़ाने वाला उत्तर प्रदेश का मजदूर वर्ग है। देश और प्रदेश के अन्दर अपोजीशन ने जो वातावरण पैदा कर दिया था, अराजकता और अनुशानहीनता का जो वाता-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

वरण पैदा कर दिया था, उसके बावजूद इस देश की और प्रदेश की साधारण जनता ने आपका समर्थन किया और इस इमरजेंसी के दौड़ में तमाम बातों में पूरे तरीके से सरकार का समर्थन किया। लेकिन अब प्रश्न यह है कि इस बजट के द्वारा आप उस जनता को, उस मजदूर को क्या देने जा रहे है, जिनके बारे में आपका कहना है कि उसने उत्पादन बढ़ाया? इस बजट में आप उस किसान को क्या देने जा रहे हैं, जिसने कृषि का उत्पादन बढ़ाया? इस बजट के बाद छोटे-मोटे कर्मचारियों को क्या देने जा रहे हैं? इस प्रदेश की मध्यम वर्गीय जनता को क्या देने जा रहे हैं? मान्यवर, आप देने जा रहे है 70 करोड़, 65 लाख रुपये का बोझ आप इस प्रदेश की जनता के ऊपर लाद रहे हैं। इस प्रदेश के मजदूरों के ऊपर, इस प्रदेश के किसानों के ऊपर, इस प्रदेश के कर्मचारियों के ऊपर, इस प्रदेश के मध्यम वर्गीय जनता के ऊपर बोझ लादने जा रहे हैं। आप कहते है कि इन्फ्लेशन नहीं होगा। प्रदेश की गरीब जनता के ऊपर टैक्स लगायेंगे बड़े और धनी लोगों के टैक्स माफ करने जा रहे हैं। परचेज टैक्स माफ करने जा रहे हैं। बिड़ला, टाटा को रियायत देने जा रहे हैं। केन्द्र के अन्दर? इस प्रदेश के अन्दर दे रहे हैं। सेल्स टैक्स बढ़ेगा। किस चीज के ऊपर टैक्स बढ़ा रहे है, मिठाई के ऊपर बढ़ा रहे हैं? साबुन के ऊपर, कपड़े के ऊपर बढ़ा रहे हैं। तमाम चीजों के ऊपर बढ़ा रहे हैं। जो इस प्रदेश का गरीब किसान खरीदता है सेल्स टैक्स जाता है, उपभोक्ता की जेब से किसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं? फीस या लाइसेंस पर टैक्स लगेगा। उस दिन मान्यवर, माननीय मंत्री जी के विधेयक पर बहस हो रही थी कि बन श्रमिकों से लीसा माड़ने के लिये टैक्स लगाने जा रहे हैं। स्टैम्प फीस आप बढ़ाने जा रहे हैं। कौन इन कचेहरियों में जाता है? बेचारा गरीब आदमी जिसको कोई पूछने वाला नहीं है, वह कचेहरियों में अधिकतर जाता है। अभी पशुपालन दुग्ध उत्पादन की बात हो रही थी, आप उस पर भी टैक्स लगाने जा रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि प्रदेश की जनता ने आपका साथ दिया, कर्मचारियों ने आपका साथ दिया, लेकिन इन टैक्सों का बोझा तोहफे के रूप में इन लोगों पर लाद रहे हैं। मुख्य समस्या आज की क्या है? कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन आज उनकी कीमतें जो बढ़ती जा रही हैं, उनको कैसे कम किया जाय। लगातार मांग की जा रही हैं कि देहात के अन्दर किसान खून पसीना बहा करके अनाज पैदा कर रहा है और पैदावार बढ़ा रहा है, लेकिन उसको सजा मिल रही है, उसकी पैदावार के बदले उसको लगातार सजा मिल रही है। जो पैदावार उसकी है उसको वह नहीं मिल रही है। लेकिन उस किसान को जो उसके उपभोग की वस्तुएं हैं, जो उसे लेनी पड़ती हैं, उसका दाम नहीं कम कर रहे है। बड़ा ऐलान किया केन्द्र के अन्दर जब बजट आया है कीमतें गिरनी शुरू हो जायेंगी। माननीय मंत्री जी बैठे हुए है, कृपया मंत्री जी से यह कहलवा दें कि कौन-कौन से आइटम है जिनकी कीमतें गिरी हैं? क्या साबुन, माचिस, कपड़ा, लोहा, सीमेंट की कीमते गिरी हैं? किस चीज की कीमत गिरी है?

वन मंत्री (श्री अजीत प्रताप सिंह) ...

लोहे की गिरी है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी ...

लोहे की गरीब किसानों की क्या जरूरत पड़ती है मान्यवर, हर एक चीजों की कीमतें जो किसानों के उपभोग की है बढ़ी हैं। गेहूं के बारे में लगातार कहा जा चुका है आलू के बारे में लगातार कहा जा चुका है और चाहे सरसों की कीमत हो जो भी उत्पादन किसान करता है उसकी कीमतें लगातार गिरती जा रही हैं जो चीजें वह इस्तेमाल करता है उसकी कीमतें नहीं गिर रही हैं। यही नहीं एक तरफ पैदावार की कीमतें गिरती जा रही है और दूसरी तरफ सिचाई की दरों में और बिजली की दरों में जो बढ़ोत्तरी की थी उसको आप कम नहीं करने जा रहे हैं। तो किसान के ऊपर लगातार बोझा पड़ रहा है। किसान को अपने उत्पादन की पूरी कीमत नहीं मिलेगी। बिजली का खर्चा और सिंचाई का खर्चा जो है उसका रेट बढ़ा है। तो कहां संतुलन बैठेगा। जो औद्योगिक उत्पादन है और किसान के उत्पादन में में कहां संतुलन करने जा रहे हैं। मैं पूछना

चाहता हूं कि जिस किसान के बारे में दुहाई दी जाती है। जिस उपभोक्ता के बारे में दुहाई दी जाती है। उसको राहत देने के लिये और जो असन्तुलन हो रहा है उसको दूर करने के लिये इस बजट में कौन से कदम उठाये गये है।

20 सूत्री कार्यक्रम का जिक्र किया गया। जनता में और प्रगतिशील पार्टियों ने समर्थन किया लेकिन क्या यह सही है कि संतुलन मंगलदेव विशारद की रिपोर्ट ने जिन बड़े-बड़े भूमिचोरों के नाम बताये थे क्या उनसे जमीन निकाल ली गयी थी या नहीं। भूमिचोर आज भी उस जमीन पर काबिज बने बैठे हैं। मान्यवर, उस दिन बहस हुई थी और माननीय सदस्य ऊदल ने कहा था कि टी0 पी0 भल्ला का मामला आपके सामने मिर्जापुर का फार्म आज भी कायम है और मेरे साथ नैनीताल की तराई के अन्दर चलें तो आप को दिखलाऊं कि बड़े व्यापक पैमाने पर बड़े-बड़े भूमिचोर तराई में लाखों एकड़ भूमि पर कब्जा किए हुए है। तराई के इलाके में जो पंजाब से लोग आये है। उन्होंने जमीन की लूट मचा रखी है। आपने उनको हटाने की कोई कोशिश नहीं की जो अवैध कब्जे हैं उनको आपने रेगुलराइज कर दिया है। धन्य हो 20 सूत्री कार्यक्रम। हरिजन को भूमि मिलेगी पहाड़ों पर जो विधवायें है जिनके पतियों ने लद्दाख में कुर्बानी की है इस देश की रक्षा के लिये। उनको भूमि नहीं मिलेगी। आपने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों को जमीन मिलेगी लेकिन भूमि पर बड़े-बड़े लोग काबिज और कैसे महारथी है, छोटे, छोटे महारथी नहीं है, जिनका राजनीति में प्रभाव है, नाम नहीं लेना चाहता हूं कुछ भूतपूर्व मुख्य मंत्री है, कुछ मंत्री रह चुके हैं और कुछ अब भी हैं। सेना के सेनाध्यक्ष हैं वायुसेना के अध्यक्ष रह चुके हैं बड़े-बड़े लोग जिन्होंने कब्जा कर रखा है। माननीय मुख्य मंत्री जी सामने बैठे हुये हैं इनको शरम मालूम होती है। हाईकोर्ट में मुकदमा हार गये। आजकल हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा है। हाईकोर्ट में मुकदमा हार गये और उसके बावजूद काबिज बने बैठे हैं। अगर कोई बोक्सा या थारू आबादी की जमीन पर कब्जा करे या बंगाल से आये हुये लोग, जो पहले आये थे, अगर वे कहीं पर झोपड़ियां डालेंगे तो आपके हाथी वहां जाकर उनको कुचल देते हैं। पीलीभीत में जो छोटे-छोटे मजदूर हैं, उन्हें उजाड़ने के लिये आपके हाथी, पी0 ए0 सी0 और फौज के लोग पहुंच जाते हैं लेकिन बड़े लोगों को हटाने के लिये ये लोग अशक्त हैं। नैनीताल की तराई से लोगों को हटाने के लिये कहा जाता है कि बहुत बड़ा गृह युद्ध हो जायगा और हमें फौज बुलानी पड़ेगी तो मैं जानना चाहता हूं कि यह एमरजेन्सी किस के लिए है? क्या यह 20 सूत्री जपने के लिए आपका मंत्र हो गया है। आप इस आपात स्थिति का इसके लिए क्यों नहीं फायदा उठाते हैं। माननीय राजेन्द्र कुमार गर्ग के ऊपर आप डी0 आई0 आर0 लगाकर बन्द कर सकते हैं लेकिन वह उनके लिये नहीं है। क्योंकि वे तो आपके साथ उठने बैठने वाले लोग हैं।

यहां पर भूमि आवंटन की बात भी प्रायः कही जाती है लेकिन क्या आपने कभी गांवों में जाकर देखा है कि कितनी भूमि आप हरिजनों को दिला सके हैं। आपने इसके लिए 30 जून की तारीख रखी है लेकिन सदन में जब इस सम्बन्ध में आपसे पूछा गया तो आप जवाब तक नहीं दे सके कि कितनी भूमि पर अनाधिकार कब्जा है। आप देखें, इसको कौन कर रहा है। क्या जनता के प्रतिनिधि, हरिजनों के प्रतिनिधि या भूमिहीनों के प्रतिनिधि कर रहे है या वे युवक हैं जो 20 सूत्री कार्यक्रम में विश्वास रखते है। नहीं, कहीं पर लेखपाल, कहीं पर डिप्टी कलेक्टर या और सरकारी मशीनरी ही इस काम को कर रही है। आप जानते है कि लेखपाल, डिप्टी कलेक्टर का सन् 1950 से ही लगातार चक्र-चल रहा है। आज भी इस अफसरशाही के कारण ही जितने भी सीलिंग लाज आपने पास किये है, उन सब का उल्लंघन लगातार किया गया। इन्हीं अफसरों के रहमोकरम पर आज भी आप हरिजनों को छोड़ रहे हैं। सरकार ने घोषणा की थी कि ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर कमेटियां बनेगी, उन लोगों की कमेटियां बनेगी जिन को इस पर विश्वास है लेकिन क्या हुआ? वे बनेगी या नहीं? क्या आप कह सकते हैं कि आपकी नौकरशाही इतना बड़ा क्रान्तिकारी कदम उठाने में सक्षम है या नहीं?

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

आप कहते हैं कि हमने बन्धुआ मजदूरी समाप्त कर दी है। बहुत अच्छा किया है लेकिन उन हरिजनों को ऋण कहां से देने जा रहे हैं, उसके लिये आपने क्या व्यवस्था की है? आप देहरादून में जाइये, टिहरी गढ़वाल और जौनसार में जाइये जहां पर इन लोगों की बहुत बुरी दशा हो गई है। आज उन्हें कोई कर्जा देने के लिये तैयार नहीं है, उनका अपना जो लुहारखाना है, उसके लिये भी कोई कर्जा देने के लिये तैयार नहीं है। मकान बनाने के लिये कोई कर्जा देने के लिये तैयार नहीं है, बीमार पड़ जांय तो दवा दारू के लिये कोई कर्जा देने के लिये तैयार नहीं है। आपने बैंकों की बात कही। कहां हैं वह बैंक। जब तक वह बैंक खुलेंगे तब तक बेचारे हरिजन की दुर्गत हो जायगी अगर आपने कोई व्यवस्था नहीं की और जो व्यवस्था भी की तो 14 रुपया सूद। महाजनों से गिड़गिड़ा कर कुछ छुड़वाया भी जा सकता था लेकिन यह तो बैंक है। बड़े आदमियों से वसूल न भी हो लेकिन हरिजनों से वसूल करने के लिये सरकार का डंडा हमेशा तैयार रहता है।

मान्यवर, आप जानते हैं कि चीनी का लाबी इस प्रदेश के शासनतन्त्र पर कितनी बुरी तरह से हावी है। वह तय करती है कि इस प्रदेश के अन्दर कैसा मंत्रिमंडल बने, कौन मुख्य मंत्री बने। कांग्रेस का विभाजन हुआ और शायद उससे पहले कांग्रेस की तरफ से प्रस्ताव, पास किया गया कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होगा। बम्बई में भूतपूर्व मुख्य मंत्री कमलापति त्रिपाठी ने यह प्रस्ताव पेश किया कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होगा। माननीय वीरेन्द्र वर्मा हैं नहीं, उनकी एक कमेटी बनी, उस कमेटी ने भी एक सिफारिश की लेकिन वह सिफारिश अभी तक सदन के अन्दर नहीं पेश की गयी और जानबूझ कर नहीं पेश की गयी क्योंकि उन सिफारिशों में कुछ सिफारिशें ऐसी थीं कि जो शासन में हावी लोग हैं उनके विपरीत पड़तीं। लेकिन वीरेन्द्र वर्मा कमेटी ने भी चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण किया। तो जो प्रस्ताव आप स्वयं पास कर चुके हैं और जिसके बारे में आप लगातार सदन को आश्वासन देते रहे हैं फिर कौन सी दिक्कत है जो आज आप उन चीनी मिल मालिकों पर हाथ डालने से इन्कार कर रहे हैं। एक हल्ला हो जाता है कि राष्ट्रीयकरण होगा, राष्ट्रीयकरण होगा, नतीजा यह होता है कि न तो कारखानों के मालिकों ने मशीनें बदलीं बल्कि उन मशीनों को तोड़ कर कोशिश यह की जा रही है कि एक कबाड़ सरकार को सौंप करके पूरी रकम वसूल कर ली जाय। बिड़ला को आप नये कनेक्शन देने के लिये तैयार है लेकिन बिड़ला जी के हिन्डालको का राष्ट्रीयकरण करने के लिये आप तैयार नहीं है। जब आप खुद कहते हैं कि देश और प्रदेश के अन्दर एकाधिकार पूंजी का नियन्त्रण करना है तो हिन्डालको का राष्ट्रीयकरण आप करें जिसको इतनी सस्ते दर पर आप बिजली लुटाते चले आये और लगातार उसके मुनाफे में वृद्धि करते चले आये। उसके ऊपर आप हाथ डालने के लिये तैयार नहीं हैं। अब तो आप एक नया सर्टिफिकेट देने लगे हैं कि ये पूंजीपति सोशली कान्शस हो गये हैं, उनके पंजे में जो लम्बे लम्बे नाखून हैं वह कुतर दिये गये हैं और अब वह समाजवादी नाखून हो गये। आप समाजवाद को भी बदनाम कर रहे हैं, उसकी नयी-नयी परिभाषायें निकाल रहे हैं। इधर तो यह हो रहा है, उधर उन मजदूरों की तरफ जिन्होंने कि आपका साथ दिया, जय प्रकाशनारायण जी के आन्दोलन का डटकर मुकाबला किया और तमाम प्रतिक्रियावादी ताकतों का मुकाबला किया, उनकी तरफ आपका कोई ध्यान नहीं है। उनकी छटनी पर छटनी होती जा रही है, उनके बोनस को भी खत्म कर दिया गया, अगर दबी हुई जबान से वे अपने अधिकारों के लिये कुछ कहते भी हैं तो उन पर आप डी० आई० आर० लगा देते हैं, अभी माननीय गर्ग साहब को आपने डी० आई० आर० में बन्द कर दिया। यह डी० आई० आर० तो आपने ब्लैक मार्केटियर्स के लिये तथा प्रतिक्रियावादी लोगों के लिये प्रयोग के वास्ते लगाया था। मजदूर वर्ग के संरक्षण के लिये लगाया था। मगर आज मजदूरों पर ही आप इस्तेमाल कर रहे हैं? एक कानून आपने बनाया कि 300 से अधिक जहां मजदूर हैं वहां तो संरक्षण किया गया, जहां कम हैं वहां यह कानून लागू नहीं होगा, यह क्यों? न्यूनतम मजदूरी का भी प्रश्न आपने

अभी तक तय नहीं किया। क्यों? श्रम विभाग में सालों के नोटीफिकेशन दबे पड़े हुये हैं न्यूनतम मजदूरी के संबंध में, मगर अभी तक नहीं निकले। क्यों? जो मजदूर बेचारे पत्थर तोड़ते हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी अभी तक तय नहीं हो पायी है। आखिर क्यों? जो अनस्किल्ड लेबर हैं उसकी न्यूनतम मजदूरी भी अभी तक आपने तय नहीं की है। किसी पूंजीपति का अगर मामला होगा तो तुरन्त फाइल मंगा ली जायेगी, मगर इन गरीब तबके के लोगों का मामला वर्षों तक खटाई में पड़ा रहेगा।

शिक्षा का जहां तक प्रश्न है, मान्यवर, जितनी भी शिक्षा संस्थायें हैं सभी सरकारी अनुदान पर चल रही हैं। कोई भी प्राइवेट संस्था एक भी पैसा अपना खर्च नहीं करती। आप यह नीति स्वीकार भी कर चुके हैं कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा। चुनाव घोषणा पत्र में भी आप इसे स्वीकार कर चुके हैं। कितना भ्रष्टाचार इन शिक्षा संस्थाओं में चल रहा है यह सब को विदित है। मैनेजिंग कमेटियों में फूट है। शिक्षा संस्थाओं की सम्पत्तियों पर कब्जा कर रखा है। आये दिन यहां पर प्रश्न किये जाते रहे हैं, मगर सरकार राष्ट्रीयकरण करने को तैयार नहीं है। क्यों? वित्तीय कठिनाई भी नहीं है क्योंकि आप सभी को अनुदान देते हैं और उसी पर वे चलती हैं? तो कौन सी कठिनाई है कि आप शिक्षा संस्थाओं का राष्ट्रीयकरण करने को तैयार नहीं हैं? अगर कालेज खोल रहे हैं तो वही परम्परागत एम0 ए0, एम0 काम, बी0 एड0 आदि कालेज खोले जा रहे हैं। मान्यवर, आज प्रदेश के अन्दर हजारों ऐसे नौजवान है जो तीन-तीन और चार-चार साल से बी0 एड0, एल0 एल0बी, एम0 ए0 और एम0 काम0 की डिग्री लिये हुये सड़कों पर घूमते फिरते नजर आते हैं क्योंकि उनको नौकरी नहीं मिल रही है। क्यों नहीं आप कोई ऐसा प्लान बनाते कि आपको कितने इंजीनियर चाहिये, कितने डाक्टर चाहिये, कितने टीचर्स चाहिये तथा कितने लोग और कामों के लिये चाहिये और उसी हिसाब से आप उसके लिये आदमी तैयार करते। आज हर जगह अराजकता फैली हुई है। आज प्रदेश के युवकों के सामने अंधेरा है। तमाम डिग्री हासिल करने के बाद भी वे नौकरी के लिये मारे-मारे फिरते हैं और उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है।

पूर्व माध्यमिक शिक्षा में भी आपने यही फितूर कर रखा है। पहले आपने कहा कि जिला परिषद् के अन्दर इसको रखेंगे। फिर कह दिया कि यह बेसिक शिक्षा परिषद् के अन्दर जा रहा है, कभी कहते हैं कि सरकार इसको अपने हाथ में लेगी। कभी कुछ, कभी कुछ। लगातार पिछले 10 साल से पूर्व माध्यमिक शिक्षा की आपने दुर्दशा कर रखी है, समझ में नहीं आता। पहले यह जिला परिषद् में था, जिला परिषद् से उसको हटा दिया। फिर आपने बेसिक शिक्षा परिषद् गठित किया था, जिसके अन्दर यह चल रहा है और अब दोबारा अफवाह फैल रही है कि अब यह जिला परिषदों को सौंप दिया जायगा। आप क्यों इस तरह से देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? पहले फैसला कर लिया था कि 8वीं की परीक्षा बोर्ड से होगी, अब फैसला कर लिया है कि. . . .

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)---

उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूं कि जिला परिषदों के बारे में उनकी क्या राय है?

श्री गोविन्द सिंह नेगी---

मान्यवर, मैं कह रहा था कि अब फैसला कर लिया गया है कि अब 8 वीं की परीक्षा बोर्ड से नहीं होगी। फिर क्या होगा? देहातों के अन्दर आप चले जायें, हमारे सभी साथी जानते हैं कोई अध्यापक स्कूलों में नहीं पढ़ायेगा, सब अपने-अपने घरों में रहेंगे और बिना परीक्षा के ही बच्चों को पास कर देंगे। नतीजा यह होगा कि नवीं में ऐडमिशन

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

के लिए टेस्ट होगा तो उसमें वे सफल नहीं हो पावेंगे । आप क्या करने जा रहे हैं, बच्चों के साथ और उनके भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं ? जो कुछ करना हो एक दफा तय कर लीजिये और फिर उसी पर अमल कीजिये । बेसिक शिक्षा की क्या जरूरत थी? आप देहातों में किसी भी क्षेत्र में किसी बेसिक स्कूल में चले जाइये, कहीं पर भी आपको टाट पट्टी नहीं मिलेगी, श्याम पट्ट नहीं मिलेगा । कहीं भवन नहीं मिलेगा । मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में पहाड़ों पर स्कूल गुफाओं और कन्दराओं में चल रहे हैं, इसलिये कि वहां स्कूल के लिये कोई भवन नहीं है। यहां केंद्र से कोई अनुदान आया था । उस अनुदान के बारे में अब जो नौकरशाही लखनऊ में बैठी हुयी है, उन्हें क्या मालूम कि देहातों में क्या हो रहा है। मरम्मत पर पैसा खर्च नहीं होगा । खर्च नये भवनों पर होगा । और उस पैसा को जिला परिषद् अपने माध्यम से खर्च नहीं कर सकती, ब्लाक समिति अपने माध्यम से खर्च नहीं कर सकती । खर्च होगा रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के द्वारा। रूरल इंजीनियरिंग विभाग, पी0डब्लू0 डी0, इरीगेशन के इंजीनियर्स का क्या हाल है, कहने की जरूरत नहीं है । मान्यवर, 15 प्रतिशत तक सरकारी कमीशन हो गया । इतने तक कोई सवाल नहीं आता मेरे क्षेत्र का एक ठेकेदार था । अपने इनकमटैक्स रिटर्न को भर दिया और इन्कम-टैक्स रिटर्न में लिख दिया कि 15 परसेंट इंजीनियर साहब को दिया । मान्यवर, यह हकीकत है । जब इन्कम टैक्स अफसर के सामने वह रिटर्न गया तो उसने कहा कि कौन सा कमीशन है तो ठेकेदार कहने लगा कि जितना बिल बनता है उसका 15 परसेंट इंजी-नियर साहब को देना पड़ता है । तो अफसर कहने लगा क्यों देते हो तो ठेकेदार ने कहा कि यह सरकार ने मंजूर कर रखा है । तो फिर इस रूरल इंजीनियरिंग को क्यों आप हमारे पीछे लगा रहे हैं। आपकी जिला परिषद है, आपकी ग्राम सभायें हैं उनके तमाम नुमाइंदे हैं । मैं तो यह कहता हूं कि हमारे यहां के लोग तैयार हैं कि 50 फीसदी अनुदान जो आप दे रहे हैं उसका 50 फीसदी तक श्रमदान के रूप में या लकड़ी के रूप में हमारे यहां के लोग इकट्ठा करने के लिये तैयार हैं । तो फिर आपने रूरल इंजीनियरिंग को क्यों बीच में रखा है।

मान्यवर, अब माननीय तिवारी जी तो हैं नहीं । एक बवाल उन्होंने उत्तर प्रदेश के अन्दर शुरू किया है । (बीच में टोकने पर)

उन्होंने वाक आउट कर रखा है तो सदन के नेता यहां क्यों बैठें ?

मान्यवर, उन्होंने कारपोरेशन, निगम प्रारम्भ किये थे और आज निगमों का जाल बिछा रखा है, उत्तर प्रदेश के अन्दर । जो कभी रह गयी थी वह इस बजट में पूरी कर दी गयी है । हर मंडल में एक निगम होगा । आप जानते हैं, श्रीमन्, हम इन निगमों के बारे में यहां प्रश्न नहीं कर सकते पब्लिक अन्डरटेकिंग कमेटी वह, ठीक है, वह अपनी जगह पर है इस सदन का कोई नियंत्रण नहीं है सिवाय पब्लिक अन्डर टेकिंग कमेटी के कोई ऐसा माध्यम नहीं है। करोड़ों रुपया आप इन निगमों को दे रहे हैं । कोई वित्तीय नियंत्रण सदन का नहीं है। बड़े-बड़े अफसर हैं वह मंत्रियों की खुशामद करते हैं कि महाराज हमको निगम में रख दीजिये । डाला, चुर्क में उनके जो डाइरेक्टर्स हैं, बाईलाज में प्राविधान कर दिया गया है कि जब वह लखनऊ या दिल्ली जायेंगे तो पांच स्टार होटल में रुक सकेंगे, निगम के खर्चे पर। डेढ़ सौ-दो सौ रुपये दैनिक भत्ता मिलेगा । बेचारे कलेक्टर को जो लखनऊ आयेगा, पिथौरागढ़ या पौड़ी से उसको केवल 22 रुपये मिलेंगे, उसी में सब खर्च निकालना होगा । लेकिन निगम का जो डाइरेक्टर आयेगा वह 5 स्टार होटल में रुकेगा, दिल्ली जायगा तो अशोक होटल में ठहरेगा । मान्यवर, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग जितना निगमों में हो रहा है मैं समझता हूं कि कहीं और उतना नहीं हो रहा है । कोई नियंत्रण नहीं है । जिले की कलेक्टरी करना पसंद नहीं करते हैं

निगम के मैनेजिंग डाइरेक्टर बनना पसंद करते हैं। अब देखें निगम का चेयरमैन कौन होगा, कमिश्नर। मैनेजिंग डाइरेक्टर कौन होगा, ज्वाइंट डेवलपमेंट कमिश्नर डिप्टी कलेक्टर को डाइरेक्टर बना देंगे। कमिश्नर के पास गाड़ियां हैं ही ऊपर से और जो हो जायेगी। जनता के प्रतिनिधियों पर आपका कोई विश्वास नहीं है। हमको छोड़िये अपने सदस्यों पर विश्वास नहीं है। एग्रो के सदस्य को निकाल दिया और अब वहां आई० ए० एस० हैं।

आज इस प्रदेश को माननीय तिवारी जी नहीं चला रहे हैं बल्कि इस प्रदेश को नौकरशाही चला रही है जिससे प्रदेश बरबाद हो रहा है। आज आप प्रदेश को निगम बनाकर नौकरशाही के हवाले कर रहे हैं। आज जिलों का विकास कर लेंगे, मंडलों के अन्दर विकास की समस्या हल कर लेंगे और बिना विधायकों की राय लेकर काम कर लेंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन सी विकास योजना को पूरा करने जा रहे हैं? वह भी नहीं। चूंकि आपका विधायकों पर विश्वास नहीं है, गांव सभा के प्रधान पर विश्वास नहीं है, ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज, जिला परिषदों पर विश्वास नहीं है। आपका विश्वास केवल उस पी० सी० एस० अफसर पर रह गया है और उसको आपने प्रदेश की बागडोर दे रखी है। नौकरी का, म्युनिसिपैलिटीज का, जिला परिषदों का, ब्लाक डेवलपमेंट कमेटीज का और ग्राम सभाओं का आपने क्या हाल बना दिया है? जनता कहती थी पंचायतीराज गांधीवाद का स्तम्भ होने जा रहा है वह इस प्रदेश में जनतंत्र का आधार बनने जा रहा है लेकिन उस पंचायतीराज का क्या हाल कर दिया है? जिला परिषद् के हाथ में क्या रह गया है? सड़कें आपने ले लीं, पब्लिक हेल्थ आपने ले लिया पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट तो चला गया, शिक्षा ले लिया, पेयजल योजनायें ले लिया और जल निगम में सौंप दिया। माइनर इरीगेशन लेकर कोई निगम बना दिया है। सीवर लाइन और पब्लिक हेल्थ म्युनिसिपैलिटीज से चला गया और उसके हाथ में अब झाड़ू रह गया है। इस प्रकार चाहे वह म्युनिसिपैलिटीज का चेयरमैन हो या कारपोरेशन का उसके हाथ में झाड़ू और टैक्स लगाने के अलावा कुछ नहीं रहा है। जल निगम जब से बना मैं एक भी पेयजल योजना को अपने क्षेत्र में स्वीकार नहीं करा सका हूं क्योंकि दो रुपया प्रतिमाह की दर से साल भर का हर एक से जबतक जमा नहीं करा देते तबतक पेयजल योजना पर विचार नहीं होगा निर्माण तो दूर रहा। टैक्स लेकर योजनायें बनायी जा रही हैं।

समाजवाद हो गया। बीस सूत्रीय कार्यक्रम हो गया। देहात के अन्दर जो हरिजन होगा उसको पीने के पानी के लिये टैक्स देना होगा और यदि नहीं देगा तो टोटी काट दी जायगी ऐसा भी किया गया है। मेरे साथी बतला रहे हैं बांदा जिले में कर्वी में हरिजनों की टोटी काट दी गयी। इस तरह से प्रदेश का निगमीकरण हो रहा है जिसका यह फल है। मान्यवर, जब इमरजेंसी की बात है। हमारे दल ने लगातार इसका समर्थन किया है। हम समझते हैं कि आपातकालीन स्थिति की घोषणा करके इंदिरा गांधी ने इस देश को फासिस्ट ताकतों से बचा लिया। प्रदेश के तमाम मजदूर वर्ग और किसानों ने इसका स्वागत किया लेकिन यह भी सही है कि इस इमरजेंसी के दौरान में आपकी नौकरशाही निरंकुश हो गयी। इस इमरजेंसी का इस्तेमाल किया गया मजदूरों को कुचलने के लिये। मैंने आपको कुछ मिसालें भी दी हैं। आज भी उन ताकतों को जिनके खिलाफ यह इमरजेंसी लागू की गयी थी आपकी सरकारी मशीनरी, आपकी नौकरशाही बढ़ावा दे रही है। मान्यवर, कांग्रेस के एक बहुत जिम्मेदार नेता ने बतलाया कि अलीगढ़ में कोई प्रदर्शनी हो रही थी सरकारी खर्च पर। उस प्रदर्शनी में आर०एस०एस० के स्टाल लगाये गये। आर०एस०एस० की मीटिंग्स हुई। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है या कौन है मैं नहीं जानता उन्होंने बतलाया कि मुख्य मंत्री जी से शिकायत की तो वहां का सी० ओ० चार दरोगा लेकर पहुंच गया और उनको धमकाया। तो इमरजेंसी में यह सब हो रहा है। संभल के अन्दर इतना बड़ा दंगा हो गया। कैसे हो गया? क्या वह ताकतें आज भी सक्रिय नहीं है। आपकी नौकरशाही सतर्क नहीं है। कल ओझा बतला रहे थे। पिथौरागढ़ में एक शिशु मंदिर है।

[श्री गोविन्द सिंह नेगी]

वहां आज भी वही पुराने दो तीन धोतीधारी अध्यापक नियुक्त हैं । लगातार वहां आर0 एस0एस0 की मीटिंग्स हो रही है । अध्यापक और लड़के आज भी चौक से लेकर पिथौरागढ़ की सड़कों पर नारे लिख रहे हैं । क्या वहां आपके कलेक्टर नहीं है, एस0पी0 नहीं है, खुफिया पुलिस नहीं है । सब हैं, लेकिन उनकी नाक के नीचे उस शिशु मंदिर के लोग यह सब कर रहे हैं जिसके खिलाफ वहां के विधायकों ने लगातार संघर्ष किया है और सरकार को सूचना देते आते हैं । कुछ नहीं हो रहा है । नौकरशाही बैठी है ।

इस इमरजेंसी के दौरान अल्मोड़ा में एक भयंकर घटना घटित हो गई । वहां के डी0 वाई0 एस0पी0 साहब जीप में बागेश्वर से लौट रहे थे । रास्ते में एक जगह पर जंगल की लकड़ी का लुढ़कान हो रहा था । कुछ दिन पूर्व ही कुछ सिपाही वहां की लकड़ी को जबरदस्ती अपनी ट्रक में भरकर काफी लकड़ी ले भी गये थे जबकि मजदूरों ने यह कहा था कि इससे उनकी मजदूरी का पैसा कट जायगा । डी0 वाई0एस0पी0 साहब की जीप में दो तीन सिपाही भी थे । उन्होंने लकड़ी को उठाकर अपनी जीप में लाद लिया । मजदूरों ने कहा कि इससे उनका पैसा कट जायगा और हम पर रहम कीजिये और अगर लकड़ी लेना है तो आप ठेकेदार से ले लें । जब वे नहीं माने तो मजदूरों ने जीप के आगे कुछ लक्कड़ रख दिये । इस पर क्रोधित होकर साहब ने अपनी पिस्तौल से 5 राउन्ड फायर किये जिससे कि दो मजदूर काफी घायल हो गये पर साहब उनको छोड़ कर चल दिये । रात को 3 बजे एक ट्रक उधर से जा रही थी जिसने उन घायल मजदूरों को उसमें बिठाकर अस्पताल पहुंचाया जहां पर उन दोनों मजदूरों की मृत्यु हो गई । कलेक्टर साहब की तरफ से बयान आया कि इन मजदूरों ने जीप को रोक रखा था और वे पुलिसवालों को मारने के लिये तैयार थे । डी0 एस0पी0 के कुंदे की दो एक चोटों के निशान मिले हैं । साथ के जो और मजदूर थे उनको जेल में बन्द कर दिया । जो मजदूर रिपोर्ट लिखाने गये उनको जेल में बन्द कर दिया गया । इसी तरह से पुरौला में जो मद्यनिषेद एरिया है । वहां पर कुछ सर्वोदय कार्यकर्ता सर्वोदय का कार्य करते हैं । वे वहां के एस0डी0 एम0 और एक्साइज इन्सपेक्टर के खिलाफ पत्र भी लिखा करते थे, जो आपके रेकार्ड में भी है । उन पर यह चार्ज लगा दिया कि उनके झोले से अफीम निकली है और इस चार्ज पर उनको बन्द कर दिया गया । जब इस अफीम के केस पर जमानत जज साहब के यहां से हो गई तो जैसे ही वे छूटे तो उन पर यह चार्ज लगा दिया कि उनके पास से पर्चे भी पाये गये हैं और डी0आई0आर0 में उनको बन्द कर दिया । इस नौकरशाही के युग में इस प्रकार से प्रजातंत्र और उसकी सुरक्षा का यह नमूना है ।

समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध शक्ति का इस्तेमाल करेगी तो पूरे प्रदेश की जनता आपका साथ देगी लेकिन इस एमरजेंसी का इस्तेमाल मजदूरों, गरीब जनता, न्याय प्रिय जनता, भोले भाले गरीब लोगों के खिलाफ होता है तो हम इसका विरोध करेंगे । जहां तक पर्वतीय क्षेत्र का संबंध है इस बारे में मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि पहली दफा वह योजना आयोग से इस बात को मनवा पाये हैं कि वहां की जनसंख्या के आधार पर केंद्रीय ग्रांट मिले जिस आधार पर अभी तक हिमांचल प्रदेश, नागालैन्ड, काश्मीर तथा अन्य हिमालियन स्टेट्स को मिलती आई है । लेकिन यह ग्रांट किस ढंग से वहां खर्च की जाय इस संबंध में विकास के बजट पर मैं अपने विचार प्रकट करूंगा, जो प्रश्न मैंने इस बहस के दौरान उठाये हैं, मुझे आशा है सरकार उन पर विचार करेगी और उत्तर देने की कृपा करेगी ।

श्री गोविन्द प्रसाद गैरोला (जिला टिहरी गढ़वाल)—

श्री भीखा लाल जो गलती से माधव प्रसाद जी की सीट पर उनकी [illegible] के लिये बैठ गये हैं अथवा उनकी हमदर्दी के लिये ?

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

आप भी आ जाइये । एक से दो हो जायेंगे ।

(हंसी)

श्री उपाध्यक्ष—

कोरम नहीं हैं ।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । साथ ही मैं कुछ अपने सुझाव भी देना चाहूंगा । आज हम ऐसे समय में यहां एकत्रित हुए हैं जब कि प्रधान मंत्री जी ने देश के आर्थिक विकास के लिये 20 सूत्रीय कार्यक्रम का आवाहन किया है और अनुशासन को कायम रखने के लिये आपातकालीन स्थिति की घोषणा की है । यह सही है कि इन सब बातों के बावजूद देश में जिस प्रगति से सुधार होना चाहिये था वह नहीं हो सका और उसमें बहुत कुछ कमियां हैं और जैसा कि सम्मानित सदस्य, श्री नेगी जी ने कहा यह सही है कि जब तक किसी कमजोर अंग का आर्थिक विकास नहीं हो सका तब तक देश का उत्थान कैसे हो सकता है ? चाहे वह सामाजिक हो या शिक्षा के क्षेत्र हों, उत्थान हो ही नहीं सकता है । यह सही है कि जितने हमारी सरकार ने सीलिंग और जमींदारी विनाश के कदम उठाये हैं वे उस प्रगति से नहीं बढ़ रहे हैं, जितने बढ़ने चाहिये थे । उसमें बड़ी भारी कमियां रही हैं । माननीय मुख्य मंत्री जी को इस संबंध में पहले भी अवगत कराया गया था वे जानते हैं कि जिस उत्साह के साथ सीलिंग की भूमि आगे नक्शा आना चाहिये था, वह नहीं आया है । मैं आपके सामने उदाहरण के तौर पर तराई क्षेत्र के बारे में आपके माध्यम से शासन के सामने कुछ बातें लाऊंगा । तराई में सीलिंग के नाम पर आज भी हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर कि राजनीतिक दबाव के कारण या प्रभाव के हथकन्डे होने के कारण उसमें सीलिंग नहीं हो पायी है । चाहे वह वन विभाग की भूमि के नाम से अलग की गयी हो या रेवेन्यू की जमीन हो । रेवेन्यू रिकार्ड तो इतना खराब है मैं समझता हूं कि सरकार कितनी ही इमरजेंसी लागू कर दे, कितने ही कानून बना दे, किन्तु इस विभाग के जो कर्मचारी हैं, उन्होंने जिस तरह से रेवेन्यू के कागजात रखे हैं और जिस तरह से वे कागजात रंगे हुए हैं, वे कर्मचारी अभी भी पकड़ में नहीं आ पायेंगे ।

आज आवश्यकता इस बात की है कि इस इमरजेंसी में आर्थिक विकास और 20 सूत्रीय कार्यक्रम में इनको सख्ती और मजबूती के साथ जब तक कार्य रूप में नहीं लिया जायेगा तब तक कोई कार्यक्रम या नीतियां लागू नहीं की जा सकती अन्यथा यह सब पब्लिसिटी मात्र ही रह जायेगा । मान्यवर, मैं उन क्षेत्रों का हवाला दूं जहां कि योजनाओं को और कार्यक्रमों को लागू करने के बारे में कदम उठाये गये हैं। आज हालत यह है कि कर्मचारियों की मिली-भगत से आम जनता को राहत नहीं मिल पा रही है । सरकार द्वारा जिला स्तर पर कमेटियां बनायी गई हैं किन्तु सीलिंग के संबंध में कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पायी है। इन कमेटियों में सीलिंग अधिकारी, रेवेन्यू के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी जब तक संयुक्त रूप से भाग नहीं लेंगे, कठोर कदम नहीं उठाये जायेंगे तब तक कोई कामयाबी नहीं मिल सकती है । वन विभाग ने भी पिछले बन्दोबस्त में रेवेन्यू की हजारों एकड़ जमीन ले ली है । कुछ जमीन वहां ऐसी है जिसको कि सामर्थ्यवान लोग हथियाये हुए हैं । शासन से आदेश जाते हैं कि नाजायज कब्जे हटाये जायं किन्तु कुछ नहीं हो पाता है । मैं समझता हूं कि कल मुख्य सचिव ने इस संबंध में एक मीटिंग बुलाई भी है । आज

[श्री इन्द्र लाल]

जरूरत इस बात की है कि भूमिहीन किसानों को, भूतपूर्व सैनिकों को, उनकी विधवाओं को राहत पहुंचाने के लिये जिला स्तर पर प्रभावशाली कदम उठाये जायं । प्लांटेशन के नाम पर जो हजारों एकड़ जमीन बंजर पड़ी हुई है उस पर पर्वतीय क्षेत्र के भूतपूर्व सैनिकों, हरिजनों और उनके परिवार वालों को ही टोंगिया पर काबिज किया जाय, उन लोगों की यह बहुत दिनों से मांग है । हजारों लाखों रुपया आज बजट का प्लांटेशन के नाम पर वन विभाग खर्च करता है । अगर इसमें भूमिहीन लोग जो भूतपूर्व सैनिक और भूमिहीन हैं, वे अगर प्लांटेशन अपने श्रम से लगाना चाहे तो इनको इजाजत वन विभाग नहीं देता है । इस बात के लिए मैं आपके माध्यम से वन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जहां हमारा लाखों रुपया वृक्षारोपण, विकास के काम में खर्च हो रहा है वहां अगर वगैर खर्च के प्लांटेशन लगाया जाय, श्रम के रूप में जो भूमिहीन लगाना चाहे तो उसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

जहां तक सीलिंग की बात है अभी तक सीलिंग की सही भूमि के नक्शे तैयार नहीं हुए हैं । इसके लिये निवेदन करूंगा कि जिला स्तर पर सरकारी और गैर सरकारी सदस्यों की कमेटी बनायें और टाईम फिक्स कर दें कि अमुक समय में सही सीलिंग भूमि के कागज तैयार किये जायं ।

अब रही मान्यवर, पिछड़ी जाति और पिछड़े क्षेत्र की बात । जहां तक उनके विकास का सवाल है वहां पर सड़कों का सवाल है तथा सिंचाई या दूसरी योजनाओं का सवाल है, उनके लिये वास्तविक रूप से योजनाओं पर खर्च नहीं किया जायेगा तब तक उनका विकास नहीं हो पायेगा । उदाहरण में एक जिला सिंचाई कमेटी बनी हुई है लेकिन उसके कोई ठोस परिणाम नहीं निकल पाये हैं । इसके लिये यह कर दिया जाय कि कितने दिन के अन्दर कमेटी की बैठक आवश्य होनी चाहिये ।

इस तरह से मैं मान्यवर, विद्युत विभाग के बारे में कहना चाहता हूं । इसी तरह से और भी निगम बने हैं । लेकिन केवल निगम बना देने से ही काम पूरा नहीं हो जाता है । खाली निगम बना देने से डिमोक्रेसी जो है वह ब्यूरोक्रेसी में परिणत होने जा रही है । प्रजातंत्र का ढांचा आफिसरों के हाथ में चला जाता है । मैं नहीं समझता कि ये जो तमाम निगम बनाये हैं, विद्युत निगम, जल निगम या दूसरे निगम हैं उनमें जन प्रतिनिधि न होने की वजह से वह मनमानें तरीके से काम करते हैं । इससे जनता का हित नहीं होगा । मेरी कहने की मंशा यह है कि आज जो कुछ भी सरकार करें उसमें जब तक जनप्रतिनिधि नहीं होंगे तब तक जनता की भलाई नहीं हो पायेगी ।

जहां तक मान्यवर, शिक्षा का प्रश्न है देहाती क्षेत्र में जैसा कि नेगी जी ने कहा शिक्षा की इतनी दुर्दशा हो गई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता है । जो बेसिक शिक्षा है उसके अधिकारी अलग नियुक्त कर दिये गये हैं और जो जूनियर या हायर सेकेंडरी शिक्षा है उसके अधिकारी अलग नियुक्त कर दिये गये हैं । नाम के कागजों पर तो अवश्य विकास हो रहा है लेकिन वास्तव में शिक्षा का विकास नहीं हो रहा है । बच्चों की परेशानियां बढ़ गई है । कहीं पर तो बिल्डिंग नहीं है और कहीं पर बैठने की जगह नहीं है । इसके लिये निवेदन है कि शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिये सुचारुरूप से व्यवस्था की जाय । कल ही माननीय शिक्षा मंत्री जी ने एक मंडलीय मीटिंग बुलाई थी उसमें सभी साथियों की राय थी और निर्णय लिया कि उन स्कूलों को प्राथमिकता दी जाय जिनके पास अपनी कोई बिल्डिंग नहीं है । जब तक बच्चों को शिक्षा की उचित सामग्री नहीं दी जायेगी तब तक शिक्षा का उत्थान नहीं हो सकता है ।

जहां तक कानून और व्यवस्था का सवाल है वह भी जितना हमारा विकास बढ़ रहा है उसके साथ-साथ कानून और व्यवस्था की समस्या भी जटिल होती जा रही है । यह बात सही है कि इस एमरजेंसी में बातें तो कई देखने और सुनने को मिलीं । आज भी एमरजेंसी

में शासन को सुझाव दूंगा कि यह रहनी चाहिये, लेकिन जिस उद्देश्य से लगाई गई है, वह पूरे का पूरा कार्यक्रम में परिणित नहीं हो पाया, जैसे अभी शिशु शिक्षा संस्थान का जिक्र आया, उसी तरीके से आज भी जिला स्तर पर और दूसरे स्थानों पर ऐसे एम्पलाइज हैं, जो डी0 आई0आर0 के नाम से घबड़ाकर चुप बैठे हैं, लेकिन आज भी उनकी नीयत साफ नहीं है । इसके लिये जरूरत इस बात की है कि कम से कम सरकार और यहां के उच्चाधिकारी बड़े सतर्क होकर ऐसे लोगों पर कठोर कार्यवाही करें। यह नहीं कि डी0 आई0 आर0 की व्यवस्था पुलिस कांस्टेबिल या पेशकार पर छोड़ दिया जाए और जिसे पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिये, वह न हो । इससे एमरजेंसी के कोई माने नहीं रह जाते हैं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र खटीमा एक पिछड़ा क्षेत्र है? पिछड़ा क्षेत्र हीं नहीं पिछड़ा वर्ग भी हजारों में रहता है। उसको हम सबल बनाने जा रहे हैं। जहां लाखों रुपये जीपों की खरीद के लिये और दूसरी चीजें देने के लिये रखे गये हैं, वहां एक सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, खटीमा के पास जीप का कोई प्रबन्ध नहीं है जिसे देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। साथ ही तराई के क्षेत्र में बढती हुई आबादी और जुर्मों को देखते हुए भी शासन ने एकोनामी का नाम लेकर कुछ पुलिस अफसरों और दूसरे अधिकारियों के लिए पेट्रोल के खर्च पर कुछ प्रतिबन्ध लगा दिया है। लेकिन यह बात समझ में नहीं आती है कि जबकि संगीन जुर्म हो रहे हों, इस प्रकार का कोई प्रतिबन्ध लगा दिया जाय कैसे व्यवस्था रहेगी पेट्रोल पर प्रतिबन्ध लगा देना कोई औचित्य की बात नहीं होगी। आज शासन के कई विभाग खुले हैं, शासन का खर्च ऐसे ही विभागों से बढ़ा है, जिनकी कोई वास्तव में अवश्यकता नहीं है। कुछ योजनाओं के डिपार्टमेंट एबालिश हो गये हैं, लेकिन उनकी गाड़ियां आज भी जिला स्तर पर खाली पड़ी हुई हैं । काफी समय तक व्यवस्था न होने से उनके टायर, इंजन वगैरह आवश्यक सामान गुम हो जाता है और जिला स्तर से शासन को उनके आक्शन कर देने की रिपोर्ट आने पर वह वर्षों तक अनुमति यहां से नहीं मिलती है, जिससे हजारों रुपये की सम्पत्ति नष्ट होती है। इसलिए जो भी पालिसी, कायदे कानून सरकार के बने हैं, उनको बड़े विवेक के साथ तैयार कर तुरन्त कार्यवाही हो, तो कुछ अच्छा कार्य हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री विमल प्रसाद तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । इस बजट में वह दिशा इंगित है, जिस ओर प्रदेश को सरकार ले जाना चाहती है । पिछला वर्ष बड़ी तकलीफ और परेशानियों का वर्ष रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से मुद्रास्फीति की भी एक समस्या थी जिससे प्रदेश ही नहीं सारा क्षेत्र पीड़ित था। कीमत भी इस कदर बढ़ रही थी कि सामान्य नागरिक का जीवन कष्टमय बना हुआ था । तो, इस बार जब यह बजट हमारे सामने आया तो कम से कम आम आदमी ने, आम नागरिक ने, इस बारे में राहत की सांस ली कि कोई ऐसा कर भार भी नहीं आया जो गरीब और कमजोर लोगों पर होता और जो मूल्यों का सूचकांक है, उसमें भी गिरावट है । जो सूचकांक 433.60 था, 60-61 में 100 का आधार मानकर जनवरी, 1976 में यह घटकर 270.7 था । औद्योगिक सूचकांक 408 था, जनवरी, 76 में कम होकर 303.8 हो गया । यह भी सही बात है कि प्रदेश की प्रगति के लिए यह आवश्यक है सिंचाई और विद्युत के विकास के लिए कारगर कदम उठाये जाये जिनका संकेत इस बजट में किया गया है । पूरी आशा इस बात की है कि आगामी वर्ष में विद्युत और कृषि के क्षेत्र में क्रांतिकारी उपलब्धियां इस प्रदेश में हासिल होंगी । एक बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे अवसर पर जब सिंचाई के ऊपर इतना महत्व दिया जा रहा हो तब यह सरकार को ध्यान रखना चाहिये कि जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिंचाई सुविधा बिल्कुल उपलब्ध नहीं है, वहां पर सिंचाई सुविधायें उपलब्ध हों । मैं ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां पर एक भी राजकीय सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है । फर्रुखाबाद जिले के राजेपुर ब्लाक में वैसे ही गरीब लोग हैं, आजादी के 29 सालों बाद भी वहां पर एक भी राजकीय सिंचाई की सुविधा नहीं है । वहां के बड़े विशेषज्ञों का कहना है कि वहां पर लिफ्ट इरीगेशन स्कीम कम खर्च में लग सकती है ।

[श्री विमल प्रसाद तिवारी]—

शिक्षा संस्थाओं के बारे में कहा गया। शिक्षा के क्षेत्र में काफी प्रगति होने वाली है। माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हुए थे। जैसा कि कहा गया कि इस प्रदेश में कुछ शिक्षण संस्थाएं एसी बनी हुई हैं जो इस देश के लोकतंत्र को नष्ट करना चाहती थीं। यह तो सही बात है कि सरकार ने एक दृढ़ कदम उठा कर जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ शिशु मंदिर चला रहे हैं। उन गढ़ों को समाप्त किया। लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक संस्थायें हैं जो अपने यहां से परचे निकालते हैं जहां पुलिस ने और एस0 डी0 एम0 ने छापे मारे, तब वहां पर साइक्लोस्टाइल्ड किये हुए कागज भी बरामद हुए। लगता यह है कि इस प्रकार की सारी शिक्षण संस्थायें प्रतिक्रियावादी ताकतों को शक्ति दे रही हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी पुलिस की रिपोर्ट, इंटेलीजेंस की रिपोर्ट देख लें। जो शिक्षण संस्थायें प्रतिक्रियावादी ताकतों के अड्डे हैं उन सबको एकदम सरकार को अधिग्रहण कर लेना चाहिये जिस प्रकार से शिशु शिक्षण संस्थाओं को किया। इस प्रदेश में कुछ शिक्षण संस्थायें ऐसी भी हैं जो तोड़-फोड़ की राजनीति का काम कर रही हैं। तो मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की जितनी शिक्षण संस्थायें है उनको अविलम्ब सरकार को अधिग्रहण कर लेना चाहिये इसके साथ ही साथ 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो दिशा दी है और उसको लेकर प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश सरकार कर रही है16 लाख एकड़ जमीन भूमिहीनों और खेतिहर मजदूरों के बीच मे वितरित की गयी है। लेकिन उसमें कुछ कमियां भी है जो भूमि चोर है उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, जिससे जो गरीब है उनका हक मारे बैठे हैं। वह उसका फायदा न उठाने पावे। हमारे क्षेत्र से अम्मापुर ग्राम सभा के 15 एकड़ जमीन स्कूल के नाम पर ले ली गयी और वहां के अध्यक्ष ने उसका स्थानान्तरण अपनी साली, भतीजी और अपनी रिश्तेदार के नाम कर दिया है। इस सम्बन्ध मे शिकायतें हुई लेकिन हुआ यह है कि उन शिकायतों के होते हुए भी दाखिल खारिज उनके नाम कर दिया गया है और कहा गया कि वह विद्यालय कृषि में मान्यता प्राप्त है और जब कि वह मान्यता प्राप्त नहीं है और उसको भूमि स्थानान्तरित नहीं हो सकती थी। तो ऐसी चीजों पर सख्ती से कार्यवाही होनी चाहिये जिससे लोग डरने लगे और गरीब लोगों के हक को दबावे नहीं। एक निवेदन मैं और कर देना चाहता हूं कि कि कुटीर उद्योगों पर और लघु उद्योगों पर बजट में बहुत बल दिया गया है प्लानिंग कमीशन भी यह चाहता है मान्यवर, फर्रुखाबाद में एक लघु उद्योग हाथ कपड़ा छपाई का है जिसकी सारे देश में ख्याति है और 3 करोड़ की विदेशी मुद्रा को अर्जित करता है, उसकी दशा ऐसी हो रही है कि कन्द्रीय सरकार ने एक्साइज शुल्क लगा दिया है जिससे सारा उद्योग का काम बन्द हो गया है। मजदूर बेकार हो गये हैं। 30 दिन से लगभग 10 हजार आदमी बेकार घूम रहे हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से इस बात की कहना चाहता हूं और मुझे बताया गया है कि वह दिल्ली जाने वाले हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी से मेरा कहना यह है कि एक यह अविलम्ब लोक महत्व का प्रश्न है। यदि यह शुल्क लगा तो यह उद्योग समाप्त हो जायेगा और काफी लोग बकार हो जायेंगे।

मान्यवर, खाद और रसद विभाग में स्ट्रीम लाइन करने की दिशा की गयी है। उसकी सराहना होनी चाहिये। मान्यवर, फर्रुखाबाद जिले में 2-3 साल पहले यह व्यवस्था चलाई गयी थी कि ग्राम सभा स्तर पर शकर का कोटा हो और जो न्याय पंचायत स्तर पर कोटा था उसको समाप्त कर दिया गया। अब हालत ऐसी हो रही है जैसी दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से दिल्ली। जब कोटा ग्राम सभा स्तर पर था तो लोगों को कुछ न कुछ शकर मिल ही जाती थी और यह व्यवस्था अच्छी चल रही थी, लेकिन जो भ्रष्टाचारी थे, उनको परेशानी हो रही थी। पिछले 6 महीने में एक फैसला हुआ कि शकर का कोटा फिर न्याय पंचायत स्तर पर ही होंगे तो मैंने माननीय खाद्य मंत्री जी से बात की कि फर्रुखाबाद जिले में वही व्यवस्था कायम रखी जाये और उन्होंने इस अनुरोध को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन पुनः आर्डर हो गये हैं कि न्याय पंचायत स्तर पर कोटा होगा। मेरा निवेदन है कि जो पहली व्यागस्था ग्राम सभा स्तर पर कोटा की थी, उसको कायम रखा जाये।

मान्यवर, सेल्स टैक्स के रेशनलाइजेशन के लिए भी हमारे वित्त मंत्री जी ने काफी प्रयास किया है लेकिन हाथ से बनने वाले पीतल के जो बर्तन हैं, जो कुटीर उद्योग में आते हैं और जिसमें काफी लोग लगे हुए हैं, इन बर्तनों पर सेल्सटैक्स लग जाने के कारण काफी लोग बेकार हो गये हैं इससे सरकार को भी कोई विशेष राजस्व प्राप्त नहीं हो पाता है। तो मेरी प्रार्थना है कि जिस प्रकार से अन्य हाथ से बनाई हुई वस्तुओं पर सेल्स टैक्स नहीं लगाया गया है, उसी प्रकार के पीतल के हाथ से बनने वाले बर्तनों पर भी न लगाया जाय।

सरकार ने वृद्धों और निराश्रित विधवाओं को पेंशन देने के लिये जिलाधिकारियों को जो अधिकार दिये गये हैं वह सराहनीय है परन्तु अब भी इसमें काफी समय लगता है। समाज के सबसे कमजोर वर्ग के कल्याण के लिये यह काम है। मेरी प्रार्थना है कि जिलाधिकारियों को आप यह आदेश देने की कृपा करें कि प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के उपरान्त एक निश्चित अवधि में उनको तय कर दिया जाय, चाहे उन्हें स्वीकृत किया जाय या अस्वीकृत। इसके लिये 2-3 महीने का समय पर्याप्त होगा। मैंने समाज के इन गरीब और कमजोर लोगों को बड़ा परेशान होते देखा है, कभी वे जिलाधिकारियों के पास दौड़ते हैं, कभी तहसीलों में दौड़ते फिरते हैं। यह सरकार का कदम जनहित में होगा।

सरकार ने हरिजनों को और बुनकरों को कर्ज देने की जो व्यवस्था संस्थागत वित्तीय संस्थाओं के द्वारा की है, वह बहुत ही सराहनीय है। सरकार ने जगह-जगह पर लीड बैंक्स भी बनाये हैं जो इस बात की व्यवस्था करते हैं कि इन लोगों को कर्ज मिल सके लकिन जो कमजोर वर्ग के लोग हैं, जिनके पास पैसा नहीं होता है, जिसकी ताकत पर वे कर्ज ले सकें, वे कर्ज नहीं ले पाते हैं क्योंकि वहां के कर्मचारी लाल फीताशाही से उसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं जैसा कि पहले किया करते थे। कभी-कभी तो ऐसा भी होता है कि प्रार्थना-पत्र देने के 6-6 महीन बाद भी ये लोग कर्ज नहीं ले पाते हैं। जिस प्रकार से बड़े-बड़े लोग अपने असर के कारण 7-8 दिन में कर्जा ले लेते हैं, उसी प्रकार से इन बुनकरों, हरिजनों और समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को मिलना चाहिये। सरकार की ओर से इन लीड बक्स को निश्चित अवधि में स्वीकार या अस्वीकार कर देने का आदेश होना चाहिय। आज सरकार की जो मंशा है, वह अधीनस्थ कर्मचारियों के काम करने के तरीके से पूरी नहीं हो पाती है और उससे कोई लाभ भी उन लोगों को नहीं मिल पाता है।

यह भी देखने में आया है कि शहरी क्षेत्रों में नगर पालिकाओं की जो जमीन पड़ी हुई है, नजूल की, उस पर बड़े-बड़े लोग मेम्बरों से मिल मिलाकर थोड़े से पैसों से ले लेते हैं। तो मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस पर विचार करें और जो इस प्रकार की नगरपालिकाओं की जमीन है, उसे हरिजनों में सस्ते दामों पर वितरित कर दें ताकि उसे बड़े लोगों के चंगुल से बचाया जा सके और हरिजन आवास के लिये शहरी क्षेत्र में भूमि पा सकें।

मान्यवर, फर्रुखाबाद में बुनकरों द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता है उससे लगभग 3 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। वस्त्र उद्योग निदेशालय, कानपुर की हथकरघे के लिए जो योजना है। गुण चिन्हांकन की उसमें बुनकरों द्वारा जो कपड़ा बनाया जाता है उस पर लेवी ली जाती है। यह एक एसा भार है उन गरीब बुनकरों पर जिसे देना उनके लिये बहुत मुश्किल है। इस लेवी से बहुत बड़ी धनराशि भी नहीं आती है। माननीया मंत्री जी बड़ा उपकार करेंगी और एक श्रेय भी लेंगी अगर इस लेवी से उन गरीब बुनकरों को मुक्त कर दें।

इसी तरह से एक्सपोर्ट आइटम्स के बारे में माननीया उद्योग मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि 63-64 से लेकर 70-71 तक उनका गुण चिन्हांकन निदेशालय, कानपुर द्वारा ही होता था। इसमें उन लोगों को सहूलियत रहती थी क्योंकि फौरन जांच पड़ताल हो ही जाती थी और समय पर माल बाहर भेज दिया जाता था। 70-71 के बाद से यह

[श्री विमल प्रसाद तिवारी]

स्कीम खत्म कर देने की वजह से एक्सपोर्ट करने वालों को बड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि एक्सपोर्ट आइटम्स का इनटाइम शिपमेंट होना बहुत जरूरी होता है। नयी स्कीम के मातहत अफसरों के आने में देर होती है जिससे उनको बड़ी दिक्कत होती है। इसलिये माननीया मंत्री जी कानपुर निदशालय द्वारा ही उनका गुण चिन्हांकन कराने की व्यवस्था कर दें, तो बहुत अच्छा हो।

एक बात और कहना चाहूंगा कि इस बजट में व्यवस्था इस बात की की गयी है कि पुलिस की कार्यक्षमता बढ़ायी जाय और उसके लिये पुलिस स्टेशन्स पर वायरलेस सेट्स और तरह-तरह की उपयोगिता बढ़ाने के लिये कारगर कदम उठाये गये। इस संबंध में मैं एक सुझाव देना चाहूंगा कि होम गार्ड्स भी एक ऐसा फोर्स है जो बहुत वक्तों पर सरकार और पुलिस के कामों में सहायता करता है। कल एक सवाल के जवाब में मुख्य मंत्री जी ने बताया था कि जब वह ड्यूटी पर बुलाये जाते हैं तो उनको केवल 4 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। साल में एक महीने के लिये तो वह बुलाये जाते हैं। यह 4 रुपया बहुत कम है। इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी विचार करने की कृपा करें कि जो इतनी तत्परता से सेवा के लिये आगे आये हैं कम से कम जब वह ड्यूटी पर बुलाये जायं तो उनको इतना भत्ता तो मिलना ही चाहिये, जो मुनासिब हो। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

सदन की कार्यवाही समय से पूर्व स्थगित करने का प्रस्ताव

शिक्षा मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)--

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि आज 4 बजे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि आज 4 बजे के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1976-77 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा--(क्रमागत)

श्री राजेंद्र कुमार गर्ग (जिला सहारनपुर)--

मैं आपके माध्यम से माननीय नारायणदत्त तिवारी को जो इस सदन में मौजूद नहीं हैं और जो नय जनतंत्र के नये रूप को इस नये बजट में पेश करके उत्तर प्रदेश और भारत की जनता को एक नयी दिशा दे रहे हैं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। बजट तो वह हर साल पेश करत आये हैं लेकिन मुख्यमंत्री के रूप में बजट पेश करने का यह पहला मौका था। मुनासिब होता कि इस रूप में मुख्य मंत्री क तरीक स बैठ कर वह हम लोगों की बात सुनते और इस बात पर भी विचार करते कि आज नेता विरोधी दल यहां मौजूद नहीं ह। उनकी पार्टी भी मौजूद नहीं है, उनके बहुत से साथी जेलों में हैं, इसलिये उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गयी है कि वह अपनी पार्टी को, अपने साथियों को और अपने पीछे इस 10 करोड़ जनता को देश की जिम्मेदारी निभाने के लिये खड़ा करते। इस बजट में सही कहा गया है "कि आपातकालीन स्थिति है, देश को गम्भीर चुनौतियों का सामना करना है उसका सामना करने के लिय नये तरीके से तैयार होना होगा।" लेकिन हम इस बजट को बना कर किन को तैयार कर रहे हैं? इसका कुछ पता इस बजट से नहीं चलता। जो लोग सत्ता में हैं वे केवल 32 प्रतिशत वोट लेकर आये हैं। हम लोगों को 4 प्रतिशत वोट मिले ह। कुल मिला कर यहां 36 प्रतिशत वोट प्राप्त करने वाले बैठे हैं। आज 64 फीसदी जनता के प्रतिनिधि

इस प्रजातंत्र का हनन करने के लिये इस सदन के बाहर साजिशें कर रहे हैं। प्रजातंत्र के हनन की बुनियाद इस सदन के सामने और सड़क पर डाली गयी जिसमें माननीय नेता विरोधी दल सबसे आगे थे। आज भी वे इस सदन का बहिष्कार किये हुए हैं। ऐसा करके वे एक नयी मर्यादा डाल रहे हैं। आज वे यह भी नहीं कहना चाहते कि किन बातों का वे समर्थन कर रहे हैं और किनका विरोध कर रहे हैं। ऐसी हालत में हमारी जिम्मेदारी, मेरे दोस्तों की जिम्मेदारी और माननीय मुख्य मंत्री की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और देश की प्रधान मंत्री को गम्भीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

अखबारों में आज आया है कि हिन्दुस्तान का संविधान बदला जायेगा। अब बहस इस बात पर होगी कि इन चुने हुए सदस्यों की जिम्मेदारी घटाई जायेगी, या बढ़ाई जायगी, न्यायपालिका के अधिकार कम किये जायेंगे या बढ़ाये जायेंगे, नौकरशाही के अधिकारों पर अंकुश रहेगा या नहीं? प्रधान मंत्री की तरफ से यह बयान आया है कि जो तब्दीली व करना चाहती हैं, उस पर मुख्य मंत्रियों की राय लेंगी। मैं चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्री जी इस सदन की राय जानने के बाद अपनी राय दें ताकि इस प्रदेश की 10 करोड़ जनता अपने चुन हुए प्रतिनिधियों द्वारा अपनी बात को कह सकें। हम देश की आजादी की रक्षा कर सकें। समाजवाद को पूरा करने की ओर बढ़ सकें।

आज, जो आंकड़े हमारे सामने पेश किये गये हैं उनके आधार पर न्यायपालिका के अधिकारों पर अंकुश लगाने की जरूरत है। आज कोल्ड स्टोरेज वाले बिल पर चर्चा के समय माननीय मंत्री जी ने बताया कि उन्होंने जो रूल्स बनाये, पाबंदियां लगायीं, न्यायपालिका ने उनको रद्द कर दिया। जब आपने 100 गज जमीन देने की बात की, तो हजारों पिटीशन्स हाई कोर्ट में दाखिल हो गये और स्टे आर्डर ले आये।

आपके भूतपूर्व सिंचाई मंत्री ने मुझे बतलाया कि एक नहर है जो इधर भी तैयार है और उधर भी तैयार है लेकिन बीच में एक प्लाट के मालिक ने न्यायपालिका से स्टे आर्डर हासिल कर लिया है जिससे उसमें पानी नहीं छोड़ा जा सका। इस तरह से करोड़ों रुपये की नहर बेकार पड़ी है। उस स्टेआर्डर के आधार पर उस नहर को नहीं चलाया जा सकता है। तो आज जब कि हम बजट बनाने जा रहे हैं और पूरे तरीके से बनाने जा रहे हैं तो अगर हम उन कामों का सामना करने के लिये तैयारी नहीं करते और उसके लिये आधार नहीं पेश करते तो अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभायेंगे और जब तक हमको उसके लिये कोई रास्ता नहीं बतलायेंगे तब तक कोई कैसे उस जिम्मेदारी को ले सकेगा? मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन के सामने आवें और कहें कि हम आपकी राय जानना चाहते हैं कि न्यायपालिका के अधिकारों में क्या संशोधन होना चाहिये और एक्जीक्यूटिव का अधिकार किस हद तक बढ़ाया जाना चाहिये। जब वे आवें तो आंकड़े लेकर आवें कि सरकार जनता के हित में क्या करना चाहती है और क्या रुकावटें अदालतों में पेश आयीं और किन रुकावटों को दूर करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आज आप बहुत से काम करना चाहते हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे एक अंधा अंधेरे में लाठी टेक टेककर चल रहा है। मैं आपसे अर्ज करूं इस बजट में एक बात बहुत धीमें से कही गयी है। इसमें यह कहा गया है कि इस वर्ष बिजली का उत्पादन बढ़कर सन् 77 में 2800 मेगावाट हो जायेगा, 1500 मेगावाट से बढ़कर। मेरे क्षेत्र हरिद्वार में सार्वजनिक क्षेत्र में एक कारखाना लगा हुआ है। वहां 6 टर्बाइन बनाने की बात गत साल थी। एक टर्बाइन में 250 मेगावाट की बनती है। लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस साल 6 के बदले 12 टर्बाइन बनने जा रहे हैं और 12 टर्बाइन बन जायेंगे तो 3 हजार मेगावाट बिजली कमीशनरी हरिद्वार क्षेत्र में तैयार होगी। हम जानना चाहते हैं कि 1500 मेगावाट के स्थान पर जब 2800 मेगावाट बिजली पैदा होने लगेगी तो क्या प्रदेश का नक्शा वही रहेगा, जैसा कि दो हजार वर्ष पहले से चला आ रहा है? बदल जायेगा लेकिन बिजली कहां जायेगी? उद्योग कितने बनेंगे, बिजली कितनी बढ़ेगी

[श्री राजेन्द्रकुमार गर्ग]

अगर बिजली दुगनी बढ़ती है तो क्या आपकी आर्थिक शक्ति दुगनी बढ़ सकेगी या नहीं बढ़ सकेगी ?

एक सदस्य ...

बढ़ेगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग --

कैसे बढ़ेगी यह नहीं बतलाया ।

दूसरी बात यह कि इस सरकार ने 60 करोड़ रुपये चीनी मिल मालिकों का अनुदान के रूप में देने का एलान किया। श्री शाहनवाज खां साहब दिल्ली से तशरीफ लाये और उन्होंने कहा इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने जहां बाम्बे कांग्रेस अधिवेशन में चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात की थी और पूरे कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था और जब-जब पार्लियामेंट में यह बात आयी, और जब-जब इस सदन में उत्तर प्रदेश के चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात आयी, तो उस पर चुप्पी साध ली गयी। केन्द्र के कृषि मंत्री यहां आकर एलान करते हैं कि चीनी मिलों का 60-70 करोड़ रुपया दे दिया जायेगा उनके मशीनों के आधुनिकीकरण के नाम पर। हमारे मित्र कांग्रेस दल के सदस्य रोजाना यह मांग करते थे कि उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण हो। क्या वे चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण की बात को भूल गये ? 60-70 करोड़ रुपये तो आप चीनी मिलों के आधुनिकीकरण के नाम पर दे रहे हैं कि इससे चीनी की पैदावार बढ़ सकेगी लेकिन फिर भी आप यह गारंटी देने के लिये तैयार नहीं हैं कि काश्तकारों को उनके गन्ने का दाम कानून के मुताबिक 15 दिन के अन्दर मिल जायेगा ।

20-22 करोड़ रुपये का बकाया रहता है 2, 3 वर्ष तक, बकाया इस साल का क्या हुआ? इस साल तो आपन जब गन्ने का दाम तय किया तो 2 महीने बीत चुके थे। फसल आये हुये दो महीने हो गये थे। आपको यह फुरसत नहीं थी कि आप तय करें कि गन्ने का दाम क्या हो और गन्ने के काश्तकारों ने परेशान होकर 6.6 प्रति क्विंटल के हिसाब से गन्ना बेचा। आपका कोई नियंत्रण नहीं था। एक क्विंटल का भाव मिला पर 2·3 क्विंटल गन्ना तौला जाता है। माननीय कृषि मंत्री किसानों के बड़े मित्र हैं। चौधरी साहब से लड़ गये थे कि चीनी मिलों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये। लेकिन मैं कल के टाइम्स आफ इंडिया का हवाला देकर आपसे कहना चाहता हूं कि उनको किसानों से कहना पड़ता है कि आज तेरी फसल के दाम गिर गए हैं लेकिन तेरी जरूरत के सामानों के दाम नहीं गिरे हैं और छः महीने बाद बिहारी जी कहते हैं कि इन चीजों के दाम गिरेंगे। मैं यकीन दिलाना चाहता हूं कि आप कभी नहीं गिरा सकेंगे ।

एक सदस्य ...

कार के दाम कम हो गये, टेलीविजन के दाम कम हो गये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग ...

खाद के दाम नहीं गिरेंगे। मैं यह अर्ज कर रहा था कि आपकी क्या नीति है जिसके आधार पर आप जनता के सामने जो चुनौतियां हैं उनको लेकर खड़े होना चाहते है ? काश्तकार यह महसूस करता है कि उसकी फसल के दाम गिरते हैं लेकिन उसकी जरूरत की चीजों के दाम नहीं गिरते हैं। कपड़े का दाम नहीं गिरा। कपड़ा गोदामों में बंद है। खाद के दाम नहीं गिरे। माननीय अध्यक्ष जी, काशीनाथ जी को जल्दी से मंत्री बना दिया जाय ताकि सरकारी तरफ से यह बात जवाब दे सकें। हम दुआ मांगते है कि ये जल्दी से मंत्री बना दिये जांय और जितनी जिम्मेदारी के साथ आज जवाब दे रहे हैं। उतनी जिम्मेदारी से मंत्री होकर जवाब दें। मान्यवर, यह जानते हैं कि यह चीजें होने वाली नहीं हैं। आज यह बात बिल्कुल साफ है, मजदूरों के बारे में जिसके बारे में प्रधान मंत्री ने चंडीगढ़ में कहा था कि मजदूरों ने हमारा साथ दिया है, उत्पादन बढ़ाया है। वह मजदूर जो भूखा नंगा है जिसके पेट में रोटी नहीं

तन पर कपड़ा नहीं, उसने साथ दिया। लेकिन वह लोग जिन्होंने एक-एक लाख रुपये की ईख बेची वह कहते थे कि सरकार को बैलेट से नहीं बदल सके तो बुलेट से बदलेंगे। लेकिन आपका कर्तव्य हो जाता है, आपका कर्तव्य था कि 20 सूत्री कार्यक्रम जिसका प्रधान मंत्री ने एलान किया है, आप समझ लें और समझने के बाद समझा दें और समझाने के बाद उसको लागू करें। लेकिन अफसोस है कि कल 'टाईम्स आफ इंडिया' में निकला, सुंदर तस्वीर भी है तिवारी जी की लेकिन मुख्यमंत्री जी जो 10 करोड़ जनता के मुख्य मंत्री हैं उनका एक शब्द भी नहीं निकला है 20 सूत्री कार्यक्रम लागू होगा या 4 सूत्री कार्यक्रम लागू होगा।

कई सदस्य--

दोनों लागू होंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग--

और माननीय मुख्यमंत्री जी यहां पर मौजूद भी नहीं रह सकते हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में लखनऊ की मीटिंग में नहीं कहा जायगा, मुजफ्फरनगर की मीटिंग में नहीं कहा जायगा, बड़ौत की मीटिंग में नहीं कहा जायगा, मंत्री चुप रहेंगे, सदस्य चुप रहेंगे तो क्या प्रधान मंत्री इसको लागू करने के लिये दिल्ली से आयेंगी? मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू करना क्या आसान है? क्या आप हदबंदी कानून को लागू किये बगैर जनता को ऊपर उठा पायेंगे? क्या जनता उठेगी। इस बात पर कि अगर 2 बच्चे के बजाय 3 बच्चे पैदा करें तो जेलखाने में जायेंगे। कहा जाता है कि हमको दक्षिण पन्थी और बामपंथी नहीं चाहिये तो आपको जय प्रकाश जी से क्या एतराज है? वह कहते थे कि हम सी0 पी0 एम0 को साथ लेंगे, जनसंघ को भी साथ नहीं लेंगे और आर0 एस0 एस0 को भी साथ लेंगे और संपूर्ण क्रांति लायेंगे। वह सबके सब जेलखाने में हैं और जब यह छूट कर आये हैं तो सदन के बाहर हैं। जब आपका काम और लोगों ने संभाल लिया तो आपको यहां आने की जरूरत क्या है? इसलिये गुजारिश करूंगा कि आप सोंचे। प्रधान मंत्री ने चंडीगढ़ से आह्वान किया है कि हमको समाजवाद लाना होगा लेकिन समाजवाद लायेगा कौन? उसको वह मजदूर लायेगा, जिसको जेलखाने में डाला है। जेल में जाना और भजना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन यह बुरी बात है कि 10 हजार मजदूरों को जिन्होंने 12 टरबाईन आपको दी। मुझसे पूछा कि आप यह बतायें कि क्या आपको मीटिंग करते हुए गिरफ्तार किया।

आपके मजिस्ट्रेट और डी0एस0पी0 ने पेट्रोल पम्प पर पकड़ लिया। उसके बाद उनको कोई जिम्मेदारी महसूस नहीं की कि कल फैक्ट्री चलेगी या नहीं, मजदूरों तो फैक्ट्री में उत्पादन इसलिये बढ़ा रहे थे कि गरीब के घर जहां तेल की डिबिया जलती थी वहां वे बिजली पहुंचायेंगे। किन्तु बहुत से ऐसे एजेन्ट मौजूद होंगे जो कारखाने बन्द कराना चाहते हैं। इसलिये मैंने गिरफ्तारी के बाद मजिस्ट्रेट से कहा और इसलिए मजिस्ट्रेट ने मुझको मौका दिया कि मैं गिरफ्तारी के बाद एक लिखित बयान दूं कि मेरी गिरफ्तारी के बावजूद कारखाना चलता रहेगा और उसके बाद मुझ पर आरोप लगाया गया कि हम चाहते हैं कि इंदिराशाही नहीं चलेगी। यह आरोप पुलिस ने लगाया। वह आपकी राजनीति तो जानते नहीं है। उन्होंने कहा मुझको आदेश मिला कि आपको डी0आई0 आर0 में पकड़ा जाय। हवस-5 रोज जिला जज के सामने हुई। उन्होंने कहा कि डी0 आई0 आर0 में इसलिये रखा जाय कि हमने कहा कि इंदिराशाही नहीं चलेगी। आज वह लोग इमरजेन्सी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको यह नहीं मालूम कि कम्युनिस्ट पार्टी क्या चाहती है? जनसंघ क्या चाहती है और खुद कांग्रेस क्या चाहती है? दरोगा साहब कह रहे थे कि मुझसे तो अत्याचार कराये जा रहे हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम को सफल होने के लिये हम मदद करते हैं तो जेलखाने में जाना जरूरी है।

शाहनवाज खां कृषिमंत्री का फार्म इतना बड़ा है कि वह पैदल नहीं चल सकते। उनका इतना बड़ा फार्म है, कि पैदल नहीं घूम सकते हैं, घोड़े पर चक्कर लगाते हैं। आज मुझे पत्र मिला है कि उन्होंने अपने फार्म को कितने नामों में तकसीम कर रखा है। उन्होंने लक्सर में जंगल तोड़ा था और जमीन नहीं नापी गयी। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिखकर दिया था कि 96 एकड़ अतिरिक्त

[श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग]

भूमि है जो बाटी जायगी। कृषि मंत्री जी चलें और मैं भी चलूं और जमीन नपवा दी जाय तो तिगुनी जमीन निकलगी। कृषि मंत्री की 96 एकड़ भूमि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कहने के आधार पर निकलती है लेकिन वह भी नहीं बांटी गयी तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि हरिद्वार के 9 मंहतों की 16 हजार बीघे भूमि बांटी जायगी हरिजनों को, गरीबों को, मुसलमानों को, दाने-दाने को मोहताज रखा जाता है और बी0 के0 डी0, जनसंघ वालों को पैसा दिया जाता है।

एक साल से हम लोग कोशिश कर रहे है कि एक्जेम्पशन सीलिंग-ला में खत्म करना चाहिये जिसके आधार पर यह पैसा पैदा करके रिएक्शनरी पार्टीज को पनपाते है। क्या यह बात आपसे छिपी है कि हरिद्वार, ऋषिकेश में बालयोगेश्वर ने अमेरिकी साजिश के अड्डे बना रखे थे। अगर इन लोगों पर हदबन्दी लागू नहीं की जायगी तो कैसे देश की आजादी की रक्षा आप कर सकेगें और कैसे देश को समाजवाद की ओर ले जायेंगे। हमने ऐलान किया कि 20 तारीख को भूख हड़ताल करगे और अगर गिरफ्तारी करेंगे तो 22 तारीख को हमारे साथी सदन में होंगे जो तय करेंगे कि अगर 20 सूत्री कार्य क्रम को लागू करने में हमारे साथी गिरफ्तार होते हैं तो यह उचित है या अनुचित है। मुख्य मंत्री जी ने अपील की कि भूख हड़-ताल मुलतवी कर दी जाय। हम इस दिशा में कदम उठायेंगे। हमने आपातकालीन स्थिति को ध्यान में रखते हुए भूख हड़ताल मुलतवी कर दी। लेकिन क्या मुख्य मंत्री जी अपने वायदे पर कायम रहकर कदम उठायेंगे? क्या शाहनवाज खां की 96 एकड़ अतिरिक्त भूमि और हरिद्वार के 9 मंहतों की 16 हजार बीघे भूमि बंटवायेंगे, कोई छूट आन्ध्र प्रदेश में धार्मिक स्थानों को नहीं दी गयी है। क्या आप चाहते है कि हरिद्वार मे अमेरिका के साजिश के अड्डे बने रहें। वहां मंहत भोलादास है, जो चुनाव लड़े थे। कुलतार सिंह जी हंस रहे हैं, वह जानते हैं कि हरिद्वार में बी0 एल0 डी0 का कैम्प लगा था जिसमें राइफल ट्रेनिंग हुई और जिसके लिये पैसे महंतों ने दिया।

श्री उपाध्यक्ष—

मान्नीय गर्ग जी आप आसन ग्रहण करें। आप अपना भाषण कल जारी रखें।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

मुझे आज अवसर दे दें। मैं कल नहीं रहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी मजबूरी है, 4 बजे तक ही समय प्रस्तावित था।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, 10 मिनट का समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

(किसी के आपत्ति न करने पर) ठीक है।

श्री राजेन्द्र कुमार गर्ग—

आज जरूरत इस बात की है कि दुनियां में हो रही घटनाओं से हम सबक सीखें। जब क्रान्ति आगे बढ़ती है तो प्रतिक्रान्ति पूरी तेजी से हमला करती है। मुझे और मेरे साथियों को इस बात का अफसोस है कि जिस भावना को लेकर हम यहां आये थे वह पूरी नहीं हो रही है। आज हिन्दुस्तान की जनता, श्रीमती इंदिरागांधी, हमारी प्रधान मंत्री के साथ आगे बढ़ना चाहती है और दुनियां के जो 82 मुल्कों ने समाजवाद का जो ध्येय सम्मुख रखा है उसकी ओर उसके ढांचे को भी हम देख रहे है और अपने देश में समाजवाद लाने के लिये हम संघर्ष कर रहे हैं। प्रतिक्रियावादी शक्तियों के हमले हम पर बराबर हो रहे है और वे होते रहेंगे। हमको अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करनी है। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस का साथ रहेगा अथवा नहीं? यह बात रोज उठाई जाती है लेकिन हमको इस बात पर गम्भीरता के साथ बैठ कर विचार

करना है और तय करना है कि आइये हम और आप मिल कर यह तय करें कि हमको क्या और किस प्रकार का कदम उठाना है क्योंकि यह लड़ाई लम्बी है, यह सफर लम्बा है। हम और आप जिस मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं यहां पर प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी देश के 60 करोड़ जनता को लेकर खड़ी है। अफ्रीका, अमरीका और लैटिन अमरीका के बीच जो महाभारत हो रही है, उसका क्षेत्र कितना बढ़ सकता है। किसिंजर और फोर्ड किस तरह से बंगला देश, पाकिस्तान और ईरान को हथियार दे रहे है उसी तरह से देश के अन्दर प्रतिक्रियावादी ताकतों को भी हर प्रकार की सहायता करते रहे हैं।

मान्यवर, मुझे खेद है कि जिन भावनाओं को लेकर मैं यहां सुप्रीम कोर्ट से आया था, यह समझ कर कि उत्तर प्रदेश की 10 करोड़ जनता की सेवा करने का अवसर मिलेगा परन्तु यहां आने पर यह महसूस हुआ है कि यह एक भ्रम था। विरोधी दलों द्वारा किया जा रहा हुड़दंग, हर समय का हुड़दंग, डेमोक्रेसी, क्या इस तरह से चल सकती है? आचार्य भावे कहते है कि डेमोक्रेसी को इन्डियन कन्डीशन के अनुकूल बनाना है जिससे हम जनता की अधिक अच्छी सेवा कर सकें। गरीब, मजदूर और हरिजन आज और प्रतीक्षा करने के लिये तैयार नहीं हैं। जो सीलिंग से ऊपर जमीनें हैं उन पर कब्जा किया जायगा, यह मैं नहीं कह रहा हूं प्रधान मंत्री ने कहा है कि हमने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत हदबन्दी की बात रखी है, इसलिये कि बंगाल में कुछ लोग अमीर थे और उनके चारों ओर हजारों गरीब थे। उन गरीबों से जब गरीबी बरदाश्त नहीं हुई तो उन्होंने अमीरों का घेराव किया और उनको खत्म कर दिया। प्रजातंत्र को बचाने के लिये ही यह 20 सूत्री कार्यक्रम शुरू किया गया है लेकिन माफ कीजियेगा आपकी सरकार ने तथा आपके मुख्य मंत्री ने इस कार्यक्रम की उपेक्षा की है। इस उपेक्षा से यह कार्यक्रम नहीं चलने का है। सही ढंग से चलाना है तो कमर कसना होगा, कुछ लोगों पर वार करना होगा जैसे जमींदारों तथा राजा, महाराजाओं पर वार आपने किया है, लेकिन आज आप चीनी मिल मालिकों की गोद में बैठे हुये हैं। आपको सोचना होगा कि आपने देश की गरीब जनता से समाजवाद का वायदा किया है। समाजवाद की घोषणा इसी लखनऊ शहर में सन् 36 में पंडित जवाहर लाल नेहरू ने की थी और जब देश की आजादी खतरे में हो तो उस समय आपको, हमको अपने हर कदम से, जिन्दगी की हर सांस से, देश की 60 करोड़ जनता को यह विश्वास दिलाना होगा कि हम समाजवाद की मंजिल तक पहुंच कर रहेंगे। धन्यवाद।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष --

आज नियम 51 के अन्तर्गत दो सूचनायें आई हैं। एक श्री राम सजीवन जी की है, बांदा जिले की करबी, मऊ एवं नरैनी तहसीलों में ओला एवं तूफान से रबी की फसल को क्षति के सम्बन्ध में। शासन इस पर स्वयंमेव वक्तव्य देगा। दूसरी सूचना, श्री विमल प्रसाद तिवारी की है, केन्द्रीय सरकार द्वारा हाथ से चार रंग अथवा उससे अधिक रंगों से छपे कपड़े पर एक्साइज शुल्क निर्धारित कर दिये जाने के कारण फर्रुखाबाद के हाथ कपड़ा छपाई लघु उद्योग के समक्ष उत्पन्न संकट के सम्बन्ध में। यह प्रान्तीय सरकार का विषय नहीं है, केन्द्र से ताल्लुक रखता है। इसलिये यह अस्वीकार किया जाता है।

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 4 बजकर 9 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
6 अप्रैल, 1976।

नत्थी 'क'

[देखिये नियम 38 (2) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 74 पर]।

माननीय मुख्य मंत्री जी,

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।

महोदय,

निवेदन है कि प्रयागपुर क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि0, प्रयागपुर में श्री कैलाश प्रसाद गुप्ता सचिव के पद पर कार्य कर रहे थे। बोर्ड ने उनके खिलाफ तमाम गंभीर अनियमितायें पाईं और उनका वहां से स्थानान्तरण करा दिया और बोर्ड द्वारा गठित कमेटी ने उनके विरुद्ध उक्त ही मद में लगभग 10,000 रु0 की चोरी पकड़ी यह मद अरहर का व्यापार का जो कि राम देव राम निवास बलरामपुर को सीधी बिक्री में हुआ परन्तु कागजात में कमीशन पर दिखलाया गया। जब कि उक्त कार्य का कोई एडवांस आदि नहीं आता था। इस संबंध में बोर्ड द्वारा गठित कमेटी ने श्री राम हर्ष पाण्डे एकाउन्टेंट एवं श्री राम स्वरूप शर्मा मुनीम के बयान भी लिये हैं जो कि कार्यालय में सुरक्षित है ।

परन्तु आभास हुआ है कि श्री राम कीर्ति सिंह सहायक निबंधक, सहकारी समितियां, बहराइच जांच हेतु उक्त कार्यालय पर गये तो एकाउन्टेन्ट और मुनीम को नौकरी से अलग कर देने की धमकी दी है और बयान बदलने का प्रयास किया है।

अतः आप से निवेदन है कि सहायक निबंधक महोदय एवं श्री गुप्ता भूतपूर्व सचिव को इस जनपद से हटाकर श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय या हाकिम परगना, बहराइच में उनसे जांच कराई जायं जिसमें समिति को होने वाली भारी क्षति से बचाया जा सके ।

भवदीय,

ह० बद्री प्रसाद सिंह,

प्रतिनिधि

इकौना, बहराइच ।

प्रतिलिपि सेवा में, आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1....श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय, बहराइच ।

2...माननीय चौधरी चरण सिंह जी नेता विरोधी दल, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ ।

3...माननीय नरायन सिंह जी, सहकारिता मंत्री ।

4....श्रीमान के0 पी0 सिंह, निबंधक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

भवदीय,

ह० बद्री प्रसाद सिंह,

प्रतिनिधि ।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 79 पर।)

संलग्नक—1

मांगों की सूची

1—चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को आज तक स्थाई घोषित नहीं किया गया जबकि तीन वर्ष से सेवारत कर्मचारियों को स्थाई घोषित कर दिया जाय ।

2—ज0 मे0 क0 को0 जी0 पी0 एफ0 एकाउन्ट स्लिप आज तक नहीं दिया गया । कर्मचारी को अपना नंबर व जमाधन अवगत नहीं हो पाया ।

3—फार्म पर कार्य करने वाले स्थाई श्रमिकों के साथ अधिक्षकों के द्वारा पशुवत व्यवहार किया जा रहा है जब कि सरकार सप्ताह में 12 घंटे एवं अन्य पर्वों पर अवकाश देने का आदेश है ।

4—च0 वर्ग के कर्मचारियों द्वारा बेगार लगी जाती है। बेगार न करने वाले कर्मचारी को तरह-तरह की धमकियां दी जाती हैं ।

5—ज0 वर्ग अल्प वेतन भोगी कर्मचारी को इस भीषण मंहगाई में अपने बच्चों का पालन-पोषण करना दूभर है । अतएव घर के निकट भंडारों पर नियुक्त किया जाय ताकि की भी परिवरिश हो सके ।

6—कृषि बीज भन्डारों एवं कृषि प्रक्षेत्रों पर कार्यरत प्रहरी को गर्म तथा ठन्डी वर्दी एवं हथियार, रोशनी का प्रबन्ध कराया जाय ताकि कार्य संचालन में कोई असुविधा न हो ।

7—कृषि विभाग के मोटर्स चालकों को वर्दी एवं उनसे सम्बधित अन्य सुविधायें प्रदान की जायं ।

8—भन्डारों पर कार्यरत कृषि कार्यदार को आवश्यकता अनुसार रात और दिन दोनों कार्य करना पड़ता है। प्रत्येक भन्डारों पर रोशनी आदि का प्रबन्ध कराया जाय । एवं दूना कार्य करने वाले कर्मचारी को ओवर टाइम दिया जाय जैसा अन्य विभागों मे इसकी व्यवस्था है ।

संलग्नक—2

मांगों के सम्बन्ध में स्थिति

1—स्थाईकरण की कार्यवाही तत्परता से कराई जा रही है ।

(2) अधीनस्थ कर्मचारियों के लिये समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारियों को कृषि निदेशक द्वारा निदेशित किया जा चुका है कि कर्मचारियों की वार्षिक लेखा स्लिप यदि निर्गत न की गई हो तो अवश्य निर्गत कर दी जाय ।

(3) जी नहीं ।

(4) जी नहीं ।

(5) विशेष प्रशासकीय परिस्थितियों को छोड़कर सामान्यतया यही प्रक्रिया चतुर्थ श्रेणी के समस्त कर्मचारियों के नियुक्त के सम्बन्ध में लागू है ।

(6) केवल चौकीदार को हथियार एवं रोशनी की सुविधा दी जाती है । एवं चौकीदार का काम करने वाले कर्मचारियों को कम्बल की सुविधा दी जाती है । वर्दी नहीं दी जाती है ।

(7) चालकों को जाड़े व गर्मी की वर्दी दी जाती है ।

(8) बीज भंडारों पर रोशनी आदि की सुविधा है, ओवर टाईम देने के आदेश नहीं है ।

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 84 पर।)

उत्तर प्रदेश में चूहों की अनुमानित संख्या 60 करोड़ तथा उनके द्वारा 10 करोड़ व्यक्तियों के हिस्से का अनाज खा जाना, विशेषज्ञों का अभिमत है। यह केवल अनुमान है इसके कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। चूहों द्वारा होने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुए शासन ने गम्भीरतापूर्वक विचार करके पिछले वित्तीय वर्ष से चूहा निवारण अभियान तीव्र गति से चलाने का निर्णय लिया था। इसके अन्तर्गत 12 सघन खेती वाले जनपदों (सहारपुर, मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, मेरठ, अलीगढ़, रायबरेली, गोंडा, फैजाबाद, बांदा, बस्ती, गोरखपुर तथा वाराणसी) में निरन्तर 5 वर्षों तक तीव्र एवं सामूहिक चूहा नियंत्रण अभियान चलाने का कार्यक्रम बनाया गया है। उक्त जनपदों में कुल क्षेत्रफल के 1/5 भाग पर प्रति वर्ष उक्त अभियान चलाकर 5 वर्ष की अवधि में पूरे क्षेत्र के चूहों पर नियंत्रण करने की योजना है।

2--वर्ष 1975 में अप्रैल से जून तथा सितम्बर से नवम्बर तक उक्त 12 जनपदों में अभियान चलाया गया। इन जनपदों के अतिरिक्त राज्य के समस्त जनपदों में 20 से 30 जनवरी, 1976 तक दस दिन का अभियान एक साथ चलाया गया।

3--चूहा नियंत्रण का कार्य वैसे प्रत्येक जनपद में पूरे वर्ष ही चलता रहता है। अभियान को सफल बनाने हेतु विकास कार्यकर्ताओं व किसानों के अतिरिक्त स्कूल के विद्यार्थियों का सहयोग भी प्राप्त किया गया है।

4--चूहों को नष्ट करने के लिये पहले दिन चूहों के सभी बिलों को मिट्टी से बन्द करवा दिया जाता है। दूसरे दिन जो बिल खुले मिलते हैं उनमें जिंक फासफाइड के जहरीले चारे की 15 ग्राम की पुड़िया रख दी जाती है। तीसरे दिन भी यदि कुछ बिल खुले मिलते हैं तो उनमें एल्यूनियम फासफाइड की 1/2 ग्राम की टिकिया डालकर धूनीकरण किया जाता है। बड़े बिलों में साइमेग अथवा साइनों गैस से चूहा धूनीकरण पम्प द्वारा धूनीकरण किया जाता है।

नत्थी 'घ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 8 पर।)

जिलाधिकारी बहराइच को दिनांक 7 जनवरी, 1975 को श्री हरनरायन तिवारी सहकारी सुपरवाइजर, कोआपरेटिव सोसाइटी रतनापुर, ब्लाक गिलौला, जिला बहराइच के विरुद्ध रतन पुर व वभनचक ग्राम के निम्नलिखित निवासियों ने उनके आचरण के विरुद्ध शिकायत की थी कि वह अकेली, दुकेली औरतों और लड़कियों को देखते हैं तो भद्दे मजाक करते हैं और कभी-कभी हाथ पैर भी चलाते हैं।

(1) रामेश्वर, (2) रामदास, (3) श्रीराम, (4) परमेश्वर, (5) बच्चूलाल, (6) किशोरी लाल, (7) जगदीश प्रसाद, (8) रामफकीरे, (9) श्रीराम, (10) विक्रमा प्रसाद, (11) राम छबीले, (12) अमृत लाल, (13) रामदास, (14) महावीर, (15) लोटन, (16) समयदीन, (17) मोहन लाल, (18) मिश्री, (19) ननकू।

अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, बहराइच द्वारा जांच कराई गयी। आरोप निराधार पाये गये। जिला सहकारी बैंक ने प्रशासकीय आधार पर उनको स्थानान्तरित किया है और वह कार्यभार से मुक्त भी कर दिये गये है।

शान्ति प्रपन्न शर्मा,
सहकारिता मंत्री।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 18

खण्डों में निर्माण किये गये आवासीय भवनों की

वर्ष	1953–54	1954–55	1955–56	1956–57	1957–58	1958–59	1959–60
भवनों की संख्या	9	224	482	489	713	1057	855

वर्ष	1968–69	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
भवनों की संख्या	120	82	141	169	55	34	17	..

प्रदेश के विभिन्न विकास खण्डों में निर्मित आवासीय भवनों की

वर्ष	1953–54	1954–55	1955–56	1956–57	1957–58	1958–59	1959–60
भवनों की संख्या	..	25	134	74	264	529	416

वर्ष	1969–70	1970–71	1971–72	1972–73	1973–74	1974–75	1975–76
भवनों की संख्या	119	261	208	192	138	338	72

संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण केन्द्र

'ङ'

का उत्तर पीछे पृष्ठ 90 पर)

वर्षवार संख्या प्रदेश के विभिन्न विकास

1960–61	1961–62	1962–63	1963–64	1964–65	1965–66	1966–67	1967–68
675	748	696	912	720	564	319	300

योग	कुल विकास खण्डों की संख्या
9381	875

वर्षवार संख्या जिनका मानक किराया निर्धारित हो चुका है :

1960–61	1961–62	1962–63	1963–64	1964–65	1965–66	1966–67	1967–68	1968–69
584	556	529	560	714	392	539	558	287

	कुल विकास खंडों की संख्या
/489	875

पी0 एस0 यू0 पी0—ए0 पी 48 वि0 सभा—1976 (2193)—840 (प्रो0)।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश